टेलीफ़ोन-नम्बर—२०५

तार का पता—'भविष्य'

सम्पादक:—
श्री० त्रिवेणीप्रसाद, बी० ए०
(जेल में)

स्थानापन्न सम्पादक:—
श्री० भुवनेश्वरनाथ मिश्र, एम० ए०

'भविष्य' का चन्दा

वार्षिक चन्दा ... १२) रु०
छः माही चन्दा ... ६।।) रु०
तिमाही चन्दा ... ३।।) रु०
एक प्रति का मूल्य चार आने
Annas Four Per Copy

एक प्रार्थना

वार्षिक चन्दे अथवा फ़्री कॉपी के मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने में पहिले मित्रों को 'भविष्य' में प्रकाशित अलभ्य सामग्री और उसके प्राप्त करने के असाधारण व्यय पर भी दृष्टिपात करना चाहिए।

वर्ष १, खण्ड ४

इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; २५ जून, १९३१

संख्या ३, पूर्ण सं० ३९

१८ वर्षीय पेशावरी युवक—स्वर्गीय हरीकिशन, जिन्हें ९वीं जून को फाँसी पर लटका दिया गया

५०) रु० की पुस्तकें

२) रु० मासिक क़िश्त पर कैसे ली जा सकती हैं ?

(१) जो लोग अपनी ज्ञान-वृद्धि के उत्सुक हैं और प्रत्येक मास पुस्तकें मँगवाया करते हैं—जिससे बार-बार उन्हें डाक-व्यय देकर सरकारी ख़ज़ाना भरना पड़ता है—उनकी सुविधा के लिए तथा हिन्दी के प्रचार को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया गया है, कि कार्यालय से ५०) रु० के मूल्य को इच्छानुकूल पुस्तकें इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक मेम्बर को रेलवे-पार्सल द्वारा भेज दी जावें और वे नियमित रूप से प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में २) रु० कार्यालय को भेजते रहें।

(२) पुस्तकें केवल 'चाँद' तथा 'भविष्य' के प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दी जावेंगी, हर किसी को नहीं।

(३) कार्यालय का छपा हुआ प्रार्थना-पत्र इसी के साथ भेजा जा रहा है। ग्राहकों को इसी पर हस्ताक्षर करके भेजना चाहिए।

(४) प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होने पर पुस्तकें देने पर विचार किया जायगा, यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सन्देह उपस्थित हुआ, तो बिना किसी प्रकार का कारण बतलाए, उन्हें इन्कार कर दिया जायगा।

(५) सब प्रकार का इतमीनान हो जाने से यहाँ से इक़रारनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जायगा और साथ ही उनके पास पुस्तकों का बड़ा और नया सूचीपत्र भेज दिया जायगा, ताकि ग्राहक अपनी इच्छानुकूल पुस्तकें पसन्द करके अपना ऑर्डर बना कर भेज सकें।

(६) सूचीपत्र में जिन पुस्तकों का उल्लेख न होगा और यदि ग्राहक अन्य पुस्तकें मँगाना चाहेंगे तो उन्हें भेजने के लिए संस्था बाध्य न होगी।

(७) इन पुस्तकों पर किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा, चाहे वे अपनी प्रकाशित हों अथवा बाहरी (कमीशन केवल नक़दी पुस्तकें ख़रीदने पर ही देने का नियम है—इसे पाठक स्मरण रक्खें)।

(८) ऑर्डर देते समय ग्राहकों को ५०) रु० की जगह ६०-७० रुपयों की पुस्तकों का ऑर्डर बना कर भेजना चाहिए, क्योंकि प्रायः ऐसा होता है, कि माँगी हुई समस्त पुस्तकें स्टॉक में तैयार नहीं होतीं, अतएव उस समय जो भी पुस्तकें तैयार होंगी, उनमें से ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें भेज दी जावेंगी।

(९) पुस्तक भेजने में रेल का जो किराया लगेगा (जो नाम-मात्र का होता है) वह, तथा बिल्टी की रजिस्ट्री आदि का व्यय, ग्राहकों को ही देना होगा।

(१०) बिल्टी रेल तथा डाक-व्यय के अतिरिक्त ६) रु० की वी० पी० द्वारा भेजी जायगी, और शेष २२ क़िश्तें २) रु० मासिक का होंगी, जो प्रत्येक अङ्गरेज़ी मास के प्रथम सप्ताह में आ जाना चाहिए। भेजने में जो व्यय होगा वह ग्राहकों को ही देना होगा।

(११) यदि २ क़िश्तें पिछड़ गईं तो शेष सारा रुपया ग्राहकों को एक-मुश्त फ़ौरन चुका देना होगा! अन्यथा क़ानूनी कार्रवाही की जायगी और मुक़द्दमे के ख़र्च लिए ग्राहकों को ज़िम्मेदार होना पड़ेगा।

(१२) यदि एक वर्ष तक प्रत्येक मास की क़िश्त समय पर अदा होती रही, तो उस ग्राहक को दूसरी बार भी ५०) रु० की पुस्तकें इसी शर्त पर भेज दी जावेंगी—पर यदि एक भी क़िश्त समय पर न पहुँची अथवा मुक़द्दमा आदि करना पड़ा तो उस ग्राहक से भविष्य में कोई व्यवहार न रक्खा जायगा।

हमें पूर्ण आशा है, पढ़ने के व्यसनी पाठक इस नई स्कीम द्वारा ईमानदारी से उचित लाभ उठावेंगे और हमें भी उत्तरोत्तर सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे।

* * *

उपरोक्त नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं किया जायगा, व्यर्थ में आप हुए पत्रों का तब तक उत्तर नहीं दिया जायगा, जब तक पते का टिकटदार लिफ़ाफ़ा पत्रोत्तर के लिए न भेजा जायगा।

—मैनेजिङ्ग डाईरेक्टर की आज्ञा से

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक,

इलाहाबाद

ऑर्डर-फ़ॉर्म

श्री० प्रबन्धक महोदय,

'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

महाशय जी,

मुझे आपकी नई स्कीम बहुत पसन्द है। आप मेरा नाम इसके मेम्बरों की सूची में लिख लें और प्रकाशित होते ही पुस्तकों का नया सूचीपत्र तथा इक़रारनामे (Agreement) का फ़ॉर्म हस्ताक्षर करने के लिए भेज दें। मुझे ५०) रु० के मूल्य की पुस्तकें एक साथ मँगाना स्वीकार है। ६) का वी० पी० (डाक-व्यय सहित) स्वीकार कर ली जायगी और नियमित रूप से आपको २) रु० हर मास के शुरू में पहुँचते रहेंगे।

मेरा 'चाँद'/'भविष्य' का ग्राहक-नम्बर—————— है।

हस्ताक्षर——————

पूरा पता——————

——————

——————

यदि पुस्तक मँगाना चाहते हों तो इसी ऑर्डर-फ़ॉर्म को साफ़-साफ़ भर कर भेजने की कृपा करें ताकि शर्तनामा हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जा सके।

Our London Office :
11. Aldwych, W. C. 2

Our American Office :
50, Church St. New York

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—वृहस्पतिवार ; २५ जून, १९३१ | सं० ३, पूर्ण सं० ३९

लाहौरी युवक के पास रिवॉल्वर और २०० कारतूस मिले !

तलवार बाँटने और सड़क पर बम बनाने की धमकियाँ !!

गवर्नमेण्ट हाउस पर पिकेटिङ्ग के मन्सूबे :: लाहौर के मुसलमानों का अनर्गल प्रलाप

—लाहौर के मुग़लपुरा नामक स्थान में एक इञ्जिनियरिङ्ग कॉलेज है। आज से कुछ दिन पहले इस कॉलेज के अङ्ग्रेज़ प्रिन्सिपल ने किसी कारण से कॉलेज के एक प्रोफ़ेसर को बरख़ास्त कर दिया। इस पर कॉलेज के बहुत से मुसलमान छात्र नाराज़ हो गए और अपने सजातीय प्रोफ़ेसर का पक्ष लिया। इससे प्रिन्सिपल साहब झुँझला उठे और कह दिया कि हम तो मुसलमानों से तङ्ग आ गए। बस, फिर क्या था, कॉलेज के बहुत से मुसलमान छात्र रूठ गए और प्रिन्सिपल साहब के विरुद्ध मानो जहाद की घोषणा कर दी गई।

इसी समय दुर्भाग्यवश एक और घटना हो गई। रसूल इञ्जिनयरिङ्ग कॉलेज के हिन्दू प्रिन्सिपल ने कॉलेज के अहाते में एक मुसलमान को दूकान खोलने की आज्ञा न दी, इसलिए ५९ मुसलमान छात्रों ने प्रिन्सिपल के विरुद्ध भूख-हड़ताल कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि लाहौर के 'टोडी' मुसलमानों और उनके अख़बारों ने इस ज़रा सी बात को तिल का ताड़ बना दिया। दोनों प्रिन्सिपलों के विरुद्ध तुमुल आन्दोलन चल रहा है। अख़बारों में गरमागरम मन्तव्य प्रकाशित हो रहे हैं, सभाएँ और मीटिंगें हो रही हैं। इस तूफ़ाने-बेतमीज़ी का जो थोड़ा सा दिग्दर्शन सहयोगी 'मिलाप' के इन्क़िलाब के आधार पर कराया है, वह यों है—

गत १३ जून को इस आन्दोलन के सम्बन्ध में एक बृहत जुलूस निकाला गया। इसके बाद मियाँ अब्दुल अज़ीज़ साहब बैरिस्टर के सभापतित्व में एक महती सभा हुई, जिसमें सबसे पहले मौ० मज़हर अली 'मज़हर' ने एक स्पीच दी और फ़रमाया कि मुसलमान सरकार को बता देना चाहते हैं, कि वे एक प्रिन्सिपल तो क्या, मुसलमान प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से बदला लेंगे जो उन्हें चैलेञ्ज देगा।

इसके बाद मौलाना डॉक्टर ग़ज़नवी साहब उठे और फ़रमाया कि हिन्दू अख़बार कहते हैं कि कतिपय 'टोडी' मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। मैं पूछता हूँ, टोडी कौन हैं ? क्या मुसलमान इसलिए टोडी हैं कि वे अपनी उचित शिकायतें सरकार के सामने रख रहे हैं ? सच पूछो तो टोडी वे लोग हैं, जो अपनी घृणित साम्प्रदायिकता को छिपाने के लिए राष्ट्रीयता का जामा पहने इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं। हम उन्हें सावधान कर देते हैं कि अगर वे अपनी चालों से बाज़ न आएँगे तो हम उन्हें तबाह और बरबाद कर डालेंगे।

इसके बाद मियाँ अब्दुल अज़ीज़ साहब ने कहा—हम सरकार को अवसर देते हैं कि वह निरपेक्ष कमिटी द्वारा घटना की जाँच कराए कि वास्तव में मुसलमानों की माँग ठीक हैं या नहीं। मुसलमानों को उचित है कि वे अपने उचित अधिकार से एक इञ्च भी पीछे न हटें। अगर पड़ोसी जातियाँ इस माँग को अपने विरुद्ध समझती हैं तो यह उनकी ग़लती है और उन्हें अपनी ग़लती को समझना चाहिए। अङ्गरेज़ प्रिन्सिपल के विरुद्ध यही शिकायतें नहीं हैं, जो मुसलमान छात्रों ने पेश की हैं, बल्कि और भी बहुत-सी शिकायतें हैं, जिनका उल्लेख मैं इस समय नहीं करना चाहता। अन्त में आपने सरकार की चुप्पी पर अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए कहा कि उसे फ़ौरन एक कमीशन नियुक्त करना चाहिए !!

अन्त में मलिक लाल दीन क़ैसर ने कहा—कि यह प्रसन्नता की बात है कि इस सभा में सब विचारों के मुसलमान मौजूद हैं। मौ० ग़ज़नवी ने कहा है कि जब यह आन्दोलन दृढ़ लोगों के हाथों में आ जाएगा तो बड़ा ही भयङ्कर हो जावेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह आन्दोलन बड़ा ही भीषण हो जावेगा और इसमें नमक क़ानून ही नहीं तोड़ा जावेगा, बल्कि कई क़ानून तोड़े जावेंगे। हम तलवारें रक्खेंगे, पिस्तौलें रखेंगे और बम बनाएँगे। मगर छिप कर नहीं। सरे-बाज़ार बम के कारख़ाने खोलेंगे। हम गुप्त षड्यन्त्र नहीं करेंगे, पर जो कुछ करेंगे सरे-आम करेंगे। प्रिन्सिपल ने इस्लाम की तौहीन की है। मुसलमानों को चाहिए कि इस तौहीन का बदला लें। मैंने बहुत रुपया कमाया है, और जब तक यह रुपए मेरे पास हैं, मैं इस आन्दोलन की सहायता करूँगा। अन्त में आपने स्वयंसेवकों के लिए अपील की और कहा कि मुसलमानों को क़ानून तोड़ने और हर तरह की मुसीबतें बरदाश्त करने को तैयार रहना चाहिए।

इसके बाद की इस सम्बन्ध में जो ख़बरें सहयोगी 'मिलाप' को मिली हैं वे और भी मज़ेदार हैं। लाहौर की १८ जून की ख़बर है कि मुसलमानों ने उपर्युक्त मुग़लपुरा वाले कॉलेज पर धरना देने का निश्चय किया है। २२ जून से धरना आरम्भ होने वाला था। सुना गया है कि इसलिए कम से कम पाँच हज़ार स्वयंसेवक भर्ती किए जायँगे। लाहौर की तमाम मस्जिदों में इसके लिए सभाएँ होंगी।

गत १६ जून को स्वयंसेवक भर्ती करने के लिए जो सभा हुई थी, उसमें मौलाना दाउद ग़ज़नवी ने कहा कि हमारा यह आन्दोलन उस समय तक नहीं रुकेगा, जब तक हमारे क़दम वॉयसरीयगल लॉज के तले ख़ून में न रँग जायँगे। मलिक लालदीन ने कहा—लोगों का ख़याल है कि २४ जून को कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी हो जाती हैं, इसलिए अब पिकेटिङ्ग व्यर्थ है, परन्तु मैं शिमला पहुँचूँगा और पञ्जाब के गवर्नर की कोठी पर पिकेटिङ्ग करूँगा। मैं तमाम गाँवों को बाग़ी करूँगा और जब २२ जून को कॉलेज में इम्तिहान होगा तो मैं वहाँ भी पिकेटिङ्ग करूँगा।

—लाहौर का २२ जून का समाचार है कि लाहौर के बादामी बाग़ रेलवे स्टेशन पर पुलिस का जासूस गश्त लगा रहा था। एकाएक उसे एक गाड़ी से उतरने वाले नवयुवक पर सन्देह हुआ, जिसके हाथ में एक सूटकेस था। युवक सरकार रोड की तरफ़ चला। पुलिस वाले ने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाने पर एक दूसरा युवक भी सूट-केस वाले युवक के साथ हो गया। इतने में दोनों नवयुवकों की नज़र पुलिस वाले पर पड़ी और उसे देखते ही वे भागने लगे। पुलिस वाले ने भी शोर मचाते हुए उनका पीछा किया। सिपाही की चीख़-पुकार सुन कर राहगीरों ने सूट-केस वाले नवयुवक को पकड़ लिया। अन्त में वह नवयुवक थाने में पहुँचाया गया। वहाँ उसकी तलाशी ली गई तो उसके सूट-केस से एक ४५० लीवर का वेम्बली स्कॉट रिवॉलवर और २०० कारतूस निकले।

—डेराइस्माईल ख़ाँ, २२ जून। गत २ मई को पुलिस अफ़सरों की गोलियों से, लाहौर के शालामार बाग़ में मारे जाने वाले श्री० जगदीशचन्द्र के पिता ने निश्चय किया है, कि वे उन पुलिस अफ़सरों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई करेंगे, जिनका सम्बन्ध उनके पुत्र की हत्या से है। यह भी कहा जाता है, कि इस सम्बन्ध में पञ्जाब की सरकार तथा लाहौर के मैजिस्ट्रेट को कई चिट्ठियाँ लिखी गई थीं, परन्तु किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। लाहौर की नौजवान-भारत सभा ने श्री० जगदीशचन्द्र की पुण्य-स्मृति में एक वाचनालय खोलने का प्रस्ताव स्वीकार किया है।

* * *

सन्धि की शर्त्तों पर अमल करो

सरदार पटेल का बोरसद के किसानों को उपदेश

बोरसद का १८वीं जून का समाचार है, कि सरदार पटेल ने भाषण देते हुए कहा, कि केवल सन्धि की शर्त्तों का पालन कराने के लिए महात्मा जी को बोरसद में इतने अधिक दिनों तक ठहरना पड़ा है; यदि वे इस बात को पहले जानते होते, तो सन्धि को कभी भी स्वीकार न करते; पर चूँकि सन्धि को हमने स्वीकार कर लिया है, अतएव हमारा यह कर्तव्य है कि हम अक्षरशः उसका पालन करें। बोरसद भारतवर्ष के इतिहास में किसानों के त्याग के लिए प्रसिद्ध है। किसानों को युद्ध और सुलह दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें रामराज्य के लिए अपने को तैयार करना चाहिए। इस समय विदेशी वस्त्रों का घोर बहिष्कार होना चाहिए। जो विदेशी वस्त्र नहीं त्याग सकते वे अवसर आने पर अपना जीवन कैसे दे सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को खादी धारण कर भारतवर्ष के सामने एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए।

—मद्रास से भयङ्कर अग्नि-काण्ड के समाचार आए हैं। तीन सौ मकान जल कर ख़ाक हो गए और पचास हज़ार की सम्पत्ति स्वाहा हो गई!

—तिन्नेवल्ली (मद्रास) की ख़बर है कि कथूर ग्राम में १२० मकान और १७ प्रमाल के ढेर जल कर भस्म हो गए, जिससे दस हज़ार की हानि कूती जाती है!

—हैदराबाद (सिन्ध) का समाचार है, कि बाढ़ आदि से तथा अनाज का भाव गिरने के कारण वहाँ के ज़मींदार बहुत कष्ट में हैं, कितने तो लगान चुकाने में भी असमर्थ हो रहे हैं। सरकार ने रुपए में दो आने की माफ़ी दे दी है, परन्तु ज़मींदार लोग ५० प्रतिशत माफ़ी कराने पर तुले हुए हैं।

—मद्रास की तरह नागपुर से भी भयङ्कर अग्नि-काण्ड के समाचार आए हैं। पाटनस्वाँगी गाँव में एक स्त्री आग जला रही थी, इसी समय एक चिनगारी उड़ कर छप्पर में जा लगी, जिसके फल-स्वरूप भयानक अग्नि-काण्ड हुआ! लू और गर्मी के कारण अग्नि ने और भी प्रचण्ड रूप धारण कर लिया और दस घण्टे तक आग जलती रही। वहाँ के आपस के धनी-मानी सज्जन सहायता का प्रबन्ध कर रहे हैं।

—पेशावर का १६वीं जून की ख़बर है, कि भयानक भूकम्प के कारण काबुल के पास १५ मनुष्यों की मृत्यु हो गई और असंख्य मकान नष्ट हो गए।

'असला' नामक ज्वालामुखी ही इस भयानक भूकम्प का कारण बताया जाता है।

—अभी हाल में बम्बई प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष ने दूकानदारों के चेतावनी स्वरूप यह सूचना निकाली है कि मादक द्रव्यों की दूकानों पर फिर नए उत्साह से धरना प्रारम्भ किया जायगा।

—सीतापुर (लखनऊ) जेल में बहुत से क़ैदियों के इन्फ़्ल्यूएञ्ज़ा से पीड़ित होने का समाचार आया है। वहाँ शहर में 'काला ज्वर' ज़ोर से फैल रहा है।

—चटगाँव का समाचार है कि २२वीं जून से वहाँ आगामी दो महीनों के लिए १४४वीं दफ़ा जारी रक्खी जायगी।

—कलकत्ते का २३वीं जून का समाचार है कि वहाँ दिन दोपहर को डाक का एक क्लर्क जब वह एक चपरासी के साथ डेढ़ हज़ार रुपए का थैला लिए मोटर में "एम्पायर थिएटर" की ओर जा रहा था, कुछ डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। कहा जाता है कि डाकू एक दूसरी मोटर में चढ़े हुए पहुँचे और ड्राइवर की आँखों में मिर्च की बुकनी झोंक कर थैली लेकर चम्पत हो गए! पीछा करने पर भी उन्हें कोई पकड़ न सका। उनकी मोटर में जाली नम्बर लगा हुआ था!

—विगत मई मास के 'युवक' में "इन्क़िलाब ज़िन्दाबाद" और "नौजवानों से—" शीर्षक लेख के कारण सर्चलाइट प्रेस 'युवक' ऑफ़िस आदि की तलाशियाँ ली गईं। पुलिस 'युवक' की कई प्रतियाँ उठा ले गई है! कहा जाता है कि उसके सम्पादक, प्रकाशक तथा मुद्रक श्री० बेनीपुरी पर भी धारा १२४-ए के अनुसार मुक़दमा चलने वाला है।

—यू० पी० सरकार ने 'फाँसी के शहीद', 'क्षणिक सन्धि अथवा महात्मा गाँधी की सूझ' और "वर्तमान आल्हा" नामक तीन पुस्तकों के ज़ब्त होने की घोषणा की है।

बिजौलिया का सत्याग्रह

बिजौलिया सत्याग्रह के अग्रगण्य नेता श्री० हरिभाऊ उपाध्याय ने अभी सत्याग्रह के सम्बन्ध में एक वक्तव्य निकाल कर यह प्रकट किया है, कि एक जाँच कमिटी बिजौलिया के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए नियुक्त की गई है। आशा की जाती है, कि निकट-भविष्य में ही समझौता हो जायगा।

—कहा जाता है कि पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू के जितने पत्र आते हैं वे सब उन्हें मिलने के पहिले ही डाकघर में खोल कर पढ़ लिए जाते हैं। इस बात की शिकायत पण्डित जी ने यू० पी० के पोस्ट-मास्टर जनरल से की है।

—१९वीं जून का समाचार है कि सहयोगी "आज" के प्रधान सम्पादक श्री० बाबूराव विष्णु पराडकर धारा १२४ ए के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—हिजली (बङ्गाल) का समाचार है कि प्रफुल्लरञ्जन सेनगुप्त नामक एक नज़रबन्द क़ैदी जब हिजली हिरासत से हतिया प्रायद्वीप में निर्वासन काल काटने के लिए भेजे जा रहे थे, उसी समय उन्हें अपनी स्त्री की सख़्त बीमारी का तार मिला। उन्होंने सरकार से प्रार्थना की, कि उन्हें अपनी रुग्णा स्त्री को देखने दिया जाय। किन्तु उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रफुल्ल बाबू की धर्मपत्नी मृत्युशय्या पर अन्तिम घड़ियाँ गिन रही हैं।

—२३ जून का कोण्टाई का समाचार है कि भगवानपुर थाने में पुलिस कॉन्स्टेबलों ने भीमेश्वरी ब्राञ्च कॉङ्ग्रेस कमिटी पर धावा कर, वहाँ के स्थानीय कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ता बरेन्द्रनाथदास प्रियानाथ दास और आशुतोष मैत्रेय को गिरफ़्तार कर लिया।

—त्रिचनापल्ली (मद्रास) का समाचार है कि "रङ्गविलास सिनेमा" के मैनेजर तथा अन्य कर्मचारियों पर बम फेंकने के अपराध में चार मुसलमान चौक में गिरफ़्तार किए गए हैं। बम फटने से कोई घायल नहीं हुआ!

पुलिस की गाँव वालों से मुठभेड़!

एक ग्रामीण मरा :: दो कॉन्स्टेबिल घायल!

ढाका का १७वीं जून का समाचार है, कि नारायणगञ्ज सब डिवीज़न के अन्तर्गत मनोहरडीह थाने के 'चारबगवर' ग्राम में पुलिस और ग्रामीणों में भयानक मुठभेड़ हो गई। कहा जाता है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ११०वीं धारा के अभियोग में दो व्यक्तियों को पकड़ने के लिए पुलिस सब-इन्स्पेक्टर, पुलिस और चौकीदारों की एक टोली के साथ उस ग्राम में गया। कहा जाता है कि जैसे ही पुलिस अभियुक्तों के घर पहुँची, गाँव वाले लाठी और भाले के साथ जुट गए, जिसके परिणाम-स्वरूप दो कॉन्स्टेबिल बुरी तरह घायल हुए। पुलिस ने भी फ़ायर किया जिससे एक व्यक्ति मर गया और कई घायल हुए। गाँव वाले शीघ्र ही तितर-बितर हो गए। इस सम्बन्ध में अब तक दो गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। परन्तु ११०वीं धारा के दोनों अभियुक्त लापता हैं। मृतक और घायल व्यक्ति नारायणगञ्ज अस्पताल में भेज दिए गए हैं, कॉन्स्टेबिलों की हालत चिन्ताजनक बताई जाती है। नारायणगञ्ज के सब डिविज़नल अफ़सर तथा ढाका के पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट घटना के सम्बन्ध में जाँच कर रहे हैं।

—चटगाँव का १७वीं जून का समाचार है, कि सशस्त्र पुलिस के एक ज़बरदस्त दल ने, जो मैगज़ीन पर आक्रमण करने वाले फ़रार अभियुक्तों के टोह में था—श्रीपुर जैसलापुरा और कनुगुपाड़ा के देहातों में कई बड़े-बड़े थर्मामीटर और सल्फ़्यूरिक एसिड की बोतलें का एक घर में पता लगाया है। इस सम्बन्ध में और भी कई गिरफ़्तारियाँ हुई हैं।

—सलेम का १६वीं जून का समाचार है कि भारतीय दण्ड-विधान की १४३वीं धारा के अनुसार १९ व्यक्ति ग़ैर क़ानूनी संस्था के सदस्य होने के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं जो ताड़ी की दूकानों की नीलामी पर पिकेटिङ्ग कर रहे थे।

अभियुक्तों में से एक नवयुवक पर सौ रुपए का जुर्माना हुआ है; जुर्माना न चुकाने पर डेढ़ मास की क़ैद की सज़ा भुगतनी होगी। शेष अभियुक्तों को छः छः मास की सख़्त सज़ा सुनाई गई।

—गायबाँधा (बङ्गाल) का गत १४वीं जून का समाचार है कि बङ्गाल क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट ऐक्ट के अनुसार श्री० शचीन्द्रनाथ रक्षित गिरफ़्तार कर हिजली के कैम्प जेल में भेज दिए गए! पुलिस बड़ी देर तक उनका घर घेरे रही। श्री० रक्षित अभी बिल्कुल नौजवान हैं और कॉङ्ग्रेस के एक अत्यन्त उत्साही कार्यकर्ता हैं।

—चटगाँव का २२ जून का समाचार है कि दीवान बाज़ार में घरों की तलाशी लेते समय कई भयङ्कर बम और कारतूस तथा दो बक्सों में बम के मसाले, एसिड और बिजली के तार पाए गए। कई और मकानों की तलाशियाँ हुईं और तीन नवयुवक गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार युवकों में अनिल रक्षित भी हैं, जो मैगज़ीन पर धावा वाले केस में भी सम्मिलित बतलाए जाते हैं।

मथुरा में पुलिस का गुण्डापन !

महिलाओं पर आक्रमण : : राष्ट्रीय झण्डे का अपमान !!

मथुरा से श्री० सुन्दरलाल अरोड़ा, वकील ने निम्नलिखित विवरण हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजा है :—

बिजहरी ग्राम के निवासियों ने दो पुलिस सब-इन्सपेक्टरों और ५२ कॉन्स्टेबिलों पर ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ३९५ के अनुसार जो मामला चलाया था और जिसके विषय में महात्मा गाँधी ने भारत सरकार को भी लिखा था, उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने डिप्टी कलक्टर रायबहादुर सरदारसिंह की अदालत में भेज दिया है। ग्रामनिवासियों की तरफ़ से २२ गवाह पेश किए गए हैं। उन सबों ने ग्रामीणों की शिकायतों का समर्थन किया है। उनकी गवाहियों से पता चलता है कि पुलिस के आदमी बिजहरी गाँव के ११ मकानों में जबरन घुस गए और वहाँ से चाँदी-सोने के ज़ेवरात और रुपए उठा ले गए। मकान के अन्दर जो खाने-पीने का सामान था उसे उन्होंने खाया और अन्य वस्तुओं को नष्ट कर दिया। उनके रास्ते में जो कोई भी स्त्री-पुरुष आया उस पर उन्होंने आक्रमण किया और राष्ट्रीय झण्डों को तोड़ कर फेंक दिया। गाँव से जाते समय ग्रामीणों की चेतावनी देते गए कि यदि तुम लोग फिर कॉङ्ग्रेस की कार्रवाईयों में भाग लोगे तो बुरी तरह से ख़बर ली जायगी। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने इस मामले को ख़ारिज कर दिया है।

इधर पुलिस का चलाया हुआ दफ़ा १०७ का केस बिजहरी ग्राम के १८ निवासियों के विरुद्ध ज्वाइन्ट मैजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है। सबूत की तरफ़ से ३० गवाहों के पेश किए जाने की ख़बर है।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तों की तरफ़ से जिरह होने पर हेड कॉन्स्टेबिल ने कहा कि पुलिस की डायरी में लिखा है, कि सब इन्स्पेक्टर तेजसिंह, दोयम अफ़सर और चार कॉन्स्टेबिल दफ़ा १०७ के वारण्ट जारी करने बिजहरी गाँव गए थे, इसके अतिरिक्त और दूसरा भी कारण उन लोगों के बिजहरी जाने का उस डायरी में दर्ज नहीं है। आगे प्रश्न करने पर उसने कहा कि डायरी में यह कहीं नहीं लिखा है कि उन पुलिस के आदमियों ने दस अभियुक्तों के मकानों की तलाशी ली या साथ में बिजहरी से कुछ चीज़ें लेते आए !!

बिजहरी निवासियों की शिकायत है कि बन्दूक़ों, बर्छों और लाठियों सहित क़रीब ९५ पुलीस के आदमी गाँव में कुछ लोगों को दफ़ा १४० के अनुसार गिरफ़्तार करने के लिए आए थे। गाँव के तीन आदमियों की सहायता से उन्होंने गिरफ़्तारियाँ कीं और उपर्युक्त ज़्यादतियाँ भी कीं।

इस घटना से ज़िले भर में सनसनी फैल गई है।

ज़िला कॉङ्ग्रेस कमेटी के जनरल-सेक्रेटरी प्रोफ़ेसर कृष्णचन्द्र ने इस घटना की जाँच करके अपना विवरण डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ भेज दिया था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसे एक शिकायत समझ कर डिप्टी कलक्टर के यहाँ भेज दिया। डिप्टी कलक्टर ने ज़िला कॉङ्ग्रेस के मन्त्री का बयान दर्ज कर लिया है।

महात्मा जी का गोलमेज़ परिषद में सम्मिलित होने का कारण

'मैं बहुमत को अपने पक्ष में नहीं ला सका"

कॉङ्ग्रेस छाया नहीं, तत्त्व चाहती है

गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स में जाने के सम्बन्ध का प्रस्ताव, कॉङ्ग्रेस की कार्य-कारिणी-समिति में किस प्रकार पास हुआ, इसके सम्बन्ध में महात्मा जी १८वीं जून के 'यङ्ग इण्डिया' में लिखते हैं :—

जनता को विदित है कि कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने गोलमेज़ परिषद में अपना प्रतिनिधि न भेजने की बार-बार घोषणा की थी। किन्तु अब उसने कॉङ्ग्रेस का विचार गोलमेज़ परिषद के सम्मुख रखने के लिए मुझे वहाँ भेजने का निश्चय कर लिया है। जनता को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि ऐसा क्यों किया गया।

साधारणतः कार्यकारिणी का कोई सदस्य समिति में होने वाली बहसों को प्रकाशित नहीं कर सकता है। उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है; किन्तु उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्वयं कार्यकारिणी ने, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध की बातें जनता के सामने रखने का अधिकार दे दिया है, जिसमें मैं अपनी तथा कार्यकारिणी-समिति की स्थिति अभिव्यक्त कर सकूँ।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं सर्वथा असहमत था। किन्तु आपत्ति रहते हुए भी, जन-सत्तावाद के भाव ने, मुझे इस प्रस्ताव के सामने मस्तक झुकाने के लिए बाध्य किया। मैं अपने पक्ष की पुष्टि के लिए कार्यकारिणी समिति से लड़ा, और स्वयं भी एक प्रस्ताव समिति के सामने मैंने रक्खा, जो राष्ट्र-हित के विचार से अधिक युक्तियुक्त था ; किन्तु समिति के अधिकांश सदस्यों को मैं अपनी ओर न कर सका। उनका विचार था कि, साम्प्रदायिक समझौते के न होने के कारण ही, यदि गोलमेज़ परिषद में कॉङ्ग्रेस का प्रतिनिधि न भेजा जायगा तो कॉङ्ग्रेस अपने शत्रुओं के हाथों की कठ-पुतली बन जायगी और परिषद में कॉङ्ग्रेस के विचारों की मिट्टी पलीद की जायगी।

यद्यपि बहुमत के विचार के सम्बन्ध में बहुत-कुछ कहा जा सकता है, किन्तु फिर भी मैं यहाँ पर अपने विचारों को अधिक उपादेय मानता हूँ। लाहौर कॉङ्ग्रेस में, साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया गया था, मेरा विचार उससे मिलता-जुलता है। कार्यकारिणी के सम्मुख मैंने यह प्रस्ताव किया था कि यदि समझौता असफल हुआ, तो कॉङ्ग्रेस को भावी गोलमेज़ परिषद से, स्वराज्य प्राप्त करने की आशा त्याग देनी चाहिए और उसे तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ; जब तक सारे सम्प्रदाय साम्प्रदायिकतावाद से ऊब न जायँ और राष्ट्रीय पथ का अवलम्बन न करें। इस बीच में कॉङ्ग्रेस अपनी शक्ति बढ़ा सकती है और जनता में कार्य कर हिन्दुओं की भाँति अन्य सम्प्रदायों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम स्वातन्त्र्य संग्राम को स्थगित कर दें। अधिकार प्राप्त करने के लिए कॉङ्ग्रेस सर्वदा तैयार है। किन्तु गोल-मेज़ परिषद से, जो कॉङ्ग्रेस को अधिकार देना नहीं चाहती, अधिकार प्राप्त करने में कॉङ्ग्रेस सर्वथा असमर्थ है। कॉङ्ग्रेस छाया नहीं चाहती, वह तत्व चाहती है। अतएव वह अधिकारों की छाया के लिए भले ही ठहर सकती थी ; किन्तु स्वाधीनता के तत्व के लिए प्रतीक्षा कर सकती है। भारत की मूक जनता स्वतन्त्रता के तत्व नहीं को समझ सकती है, और उसे उसकी अत्यन्त आवश्यकता भी है।

इसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि मेरी इस युक्ति से सदस्यगण सन्तुष्ट नहीं हुए। मेरा विश्वास है कि वे सदस्यगण जनता को अपनी युक्तियों से सन्तुष्ट नहीं कर सकेंगे।

अन्त में आप कहते हैं "मैंने कार्यकारिणी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, और यदि गोलमेज़ परिषद में गया, तो मैं उत्साहपूर्वक अपना कर्तव्य पालन करूँगा।"

* * *

—दिल्ली का समाचार है कि गत सोमवार को काकोरी केस के क़ैदी श्रीयुत प्रेमकिशन खन्ना अपनी ५ वर्ष की पूरी सज़ा काट कर बरेली जेल से रिहा हो गए। श्रीयुत खन्ना को पाँच वर्ष की कड़ी क़ैद की सज़ा मिली थी। कहा जाता है जेल-जीवन में आपको बहुत कष्ट सहने पड़े, जिनमें तनहाई और बेड़ी आदि का दण्ड विशेष-रूप से उल्लेखनीय है।

—दिल्ली का समाचार है कि गत रविवार के प्रातः-काल आज़ाद मैदान में श्रीमती सत्यवती देवी के द्वारा बड़े समारोह के साथ राष्ट्रीय झण्डाभिवादन कराया गया। आपने अपने सारगर्भित भाषण में कराची कॉङ्ग्रेस के द्वारा उपस्थित किए गए रचनात्मक कार्य-क्रम पर विशेष रूप से ज़ोर दिया। आपने कहा कि सत्य और अहिंसा हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का पथ-प्रदर्शक होना चाहिए, जब तक हमारा देश स्वतन्त्र नहीं है, तब तक हम अपने राष्ट्रीय झण्डे पर अभिमान नहीं कर सकते। स्वतन्त्र राष्ट्र ही अपने झण्डे की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, पराधीन राष्ट्रों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता।

—पाठकों को यह जान कर अत्यन्त खेद होगा, कि राष्ट्रवादी मुसलमानों के लाख प्रयत्न करने पर भी उस मुस्लिम-सम्मेलन में सफलता प्राप्त न हो सकी, जिसका एक विराट अधिवेशन हाल ही में शिमला में हुआ था। उस विफलता की सारी ज़िम्मेदारी मौलाना शौकतअली-जैसे साम्प्रदायिक मुल्लाओं की हठधर्मी बतलाई जाती है।

—चाँदपुर का १६ जून का समाचार है कि पूरन बाज़ार के एक शराब की दूकान पर बम फेंकने के अभियोग में अतुलचन्द्र घोष, जो एक सुसम्पन्न और प्रतिष्ठित नवयुवक हैं तथा अश्विनीकुमार दास गिरफ़्तार हुए हैं।

—रङ्गून का १६वीं जून का समाचार है कि भगडा से और तीन अन्य ज़िलाओं के लिए कुछ अतिरिक्त सेना स्पेशल ट्रेन से भेजी गई है।

७ सशस्त्र डकैतियाँ सिर्फ़ हेन्जादा में ही हुई हैं और दो हज़ार रुपए की सम्पत्ति लूट ली गई है। दायम्पों तथा थारावड्डी से भी ऐसे समाचार मिले हैं। थारावड्डी में पाँच गिरफ़्तारियाँ हुई हैं।

—बम्बई का १८ जून का समाचार है कि मजगाँव के रे रोड पर पिछले हफ़्ते में दो बार बम का भयङ्कर धड़ाका हो चुका है, जिसके फल-स्वरूप दो लड़के बुरी तरह घायल हुए हैं। धड़ाका इतना भयानक था कि कई मकान तक गिर पड़े।

घटना-स्थल पर तहक़ीक़ात करने पर केवल एक फ़ुट गहरा गढ़ा मिला है। चाय की एक दूकान में काम करने वाले मुसलमान के एक लड़के के दाहिने हाथ की उँगली में चोट आई है।

—कराची का २०वीं जून का समाचार है कि शिकारपूर के बाज़ार में बम के जो विस्फोटक द्रव्य पाए गए थे, उसके सम्बन्ध में श्री० टेकचन्द्र को चार वर्ष के लिए सपरिश्रम कारावास दण्ड दिया गया और शेष दो अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया।

—चाँदपुर (बङ्गाल) का १६वीं जून का समाचार है कि हकीम अब्दुल हलीम अन्य आठ काँङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक शराब की दूकान पर बम के धड़ाके के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—कलकत्ते का २३वीं जून का समाचार है कि हरानचन्द्र साहा नामक एक बङ्गाली नौजवान हुगली ज़िला के भद्रेश्वर स्थान में चाय पीते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया है! पुलिस का सन्देह है कि मिदनापुर के मैजिस्ट्रेट मि० पेड्डी की हत्या का फ़रार अभियुक्त श्री० विमल कुमार दास गुप्त यही व्यक्ति हैं!

—कोयलवर और सतपहाड़ी (शाहाबाद) में बम फटने के सम्बन्ध में आरा में कई जगह तलाशियाँ हुईं किन्तु कोई सन्देहजनक वस्तु नहीं मिली। पहले के गिरफ़्तार व्यक्तियों के अतिरिक्त और कोई इधर गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई हैं।

मि० चर्चिल की बेतुकी बातें

मि० चर्चिल अपनी औंधी खोपड़ी और उससे निकली हुई लज़्ज़तदार बातों के लिए काफ़ी प्रख्यात हो चुके हैं। अभी उस दिन फ़ॉकस्टोन नामक स्थान में भाषण देते हुए बेचारे घबराहट में कुछ के कुछ बक गए। कानपुर के दङ्गे का कारण उन्होंने गाँधी-इर्विन समझौता बताया है और कहा कि अङ्गरेज़ भारत के शासन से ज़रा भी हाथ खींच लें तो भारत का सत्यानाश हो जाय। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि संस्कृति और सभ्यता के विकास का एक मात्र कारण गोरे शासक ही हैं! बात तो असल यह है कि मि० चर्चिल को कानपुर के मैजिस्ट्रेट मि० सेल पर दङ्गे का सारा अपराध प्रमाणित होना सर्वथा असह्य तथा अप्रिय था!

—महात्मा जी के राउण्डटेबुल कॉन्फ़्रेन्स में शामिल होने की ख़बर से लन्दन के भारतीयों में एक सनसनी फैल गई है। लन्दन की काँङ्ग्रेस कमिटी अभी से तैयारियाँ कर रही है और अनेक भारतीय संस्थाएँ भी इसमें ख़ूब ही दिलचस्पी ले रही हैं।

* * *

किसानों की कष्ट-कहानी

तूफ़ान और अकाल का भयङ्कर प्रकोप

जूट और तम्बाकू का भाव बेहद घट जाने के कारण रङ्गपुर के किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। जूट और तम्बाकू ही यहाँ की ख़ास उपज है और दोनों की हालत एक-सी हो रही है। पिछले साल मई मास में बड़े ज़ोरों का तूफ़ान आया था, जिससे कितने ही व्यक्ति बेघर के हो गए और अधिकांश फ़सल नष्ट हो गई। फिर जुलाई में भूकम्प हुआ, जिससे घर-बार की क्षति तो हुई ही, ब्रह्मपुत्र में अचानक भयङ्कर बाढ़ आ गई और फलतः ज़िले के अधिकांश हिस्सों की फ़सल एकदम नष्ट हो गई! इस समय अकाल का प्रकोप विशेषतः गायबाँधा सब-डिविज़न के शङ्कट्टा, फूलछड़ी और सुन्दरगञ्ज थानों में है, जिनका क्षेत्रफल ४५० वर्गमील है। सरकारी सहायता के अतिरिक्त वहाँ की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी सहायता कर रही है, जहाँ आठ सौ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इस समय प्रतिदिन दो सौ रुपए की औसत का ख़र्च है। अब तक ज़िले में किसानों को १,४२,००० रुपए क़र्ज़ दिए गए हैं! रामकृष्ण मिशन, मारवाड़ी रिलीफ़ सोसाइटी, स्थानीय काँङ्ग्रेस कमिटी तथा अन्यान्य संस्थाएँ भी इसमें बड़ी तत्परता से सहयोग प्रदान कर रही हैं। इस साल अच्छी फ़सल होने का शुभ-लक्षण दिखाई दे रहा है।

लगान के घट जाने पर भी ग़रीबी के मारे बेचारे किसान लगान देने में असमर्थ हैं; किन्तु ज़मींदार अत्याचार करने से बाज़ नहीं आते और बेगार तथा नज़राना के लिए उन दरिद्र किसानों को तबाह कर रहे हैं! वहाँ आस-पास के कई गाँवों में १४४ दफ़ा लगा दी गई है, जिसमें लगान के सम्बन्ध में कोई भाषण न दे सके।

किसान पीसे जा रहे हैं

ताल्लुक़ेदार और पुलिस वालों का प्रहार!

ख़बर है कि पं० माताप्रसाद और बा० शीतलासहाय जी ने, जो रायबरेली ज़िले में काँङ्ग्रेस कार्य करने गए थे, पं० जवाहरलाल जी के पास रिपोर्ट भेजी है, कि रायबरेली के किसानों को अवस्था अत्यन्त शोचनीय है। ताल्लुक़ेदार ज़ुल्म कर रहे हैं और सरकार उन्हें शह दे रही है! उनका कहना है कि मठगाँव नामक एक ग्राम में पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठियाँ बरसाईं, जिसके फल-स्वरूप बहुत लोग घायल हुए, जिनमें से कई इलाहाबाद काँङ्ग्रेस हस्पताल में लाए गए हैं। लाठी चलने का कारण यह बतलाया जाता है कि एक काँङ्ग्रेस कार्यकर्ता लगानबन्दी के सम्बन्ध में व्याख्यान देने के कारण गिरफ़्तार कर थाने की हिरासत में बन्द किया गया। कहा जाता है कि उसके छुड़ाने के लिए किसानों ने पुलिस से प्रार्थना की, किन्तु उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। इस पर वे किसान चौकी के पास ही डटे रहे। कहा जाता है कि इसीलिए पुलिस ने उन पर लाठियाँ चला दीं। पं० जवाहरलाल जी ने वचन दिया है, कि दिल्ली जाते समय वे रायबरेली जाकर स्वयं इस घटना की जाँच करेंगे। एक सब-कमिटी भी नियुक्त कर दी ग है, जो रायबरेली ज़िले में ताल्लुक़ेदारों के अत्याचारों के सम्बन्ध में जाँच करेगी।

—लाहौर का समाचार है कि गत २२वीं जून के प्रातःकाल एक हिन्दू की लाश पुलिस को मिली। जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि नौकरी न मिलने के कारण उस आदमी ने आत्म-हत्या कर ली थी।

* * *

"चार आने की माफ़ी"

ज़मींदार और किसानों में युद्ध का हृदयविदारक दृश्य

भटवरिया (इलाहाबाद) का हत्याकाण्ड क्यों और कैसे हुआ ?

इलाहाबाद ज़िला के अन्तर्गत भटवरिया नामक ग्राम के गोली और हत्या-काण्ड का समाचार पाठक 'भविष्य' के विगत अङ्क में पढ़ चुके होंगे, जिसमें वहाँ के ज़मींदार स्वर्गीय जवाद हुसेन भी अपने साथियों सहित मारे गए थे। इसी सम्बन्ध में स्थानीय शहर कॉङ्ग्रेस कमिटी के मन्त्री श्री० मुज़फ़्फ़र हुसेन ने कॉङ्ग्रेस-सम्बन्धी जाँच की एक रिपोर्ट हमारे पास प्रकाशनार्थ भेजी है, जो अविकल रूप में नीचे प्रकाशित है :—

जब हम लोगों को मालूम हुआ कि तहसील मञ्झनपुर में ज़मींदारों और काश्तकारों के दरम्यान फ़साद हो गया, तो हम लोग बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन, प्रेज़िडेण्ट ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी के कहने के मुताबिक़ एम्बुलेन्स कार और दो कम्पाउण्डरों को लेकर मौक़े-वारदात पर इस ख़्याल से रवाना हुए कि हर दो फ़रीक़ में से, जिसे भी तबई इमदाद की ज़रूरत हो, कॉङ्ग्रेस हॉस्पिटल में लाकर उसका इलाज करें और मौजूदा वाक़यात की जाँच-पड़ताल करें। हम तक़रीबन डेढ़ बजे यहाँ से रवाना हुए और छः बजे मौक़े-वारदात यानी भटवरिया पहुँचे और गाँव के अन्दर दाख़िल हुए। पुलिस वालों और दो-चार बुढ़ियों के अलावा, जो इन्तहाई परेशानी की हालत में गाँव में बैठी हुई थीं, गाँव में कोई आदमी न था, हर एक मकान बन्द था; अन्दर से और कोई बाहर से। जो मकान अन्दर से बन्द थे, उनके बारे में मालूम हुआ कि इस मकान को औरतों ने अन्दर से बन्द कर लिया है। दरियाफ़्त करने से मालूम हुआ कि गाँव के अन्दर महमूद ख़ाँ साहब डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस और दूसरे पुलिस के ऑफ़िसर तहक़ीकात में मसरूफ़ हैं। और गाँव के तमाम मर्द वहीं पकड़ कर बैठाए गए हैं, जिसमें हमें बताया गया कि ऐसे ज़ख़्मी भी मौजूद हैं, कि जिनके जिस्म में अब तक गोलियाँ या छर्रे भी मौजूद हैं। और एक अहीर के बारे में तो यहाँ तक बताया गया है, कि उसके गले में छुरा लगा है और उसकी हालत मख़दूस है। ख़ैर, हमने एक जगह बैठ कर इस मज़मून का ख़त डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के नाम तहरीर करके अपने कारकुन अलाबख़्श के मारफ़त रवाना किया, कि हम लोग इलाहाबाद से भटवरिया के फ़साद को सुन कर एम्बुलेन्स कार और कम्पाउण्डर्स लेकर इस ग़र्ज़ से आए हैं, कि ज़ख़्मियों का इलाज व मरहम-पट्टी करें, उम्मीद है कि आप हमें इसकी इजाज़त देंगे। अलाबख़्श ने वापस आकर यह बतलाया कि डिप्टी साहब शक्ल देखते ही बहुत बिगड़े और ख़ास पुलिस के लबोलहज़े में कहा कि कहाँ चले आते हो और क्या काम है? अला-बख़्श ने बढ़ कर ख़त उनके हाथ में दे दिया और उनसे कहा कि इसे पढ़ लीजिए, सब कुछ इसी में लिखा है। उन्होंने ख़त देख कर अलहदा डाल दिया और यह कहा कि तुम लोग गाँव में क्यों आए, तुम्हें मालूम नहीं है, कि यहाँ १४४ दफ़ा लगी है? अलाबख़्श ने कहा कि हमको तो इस दफ़ा १४४ की कोई इत्तला नहीं दी गई। इस पर उन्होंने अपने ख़ास टोन में फ़रमाया कि हम तुमसे कहते हैं, कि हमारी ज़बान १४४ है। अलाबख़्श यह कह कर चले आए, कि आप लिख कर हमारे पास भेजिए, तो हम इस पर ग़ौर करेंगे। अलाबख़्श को वापस आए पाँच मिनट भी नहीं गुज़रे थे, कि हम लोग जहाँ बैठे हुए थे, वहाँ एक साहब तशरीफ़ लाए, जो अपने को ज़मींदार साहब का मुलाज़िम बतलाते थे। उनके पीछे-पीछे दो-तीन कॉन्स्टेबिल थे। वे हम लोगों को मुख़ातिब करके यह फ़रमाने लगे कि आप ही लोगों ने किसानों को बिगाड़ा और फ़साद कराया है, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। जब उनसे यह कहा गया कि आप यह किस हैसियत से कहते हैं, और हम हरगिज़ यहाँ से नहीं जा सकते, तो वह बहुत बिगड़े और नामुलायम अलफ़ाज़ इस्तेमाल करने लगे। हम लोग ख़ामोश हो गए और उनसे बातचीत करने से इन्कार कर दिया। इस अरसे में अलाबख़्श से यह मालूम करके, कि ज़ख़्मी वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे दोनों कम्पाउण्डर वहाँ इस ख़्याल से गए, कि अगर मुमकिन हो तो वहीं पर उनकी कुछ मरहम-पट्टी की जावे। मगर डिप्टी साहब उनसे और भी ज़्यादा बिगड़े और यहाँ तक फ़रमाया कि तुम्हें कान पकड़ कर निकाल दिया जावेगा। आख़िर को वह भी यही कह कर वापस चले आए, कि आप तहरीरी नोटिस दीजिए, तब हम इस पर ग़ौर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग गाँव में चारों तरफ़ घूमते रहे और जो लोग मिल सके उनसे हालत दरियाफ़्त किया। क़रीब शाम को हम लोग भटवरिया से रवाना हुए। क़रीब के गाँव में सरसरी तहक़ीकात की, जिससे हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि भटवरिया के छः व सात घर के एक छोटे से मौज़े में ७ जून को जवादहुसेन साहब ज़मींदार सुबह-सवेरे—तक़रीबन १५० आदमी लेकर भटवरिया पहुँचे। गाँव के लोग भी यह देख कर इकट्ठा हो गए। जवाद-हुसेन साहब ने उन लोगों से कहा कि आज मैं देखूँगा कि कौन असली बाप का है, जो लगान अदा नहीं करता और क़सम खाई कि मैं आज बिना लगान लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। काश्तकारों ने उनसे कहा कि फ़सल ख़रीफ़ का लगान अदा कर चुके, रबी की माफ़ी का परचा हमें अब तक नहीं मिला, जब तक हमें ठीक-ठीक यह न मालूम हो कि कितनी माफ़ी हुई है और कॉङ्ग्रेस का यह हुक्म न मिल ले, तब तक लगान हम अदा नहीं कर सकते और न हमारे पास इतना रुपया है कि हम पूरा लगान अदा कर सकें। बाज़ काश्तकारों ने यह भी कहा कि २६ में भी माफ़ी हुई थी। आपने हमसे उस साल भी ज़बरदस्ती पूरा लगान वसूल कर लिया था, हम इस मरतबा बिला तय हुए न देंगे। और आपको इस साल की माफ़ी भी देनी होगी। इस अरसे में ज़मींदार के दो सिपाही अलहदा होकर काश्तकारों के पास आए और उनसे मुतालबाना अन्दाज़ में यह कहा कि लगान तुम्हें अदा करना पड़ेगा, चाहे अब दो या बाद में। अच्छा हो, अगर आज ही थोड़ा-बहुत लगान दे दो, क्या फ़ायदा कि झगड़ा-बखेड़ा हो। काश्तकारों ने कहा कि आज तो आप अपने साथ इतने आदमियों को लेकर आए हैं, आज तो लगान हम नहीं दे सकते। कल अगर आप हमेशा की तौर पर आवेंगे तो हम आपको कुछ न कुछ लगान देंगे। इतने ही में जवाद हुसेन साहब के साथियों ने थप्पड़ चला दिया। ज़वाद हुसेन साहब ने मना किया, मगर वह बिगड़े कि आप हमें फिर किस लिए लाए हैं। वे काश्तकारों को गालियाँ देने लगे और कहा कि आज हम इन्हें दुरुस्त कर देंगे। इसके बाद दोनों तरफ़ से थप्पड़बाज़ियाँ शुरू हो गईं, जब ख़ूब तेज़ी से थप्पड़बाज़ियाँ शुरू हुईं तो जवाद हुसेन साहब ने बन्दूक़ का फ़ायर करना शुरू किया, जिसमें एक दर्ज़ी मर कर गिरा और लोगों के ज़ख़्म आए। तब काश्तकार वहाँ से भागे और अपने-अपने घरों में घुस कर किवाड़ा बन्द कर लिया। ज़मींदार साहब के आदमी गाँव में घुस गए और लोगों के छप्पर वग़ैरह पीटने लगे और दो-तीन घरों में आग भी लगा दी। बाज़ लोगों का बयान है कि वह लोग कुछ आतशबाज़ी भी छुड़ा रहे थे और मकानों में आग इसी आतशबाज़ी से लगी है। इसके बाद भटवरिया का शोर-गुल व आग सुन कर दूसरे गाँव से काश्तकार इकट्ठे होकर इधर आ गए और इन्हें देख कर ज़मींदार के आदमी गाँव से बाहर भागे। गाँव के लोग भी मकानों से बाहर निकल आए और सब काश्तकार मिल कर हमलावर हुए। कुछ देर तक लड़ाई भी हुई और गोली भी चलती रही, उसके बाद ज़मींदार के आदमी भाग खड़े हुए। ख़ुश एतक़ाद लोगों का कहना है, कि ख़ुद-बख़ुद बन्दूक़ से फ़ायर होना बन्द हो गया और बाज़ लोगों का कहना है कि जवाद हुसेन साहब के पास की गोलियाँ ख़तम हो गईं और जो फ़ाज़िल कारतूस पेटी में लगा हुआ उनके मुलाज़िम के गले में था, वह उसके भाग जाने की वजह से उन्हें न मिल सका। नतीजा यह हुआ कि सब लोग भाग गए और जो पाँच-सात आदमी बाक़ी रहे थे, वह जान से मारे गए। बाज़ लोगों का बयान यह है कि उन मक़-तूलों में से भी बाज़ लोग शायद गोली से मरे। शहीदन जवाद हुसेन साहब की गोली का शिकार हो गया। इस वक़्त गाँव की हालत बहुत ख़राब है, पूरे गाँव पर पुलिस का सख़्त पहरा है, औरतें और बच्चे सख़्त परेशान हैं। उन्हें हम लोगों के पहुँचने से कुछ ढाढ़स हुआ और हमारे वापसी की ख़बर सुन कर वह बहुत परेशान हुए। पुलिस ने एक घर में घुस कर तमाम मर्दों को पकड़ कर हिरासत में कर लिया है, जिनको दाना-पानी भी नसीब नहीं होता, ज़ख़्मियों की मरहम-पट्टी तो बहुत दूर रही। यह भी बयान किया गया है, कि पुलिस ने बाज़ घरों से मर्दों को तलाश करते हुए कुछ ज़ेवर और मुख़्तलिफ़ सामान भी निकाल लिया है।

—मुज़फ़्फ़र हसन
मन्त्री
शहर कॉङ्ग्रेस कमिटी
प्रयाग

—शिवमूर्ति
मन्त्री
ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी
प्रयाग

* * *

किसानों पर भयङ्कर ज़ुल्म

लगान न देने के कारण गिरफ़्तारियाँ

अब तक १०० आदमी पकड़े गए।

लखनऊ के १८वीं जून के समाचारों से विदित होता है, कि उपज न होने के कारण वहाँ के किसान लगान चुकाने में सर्वथा असमर्थ हैं, इस कारण वे धड़ा-धड़ गिरफ़्तार किए जा रहे हैं।

गत १८वीं जून का बाराबङ्की ज़िले का समाचार है, कि दौलतपुर कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रधान बा० बलदेव-प्रसाद तथा ८ और व्यक्ति १०७वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए। अब तक वहाँ गिरफ़्तारियों की संख्या सौ तक पहुँच चुकी है। जेल में जल और भोजन की अत्यन्त दुर्व्यवस्था बताई जाती है।

"मैं क्रान्तिकारी हूँ और मुझे क्रान्तिकारी होने का गर्व है"

लाहौर के नए षड्यन्त्र केस में श्री० सुखदेवराज का सनसनीपूर्ण बयान !

मैजिस्ट्रेट दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता :: जेल-सुप० ने अदालत की आज्ञा ठुकरा दी !!

१३ जून को लाहौर सेन्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने श्री० सुखदेवराज फिर पेश किए गए।

सरकारी वकील रायबहादुर पण्डित ज्वालाप्रसाद ने, अभियुक्त सुखदेवराज की अर्ज़ी, जोकि उसने हरीकिशन को फाँसी के सम्बन्ध में अदालत के नाम लिखी थी और जिसे जेल के अधिकारियों ने रोक रक्खा था, आज ट्रिब्यूनल के सामने पेश की और कहा कि यह अर्ज़ी केवल प्रचार के अभिप्राय से लिखी गई थी। यह अर्ज़ी अख़बारों में न छपने देनी चाहिए।

अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा, कि यह अर्ज़ी जेल के अधिकारियों ने मुझसे ली थी, इसलिए वह मुझको ही मिलनी चाहिए। अर्ज़ी मिल जाने के बाद मैं इस बात पर विचार करूँगा, कि वह अदालत में पेश की जाय या न की जाय?

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अर्ज़ी अभियुक्त को न मिलनी चाहिए। यदि अभियुक्त यह अर्ज़ी अदालत में नहीं पेश करना चाहता, तो उसे जेल के अधिकारियों के पास वापस कर देनी चाहिए।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्त अर्ज़ी को अदालत में पेश करने या न करने के विषय में अपना मत परिवर्तन कर सकता है। अभियुक्त को उसकी अर्ज़ी उसे मिल जाना आवश्यक है। सम्भव है कि वह अदालत में पेश करने के पहले अपने वकील से इस बात की सलाह लेना चाहता हो, कि अर्ज़ी पेश की जाय या नहीं? जेल के अधिकारियों को यह निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है कि अदालत में पेश की जाने वाली कौन सी वस्तु आपत्तिजनक है और कौन सी ग़ैर-आपत्तिजनक है। आइन्दा से अब उन्हें अर्ज़ियों को सीधे अदालत में भेज देना चाहिए।

मि० सलीम— मान लीजिए कि अभियुक्त अपने वकील की सलाह से अर्ज़ी पेश करना चाहता है।

सरकारी वकील—यह तो ठीक है, परन्तु उस दिन अभियुक्त का कहना था, कि मैं तब तक अदालत की कार्रवाइयों में भाग न लूँगा, जब तक कि मेरी अर्ज़ी के सम्बन्ध में कोई निर्णय न हो जायगा।

सरकारी वकील की बौखलाहट

मि० सलीम—अदालत अभियुक्त को अपने उसी मत पर आज भी स्थिर रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

इस पर सरकारी वकील ने इस बात को ज़ोर देकर कहा कि अर्ज़ी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास लौटा दी जाय। सम्भव है कि सबूत-पक्ष को अभियुक्त की लिखावट प्रमाणित करने या उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए उसकी ज़रूरत पड़े। अदालत इसे अपनी मिसिल में दर्ज कर ले या कम से कम उसकी ज़ाब्ते की नक़ल ले ली जाय।

मि० श्यामलाल ने कहा कि यदि यही बात है तो सबूत-पक्ष अर्ज़ी के प्रकाशन को रोकने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अभियुक्त को अर्ज़ी के मिसिल में दर्ज हो जाने का कोई डर नहीं है।

ट्रिब्यूनल के एक सदस्य, रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने कहा, कि यद्यपि अभियुक्त ने उस दिन कहा था कि जब तक अर्ज़ी का निर्णय न हो जायगा, तब तक मैं अदालत की कार्रवाई में भाग न लूँगा, फिर भी उसे अपनी अर्ज़ी वापस लेने का अधिकार है।

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि वह चाहे तो अपनी अर्ज़ी नष्ट कर सकता है।

सरकारी वकील ने कहा—मैंने इसे अदालत की आज्ञा से पेश किया है।

रायबहादुर गङ्गाराम—परन्तु वह अभियुक्त की तरफ़ से पेश हुई समझी जायगी।

सरकारी वकील—नहीं-नहीं, यह बात नहीं है। अगर अर्ज़ी अदालत में पेश न की जाय, तो वह जेल-अधिकारियों के पास वापस भेज देने के लिए मुझे मिल जानी चाहिए। वह मेरे अधिकार में है और मेरे विश्वास पर दी गई है।

रायबहादुर गङ्गाराम—परन्तु आपका अधिकार अनुचित है। उसका हक़दार अभियुक्त है।

इस पर मि० सलीम ने सरकारी वकील से कहा कि जब अभियुक्त कहता है कि मैं अर्ज़ी पेश करूँगा, तब आप कहते हैं कि वह पेश नहीं होनी चाहिए और अब जब वह कहता है कि मैं नहीं पेश करूँगा तब आप कहते हैं कि उसे ज़रूर पेश करनी चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं समझने में असमर्थ हूँ।

सरकारी वकील ने कहा—जेल-अधिकारी अर्ज़ी को वापस चाहते हैं। वे उसे अभियुक्त के आमालनामा (History Ticket) में दर्ज कर सकते हैं या उससे और कोई लाभ उठा सकते हैं।

इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि जेल के नियमों का इस रीति से प्रयोग न होना चाहिए कि अभियुक्त की सफ़ाई में बाधा पड़े। यदि अभियुक्त यह समझ लेगा कि जेल में उसकी लिखी हुई कोई भी अर्ज़ी उसके वकील के देखने के पहले ही अदालत या सबूत-पक्ष देख सकता है, तो अभियुक्त के लिए कोई भी अर्ज़ी लिखना या अपने वकील से सलाह लेना मुश्किल हो जायगा। अदालत और सरकारी वकील को अभियुक्त और उसके वकील के बीच के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सफ़ाई के वकील की अर्ज़ी

मि० श्यामलाल ने अभियुक्त की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए निम्न-लिखित अर्ज़ी अदालत के सामने पेश की।

(१) १० जून को अभियुक्त सुखदेवराज ने जेल में अदालत के सामने पेश करने के लिए कुछ अर्ज़ियाँ लिखी थीं।

(२) जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उन अर्ज़ियों को अदालत में पेश करने की इजाज़त नहीं दी।

(३) अभियुक्त ने अदालत आने पर सुपरिण्टेण्डेण्ट के इस कार्य का विरोध किया। इस पर अदालत ने उन अर्ज़ियों के पेश करने का हुक्म जारी किया।

(४) हुक्म पर सुपरिण्टेण्डेण्ट ने एक अर्ज़ी तो भेजी, किन्तु दूसरी रोक ली।

(५) अभियुक्त ने अदालत से प्रार्थना की कि सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास से आई हुई अर्ज़ी मुझे दे दी जाय, जिससे अदालत के सामने पेश करने के पहले मैं उस पर विचार कर लूँ।

(६) दूसरी अर्ज़ी के सम्बन्ध में, जिसे जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने रोक रक्खी थी, अदालत ने सुपरिण्टेण्डेण्ट को एक नोटिस दिया। जिसमें उनसे अभियुक्त की अर्ज़ी रोक रखने का कारण पूछा गया था और यह भी पूछा गया था कि भविष्य में ऐसी अर्ज़ी रोकने के लिए तुमसे कैफ़ियत तलब क्यों न की जाय?

(७) इस पर १३ जून को सरकारी वकील ने वह अर्ज़ी पेश की और कहा कि ग़लती से जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने वह अर्ज़ी रोक ली थी।

(८) इस पर अभियुक्त ने अदालत से प्रार्थना की कि अर्ज़ियाँ मुझे वापस मिल जायँ, जिससे मैं अदालत में पेश करने के पहले उन पर अपने वकील की सलाह ले सकूँ।

(९) सरकारी वकील ने इस प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अर्ज़ियाँ जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास वापस भेज दी जायँ, अर्ज़ियों में लिखी हुई बातें अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाण-रूप में प्रयुक्त की जा सकती हैं।

(१०) अब अभियुक्त की सफ़ाई के सम्बन्ध में एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस अर्ज़ी को जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने रोक रक्खी थी, उसकी ज़रूरत केवल १० जून तक थी, उसके बाद किसी दूसरी तारीख़ को पेश करने का कोई तात्पर्य नहीं है। अभियुक्त उपर्युक्त तारीख़ को अर्ज़ी उपस्थित करने से रोक लिया गया, परन्तु फिर भी सबूत-पक्ष उस अर्ज़ी का, अभियुक्त के विरुद्ध सबूत के लिए उपयोग करना चाहता है।

(११) क़ानून के मुताबिक़ अभियुक्त को उसकी सफ़ाई के लिए पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए। यह अदालत जेल के उन नियमों के प्रयोग की इजाज़त न दे, जिनसे अभियुक्त की सफ़ाई में बाधा पड़ती हो।

(१२) अगर अदालत या सबूत-पक्ष अभियुक्त और उसके वकील के बीच किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने लगे तो अभियुक्त के लिए कोई अर्ज़ी लिखना या अपने वकील से सलाह लेना मुश्किल हो जायगा।

(१३) ऐसी कठिनाइयाँ सम्भवतः आगे भी पड़ सकती हैं, इसलिए अभियुक्त अदालत से निम्न-लिखित हुक्म जारी कर देने की प्रार्थना करता है:—

(क) यह कि अभियुक्त को लिखी हुई अर्ज़ी साथ लाने, अदालत और सबूत-पक्ष को अर्ज़ी में लिखी बातों को न जानने देने और अदालत के सामने अर्ज़ी पेश करने के पहले वकील से सलाह लेने का अधिकार रहे।

(ख) यह कि जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को ऐसी अर्ज़ी रोक लेने का कोई अधिकार नहीं है।

(ग) किसी भी हालत में जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह अधिकार नहीं है, कि इस तरह की अर्ज़ियों को सबूत-पक्ष को दे दे।

सरकारी वकील का विरोध

सरकारी वकील ने इस अर्ज़ी का विरोध किया और कहा कि इसका एक मात्र तात्पर्य समाचार-पत्रों में प्रचार के लिए छपाना है।

मि० श्यामलाल ने कहा—मैं सरकारी वकील के इस आक्षेप का, कि हमारा उद्देश्य केवल प्रचार-कार्य करना है, अभियुक्तों के हितों की रक्षा करना नहीं है, ज़बर्दस्त विरोध करता हूँ।

इस पर ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि सरकारी वकील को सफ़ाई के वकील के प्रति कहे हुए शब्दों का स्पष्टीकरण करना चाहिए ।

सरकारी वकील—मेरे कथन का उद्देश्य मि० श्यामलाल पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप करना नहीं है ।

मि० श्यामलाल ने कहा कि मैं सरकारी वकील के उद्देश्य को मान लेता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी अर्ज़ी का उद्देश्य अभियुक्त की स्थिति को अदालत के सामने बिल्कुल स्पष्ट करना मात्र है ।

इसके बाद आपने हाईकोर्ट के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि जेल के अधिकारी अगर अभियुक्त की सफ़ाई में किसी प्रकार की बाधा डालते हों तो अदालत को अख़्तियार है कि वह अभियुक्त के हितों की रक्षा करे ।

मि० सलीम—आप अदालत से क्या चाहते हैं ?

मि० श्यामलाल—मैं चाहता हूँ कि अर्ज़ियाँ सुखदेवराज को लौटा दी जायँ और सुपरिण्टेण्डेण्ट को इस बात की हिदायत कर दो जाय, कि आगे से वह ऐसी अर्ज़ी रोक न रक्खें ।

इसके बाद प्रेज़िडेण्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि आप इस अर्ज़ी को क्यों रख लेना चाहते हैं ?

सरकारी वकील—सबूत-पक्ष के लिए यह एक गवाही का कार्य करेगी । मैं इसके द्वारा प्रमाणित करूँगा कि अभियुक्त क्रान्तिकारी है, क्योंकि अर्ज़ी में वह श्री० हरीकिशन को अपना साथी कहता है और उसके कार्यों की प्रशंसा करता है ।

"मुझे क्रान्तिकारी होने का गर्व है"

मि० श्यामलाल—मैं फिर से इस बात पर ज़ोर देता हूँ, कि अभियुक्त को अपनी अर्ज़ियाँ वापस पाने का अधिकार है । अभियुक्त अपने आपको क्रान्तिकारी स्वीकार करने से डरता नहीं । इधर-उधर के हवालों से क्रान्तिकारी साबित करने की क्या आवश्यकता है ? मैं अभियुक्त की तरफ़ से अदालत के सामने एक अर्ज़ी पेश करने वाला हूँ, जिसमें उसने अपने आपको क्रान्तिकारी स्वीकार किया है और उसके लिए उसे गर्व है । लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं, कि वह अपनी अर्ज़ी वापस पाने के क़ानूनी हक़ से वञ्चित रहे ।

इसके बाद मि० श्यामलाल ने श्री० सुखदेवराज के हाथ की लिखी हुई निम्न-लिखित अर्ज़ी अदालत के सामने पेश कर दी ।

"सबूत-पक्ष की घृणित चालें"

"शुरू गिरफ़्तारी के समय से ही सबूत की तरफ़ से जैसी घृणित चालें मेरे साथ चली जा रही हैं और उनसे मेरी सफ़ाई के प्रबन्धों में जैसी बाधाएँ पहुँचाई जा रही हैं, उन्हें देखते हुए मैं निम्न-लिखित बातें अदालत के सामने उपस्थित कर देना चाहता हूँ :—

(१) ३री मई को गिरफ़्तार होते ही मैं तुरन्त लाहौर फ़ोर्ट पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया । मैंने अपने वकील से मिलने की इजाज़त के लिए दरख़्वास्त दी, परन्तु पुलिस अधिकारियों ने साफ़ नामञ्ज़ूर कर देने तक की कृपा नहीं दिखलाई । मेरी और मेरे वकील की अर्ज़ियाँ पड़ी रहीं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया । यदि मेरी ओर से इस अदालत ने हस्तक्षेप न किया होता, तो शायद अब तक भी मैं पुलिस की हिरासत में ही पड़ा रहता ।

(२) पुलिस ने १५-१५ दिन के बीच में दो बार मैजिस्ट्रेट की अदालत से मुहलतें लीं । पहले दफ़ा मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की मुहलत की दरख़्वास्त एक मिनट में ही मञ्ज़ूर कर ली । उन्होंने अभियुक्त की बात को धैर्य देकर सुनना भी अनुचित समझा । दूसरी दफ़ा पुलिस की मुहलत की दरख़्वास्त मेरी ग़ैर-मौजूदगी में ही मञ्ज़ूर करके बाद में उसकी ख़बर मेरे पास पहुँचा दी गई !

मैजिस्ट्रेटों ने मेरी शिकायत दर्ज करने से इन्कार कर दिया

(३) शिनाख़्त-परेड के समय मैजिस्ट्रेटों ने, परेड के समय की ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाइयों के विरुद्ध मेरी जो शिकायत थी, उसे बार-बार प्रार्थना करने पर भी लिखने से इन्कार कर दिया । मैजिस्ट्रेटों ने शिनाख़्त-परेड के समय मेरे वकील को उपस्थित रहने की भी इजाज़त नहीं दी । व्यवहार से मैजिस्ट्रेट पुलिस अफ़सरों के मातहत मालूम पड़ते थे, स्वतन्त्र विचार के नहीं । ऐसी शासन-प्रणाली में, जिसमें न्याय-विभाग कार्यकारिणी के हाथ का यन्त्र है, अमन और क़ानून की रक्षा का जैसा रुख़ होना चाहिए वैसा ही उनका था । बेचारा मैजिस्ट्रेट दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता । या तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करे या रोटी देने वाली कार्यकारिणी की इच्छाओं का पालन करे ।

(४) २री जून को पुलिस की दोनों मुहलतों के बीत जाने पर मैं न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया और साथ ही अदालत की ओर से हिदायत कर दी गई कि मैं इस केस के अन्य अभियुक्तों के साथ ही रक्खा जाऊँ, जिससे सफ़ाई के सम्बन्ध में पारस्परिक परामर्श करने में सुविधा हो । परन्तु जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इन आज्ञाओं का उल्लङ्घन करना ही उचित समझा और मुझे १४० नं० के कमरे में बन्द करने की इज़्ज़त प्रदान की, जिसमें सरदार भगतसिंह और राजगुरु अपनी फाँसियों के थोड़े ही पहले रह चुके थे । ४थी जून को जाकर कहीं मैं अपने केस के अन्य सहयोगी अभियुक्तों के साथ रक्खा गया ।

(५) ६ ठी जून को पूर्वाह्न के समय, जब कि मेरे सहयोगी अभियुक्त अदालत में हाज़िर थे, मैं जेल के फाटक पर मुलाक़ात करने के लिए कह कर बुलाया गया । परन्तु वहाँ आने पर मुलाक़ात के बजाय, मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि मैं दण्ड-गृह में पहुँचाया जा रहा हूँ । डिप्टी जेलर ने मुझसे कहा कि अदालत से भी उच्च, राजसत्ता के हुक्म के मुताबिक़ अदालत का वह हुक्म, जिसके अनुसार तुम्हें अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त दे दी गई थी, हटा लिया गया । उच्च राजसत्ता ने, जिसका अर्थ प्रान्तीय गवर्नमेण्ट है, मेरे लिए कालकोठरी का भी हुक्म दिया है, क्योंकि मेरी कोठरी के ५० गज़ इर्दगिर्द कोई भी राजनीतिक या अन्य प्रकार का बन्दी नहीं आ सकता ।

उपरोक्त बातों से यह साफ़ ज़ाहिर है कि गवर्नमेण्ट ईमानदारी का बर्ताव नहीं कर रही है । इस केस में हम लोगों को दण्डित करने के लिए उसे अपने पक्ष की प्रबलता पर विश्वास नहीं है । वह निन्दनीय उपायों से सफ़ाई के कार्यों में बाधाएँ उपस्थित करके हम लोगों को दण्डित करना चाहती है । सबूत-पक्ष मेरे और मेरे साथियों के विरुद्ध चलने वाले केस की कमज़ोरी से भली-भाँति परिचित है, इस कारण उसने नीच प्रकार की चालों का आश्रय ग्रहण किया है । सफ़ाई का सङ्गठित प्रबन्ध होने पर यह केस ताशों द्वारा बने हुए घर की तरह नष्ट-भ्रष्ट हो सकता है । अदालत के यह फ़ैसला कर देने के बाद, कि मैं अन्य अभियुक्तों के साथ ही रक्खा जाऊँ, सबूत-पक्ष का प्रान्तीय गवर्नमेण्ट द्वारा अदालत के हुक्म को बदलवा देने का कार्य निश्चय ही सम्मानपूर्ण नहीं कहा जा सकता । श्रीमान, मेरा तो कथन है कि सबूत-पक्ष क़ानून को अपने हाथों में उठाए ले रहा है । उसका जो भाव है वह अदालत की तौहीन करने का एक स्पष्ट केस है । मुझे अन्य अभियुक्तों से अलग रखने के मामले में सबूत-पक्ष जब अदालत द्वारा असफल हुआ, तब उसने अदालत के हुक्म का अतिक्रमण करने का एक दूसरा उपाय सोचा और उसमें सफलता प्राप्त कर ली । यह ऐसा उद्धत कार्य है, जो भलमनसाहत से दूर है !

शेर-बकरी सम्मेलन

"मुक़दमा महज़ पाखण्ड है"

गवर्नमेण्ट ने अपनी उद्धत नीति के द्वारा यह बात साबित कर दी है कि यह मुक़दमा निरा पाखण्ड है । वह इस अदालत के फ़ैसले को तभी तक मानेगी, जब तक वह उसके हितों के विरुद्ध नहीं है । अपने विरुद्ध फ़ैसला होने पर वह उस फ़ैसले को शून्य बना देने के लिए किस हद तक जा सकती है, यह उसने अभी दिखला दिया है । अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाले कमज़ोर, परन्तु सच्चे विद्रोहियों को कुचल डालने के लिए सम्पूर्ण शासन-यन्त्र का प्रयोग करने तक से वह नहीं हिचकती । मैं क्रान्तिकारी हूँ और मुझे क्रान्तिकारी होने का गर्व है । सबूत-पक्ष को ईमानदारी से काम लेना चाहिए, अन्यथा इस मुक़दमे से फ़ायदा ही क्या है ? अदालत में अभियुक्तों के सहयोग की आवश्यकता ही क्या है ? अदालत द्वारा अभियुक्तों के छोड़ दिए जाने पर भी सबूत-पक्ष उन्हें छोड़ने से इन्कार कर देगा और सम्भव है कि सन् १८१८ के तीसरे रेगूलेशन के अनुसार उन्हें रोक रक्खा जाय ।

मैंने अपना केस जहाँ तक सम्भव था, स्पष्टता के साथ

प्रकट कर दिया है। अदालत से मेरी प्रार्थना है कि वह सबूत-पक्ष की ग़ैर-कानूनी कार्यवाहियों के विरुद्ध अपनी शक्ति का परिचय दे और अभियुक्तों के हित की रक्षा करे। यदि मुक़दमा न्याय से होना है, तो दोनों दलों को अदालत के प्रभुत्व को मानना चाहिए, अन्यथा सब व्यर्थ है।

आशा है कि मेरी शिकायतों को शीघ्र ही दूर किया जायगा।

इसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि सुखदेवराज की अर्ज़ी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास सुखदेवराज को लौटा देने के लिए भेज दी जाय। आगे के लिए अदालत ने कहा कि मौक़ा पड़ने पर हुक्म दिया जायगा।

इसके बाद अदालत की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

ता० १६ जून—आज जलपान के बाद अदालत के बैठने पर श्री० सुखदेवराज की फिर पेशी हुई। दर्शकों की गैलरी खचाखच भरी हुई थी।

अभियुक्त सुखदेवराज ने अपने सहयोगी अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने के विरोध में एक अर्ज़ी दी थी, उसी पर अभियुक्त की तरफ़ से मि० श्यामलाल ने आज बहस की।

अर्ज़ी में कहा गया था, कि अभियुक्त अदालत के २ जून वाले हुक्म के अनुसार न्याय-विभाग की हिरासत में कर दिया गया था। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुन लेने के बाद यह भी सिफ़ारिश की थी कि अभियुक्त सुखदेवराज अपने केस के अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रक्खा जा सकता है। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने अदालत की सिफ़ारिश का पालन किया; परन्तु ६ जून को अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से फिर अलग कर दिया गया, जिसका कारण जेल के नियमों का कोई उल्लङ्घन नहीं था, बल्कि प्रान्तीय सरकार का हुक्म था !! अर्ज़ी में यह भी कहा गया था कि अभियुक्त जेल के अन्य क़ैदियों से बिल्कुल अलग एक कालकोठरी में रक्खा गया है। अभियुक्त ने ट्रिब्यूनल से प्रार्थना की, कि वह सरकारी वकील से गवर्नमेण्ट द्वारा जारी किए गए इस हुक्म का कारण पूछे, जो यदि सन्तोषजनक न समझ पड़े, तो ट्रिब्यूनल अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दे दे। यदि ट्रिब्यूनल की आज्ञाओं या सिफ़ारिशों का पालन न हो सके, तो अभियुक्त को ज़मानत पर ही छोड़ दिया जाय।

अर्ज़ी ख़ारिज

मि० श्यामलाल ने अदालत से पूछा कि क्या सुखदेवराज के अन्य अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने के कारण के विषय में जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट का कोई उत्तर आया है?

प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि इस विषय में वहाँ से कोई ख़बर नहीं आई है।

मि० श्यामलाल ने कहा कि क़ैदियों के अलग रखने के विषय में स्त्री-पुरुष-भेद का या श्रेणी-भेद का विचार किया जाता है। अदालत से दण्डित हो जाने वाले क़ैदी तक आपस में मिलने-जुलने से वञ्चित नहीं किए जाते। यदि किसी श्रेणी में केवल एक ही क़ैदी होता है, तो उसे अन्य श्रेणी के क़ैदियों से मिलने-जुलने दिया जाता है।

मि० सलीम—आपका मतलब यह है कि सुखदेवराज को अलग रखना अनिश्चित समय तक के लिए काल-कोठरी में रखने के बराबर है?

मि० श्यामलाल—जी हाँ, क़ैदी के लिए एकान्तवास से बढ़ कर और कोई दण्ड नहीं हो सकता। केस के अधिक समय तक चलने की सम्भावना है। यह सम्भव है कि इस एकान्तवास का अभियुक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। इस तरह से बिल्कुल अलग रखने से उसकी सफ़ाई में भी बाधा पड़ेगी। ऐसी हालत में, जब कि अभियुक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो और उसकी सफ़ाई में बाधा पड़ती हो, अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

मि० श्यामलाल ने कहा कि इस सम्बन्ध में मैं हाईकोर्ट में ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ४६-ए के अनुसार कार्रवाई करने वाला हूँ। अदालत से मेरी प्रार्थना है, कि वह इस केस की सुनवाई तब तक के लिए स्थगित कर दे। इस पर ट्रिब्यूनल ने २२ ता० तक के लिए केस स्थगित कर दिया।

दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के मुख़बिर ख़ैरातीराम की जिरह स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने आज भी जारी रही।

मि० श्यामलाल के जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा, कि लाहौर फ़ोर्ट में अभियुक्तों की शिनाख़्त होने के समय मैं नहीं जानता था कि मुझे माफ़ी मिल जायगी। लॉयलपुर की कुछ जगहों के पते बतलाने पर मुझे माफ़ी मिली थी। पहरा देने वाले के हाथ मैंने सी० आई० डी० अफ़सरों के पास एक ख़बर भेजी थी, जिसका अभिप्राय यह था कि वे सरकारी वकील से कह कर मेरी तरफ़ से अदालत में एक ऐसी अर्ज़ी दाख़िल कर दें, जिससे मैं जेल की हिरासत से बदल कर लाहौर-फ़ोर्ट की हिरासत में कर दिया जाऊँ, क्योंकि जेल में मेरा स्वास्थ्य बराबर ख़राब होता जा रहा था। यह ख़बर मैंने लाहौर सेन्ट्रल जेल में आने के एक सप्ताह बाद भेजी थी। चार कॉन्स्टेबिल, नूर हुसेन नाम के एक हेड कॉन्स्टेबिल के साथ मेरे पहरे पर तैनात थे। लाहौर फ़ोर्ट में हेड कॉन्स्टेबिल तो दिखलाई पड़ता था, परन्तु वे चार कॉन्स्टेबिल वहाँ नहीं थे। ख़बर भेजने के बाद मुझसे कोई पुलिस अफ़सर नहीं मिला, सिर्फ़ सरकारी वकील और एक मैजिस्ट्रेट जेल में मुझसे मिलने के लिए आए थे।

मुख़बिर की अर्ज़ी

मि० अमोलकराम कपूर के जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा, कि जिस दिन मुझसे सरकारी वकील और मैजिस्ट्रेट मिले थे, उस दिन मैंने एक काग़ज़ पर हस्ताक्षर किया था। काग़ज़ मुझे मैजिस्ट्रेट ने दिया था। उसे पढ़ लेने के बाद मैंने उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। सरकारी वकील से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। वह काग़ज़ मेरी ओर से लिखी हुई अर्ज़ी थी, जिसमें लिखा था कि मेरा स्वास्थ्य जेल में बराबर ख़राब होता जा रहा है, इसलिए जेल से बदल कर मैं लाहौर-फ़ोर्ट में कर दिया जाऊँ या ज़मानत पर छोड़ दिया जाऊँ। अर्ज़ी में यह भी लिखा था, कि सेन्ट्रल जेल में मुझे जान का ख़तरा मालूम होता है।

फ़ोर्ट में

आगे जिरह करने पर मुख़बिर वह तारीख़ या महीना नहीं बतला सका, जब उसके पिता और भाई जेल में उससे मिले थे। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि मुझे यह याद नहीं, कि वे मुझसे मैजिस्ट्रेट के सामने मेरे बयान हो जाने के पहले मिले थे या बाद। मैं अदालत में १४ जनवरी, सन् १९३१ को हाज़िर हुआ था। मेरे पिता और भाई मुझसे इसके पहले ही मिल चुके थे। १४ जनवरी के बाद मैं उनसे दो बार मिला था। किन्तु मिलने की तारीख़ें मुझे याद नहीं हैं। लाहौर फ़ोर्ट में मैं अपनी कोठरी में रहा करता था। शौच क्रियादि और स्नान के समय के अतिरिक्त कोठरी के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिली थी। माफ़ी मिल जाने के बाद, दिन और रात दोनों वक़्त, मैं कोठरी में ही रक्खा जाता था। माफ़ी मिलने के पहले दिन के वक़्त मैं कोठरी के अन्दर हथकड़ियाँ डाल कर और रात के वक़्त एक हाथ में हथकड़ी डाल कर, जिसकी ज़ञ्जीर कॉन्स्टेबिल की चारपाई से बँधी रहती थी, खुले में रक्खा जाता था।

इसके बाद अदालत की कार्रवाई स्थगित हो गई।

आज ही मुख़बिर इन्द्रपाल की उस अर्ज़ी पर भी विचार हुआ, जिसमें कहा गया था, कि मुख़बिर को क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त दी जाय, क्योंकि हाईकोर्ट में वह ज़मानत पर छोड़े जाने के लिए एक अर्ज़ी पेश करना चाहता है।

सरकारी वकील ने कहा कि अदालत किस क़ानून के अनुसार मुख़बिर को क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त दे सकती है? जेल के नियमों के अनुसार अदालत अभियुक्त को केवल गवाही के लिए बुला सकती है; दूसरे किसी भी कार्य के लिए वह उसे नहीं बुला सकती। अदालत में हाज़िर होने के वक़्त भी अभियुक्त जेल-अधिकारियों की हिरासत में रहता है।

इस पर रायबहादुर गङ्गाराम ने कहा कि यदि अदालत अभियुक्त को ज़मानत पर छोड़ सकती है, तो क्या वह अदालत में क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकती?

इस पर पण्डित ज्वालाप्रसाद ने कहा कि अदालत को इन मामलों में वहाँ तक अख़्तयार है, जहाँ तक किसी जेल-नियम का उल्लङ्घन नहीं होता। इस केस में इन्द्रपाल के विरुद्ध कोई मामला नहीं चल रहा है और न वह कोई अभियुक्त ही है। वह सबूत-पक्ष का एक गवाह है, जिसका बयान अभी समाप्त नहीं हुआ है।

अदालत ने अर्ज़ी मन्ज़ूर कर ली और क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़त दे दी गई।

(क्रमशः)

* * *

'भगतसिंह प्रिवी कौन्सिल अपील-फ़ण्ड' का हिसाब

लाहौर १८ जून—कुमारी लज्जावती ने "भगतसिंह प्रिवी कौन्सिल अपील-फ़ण्ड" का निम्न-लिखित हिसाब प्रकाशित किया है:—

आय	व्यय
१२,८६१।।।=)।	सॉलिसिटर की फ़ीस २,७०६।।।-)।।।
	फ़ैसले की नक़ल आदि के लिए ८७०)
(इसमें १,९७६।।।=) मेहता अमरनाथ के द्वारा प्राप्त हुए थे)	(इसी में वे रुपए भी शामिल हैं, जो रामशरणदास आदि के मामले की पैरवी में ख़र्च किए गए थे।
	अन्य ... ... ५६७-)।।।
	प्रिवी कौन्सिल में श्री० हरीकिशन के मामले की पैरवी के लिए पं० जवाहरलाल की अनुमति से पं० सन्तानम ने ख़र्च किया—१,०००)
१२,८६१।।।=)।	५,१४३।।।≡)।

इस प्रकार ७,७४७।।।≡) बाक़ी बचते हैं। इसमें से ६७।।) मेहता अमरनाथ के पास था। उन्होंने मुझे वह रुपया भगतसिंह प्रिवी कौन्सिल अपील-फ़ण्ड में ले लेने का अधिकार दिया है। बाक़ी रुपए अर्थात् ७,६८६।=) पं० जवाहरलाल जी के पास गत मई मास में भेज दिए गए। वे एक कमिटी क़ायम करेंगे, जो इसी प्रकार के मामलों की पैरवी में ये रुपए ख़र्च करेगी, या इस प्रकार के मामलों के अभियुक्तों के सम्बन्धियों को (यदि आवश्यक हो तो) सहायता प्रदान करेगी। ६१।।)।। का एक चेक उनके पास शीघ्र ही भेज दिया जायगा।

२५ जून, सन् १९३१

गाँधी-इर्विन समझौते का श्राद्ध !

गोलमेज़ का भविष्य

गवर्नमेण्ट की उस मूर्खता की आलोचना करते हुए, जिससे प्रेरित होकर स्वर्गीय सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों को फाँसी पर लटका दिया गया था—हमने 'भविष्य' के कॉङ्गरेस-अङ्क में लिखा था—"××× कि यद्यपि गाँधी-इर्विन समझौते की सफलता पर एक ओर जहाँ अधिकांश जनता ने हर्ष और सन्तोष प्रकट किया था, वहाँ दूसरी ओर एक छोटा-सा दल ऐसा भी था, जिसने सदा इस समझौते को सन्देह एवं घृणा की दृष्टि से देखा था; दुर्भाग्य से आज देश में ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसने बलात् बहुमत को दूसरे दल वालों की दूरदर्शिता का क़ायल कर दिया है और २२वीं मार्च को देश का जो सब से कमज़ोर दल था, वही स्वेच्छाचारिता का पुट पाकर २३वीं मार्च की शाम को देश का सब से प्रबल अङ्ग बन गया है। आज एक ऐसा दल भी देश में उपस्थित हो गया है, जो महात्मा गाँधी के नेतृत्व में कार्य करना चाहता अवश्य है, किन्तु इच्छा से नहीं; बाध्य होकर! क्योंकि देश के समक्ष कोई दूसरा कार्यक्रम उपस्थित ही नहीं है, अतएव कर्तव्य समझ कर ही यह दल महात्मा गाँधी और उनकी राजनीति का साथ दे रहा है। गर्म-दल के नवयुवक तो आज खुले-आम महात्मा जी को गालियाँ दे रहे हैं। बम्बई में मज़दूर-दल के नेताओं ने "गाँधी का नाश हो" के खुले नारे लगाए थे और २४वीं मार्च का समाचार है, कि कराची पहुँचने पर एक दल ने महात्मा गाँधी का काले झण्डे लेकर इसी प्रकार के नारों से स्वागत किया है।

"हमें नेताओं की ज़रूरत नहीं", "गाँधी-इर्विन समझौते का नाश हो", "महात्मा गाँधी का नाश हो" आदि अनेक प्रकार के नारों द्वारा देश के पूज्य एवं प्रतिष्ठित नेताओं का स्वागत होना, भविष्य के गर्भ में छिपी हुई एक विषम परिस्थिति का परिचायक है, इसमें सन्देह नहीं।×××"

आज हम देख रहे हैं, हमारी ये पंक्तियाँ निराधार नहीं थीं और अपनी धारणा की पुष्टि में हम आज जितने प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं, उतने प्रमाण पहिले उपस्थित करना शायद हमारे लिए सम्भव न था। पिछले लगभग चार महीनों में जिन विचारशील लोगों ने ब्रिटिश मनोवृत्ति और उसकी समय-समय पर निर्मित होने वाली चालों का अध्ययन किया होगा, वे सहज ही समझ सकते हैं, कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट का लॉर्ड इर्विन को मध्यस्थ बना कर समझौते के लिए हाथ बढ़ाना कूटनिति की एक अन्यतम चाल थी और अपनी इस चाल में उसे पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई। कॉङ्ग्रेस ने महात्मा गाँधी को मध्यस्थ बना कर जो सौदा मोल लिया था—उस पर टिप्पणी करना इस समय हमारा अभीष्ट नहीं है; किन्तु इतना हम अवश्य कह देना चाहते हैं, कि यह सौदा बहुत मँहगा हुआ था! बचन-बद्ध कॉङ्ग्रेस यह बात समझती न हो, सो बात नहीं है; किन्तु अब उसके सामने कोई उपाय भी तो शेष नहीं रह गया है! इस समय 'साँप-छछूँदर' वाला मसला उसके लिए अक्षरशः चरितार्थ हो रहा है। न वह निगल सकती है और न थूक ही सकती है, अस्तु।

गवर्नमेण्ट की ओर से समझौते के लिए हाथ बढ़ाए जाने का कारण स्पष्ट है। भारत-जैसे पराधीन और सदियों के ग़ुलाम देश की सर्वथा असहाय एवं निःशस्त्र जनता ने विगत राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी स्वातन्त्र्य-पिपासा का जो अनुपम उदाहरण ब्रिटिश-सिंह के सामने उपस्थित किया है, उसकी स्वप्न में भी उसे आशा नहीं थी। वास्तव में जिस मूल्य पर आज भारतवासी स्वतन्त्रता का सौदा कर रहे हैं, वह संसार के इतिहास में अद्वितीय है। एक ऐसी भीषण परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए ब्रिटिश-सिंह उस समय तैयार नहीं था। उसके पास उस समय, न तो सङ्गठित साधन ही उपस्थित थे और न वह भारत के सम्बन्ध में एक निश्चित-नीति का ही निर्णय कर सका था, अतएव ब्रिटेन को इस विषम परिस्थिति को समझने एवं एक निश्चित-नीति के निर्णय करने के लिए थोड़े समय की आवश्यकता थी, जो उसे सहज ही प्राप्त हो गई। हमारी तो निश्चित-धारणा है, कि यदि महात्मा गाँधी अनुचित जल्दबाज़ी न किए होते, तो उस समय ब्रिटेन अपनी नैतिक पराजय के लिए मुँह-माँगा मूल्य देने को सहज ही बाध्य किया जा सकता था। उदाहरण के लिए केवल स्वर्गीय सरदार भगतसिंह आदि की फाँसी को ही ले लीजिए। क्या यह फाँसी इस क्षणिक सन्धि (Truce) के पहिले नहीं दी जा सकती थी? फिर वह कौन सा रहस्यपूर्ण कारण था, जिसने ऐसा नहीं होने दिया? अस्तु—

इङ्गलैण्ड-स्थित हमारे परम प्रतिष्ठित एवं 'भविष्य' के विशेष सम्बाददाता ने हमें बतलाया है, कि भारत के सम्बन्ध में ब्रिटेन अब अपनी नीति निर्धारित कर चुका है। शायद पाठकों को बतलाना न होगा, कि 'वह निश्चित-नीति' केवल यही है, कि किसी भी मूल्य में ब्रिटेन भारत को स्वतन्त्र करने के लिए तैयार नहीं है और यदि भविष्य में—गोलमेज़ के विफल होने पर, जिसकी पग-पग पर सम्भावना है—भारतवासियों ने ज़रा भी सर उठाया, तो ब्रिटेन का बच्चा-बच्चा प्रत्येक उठे हुए सर को कुचलना अपना कर्तव्य ही नहीं, बल्कि धर्म समझेगा! हमारे लन्दन-स्थित विशेष सम्बाददाता की धारणाओं का अक्षरशः अनुमोदन करते हुए शिमला-स्थित हमारे विशेष सम्बाददाता ने—जिन्हें 'नर्म-दल' का सदस्य होते हुए भी, भारतीय राजनीति में अन्यतम स्थान प्राप्त है—लिखा है कि ब्रिटेन भावी महायुद्ध के लिए अपनी नीति पूर्णतया निर्धारित कर चुका है। समस्त भारत में अब तक ४०८ ऐसे व्यक्तियों की सूची बन चुकी है, जो गोलमेज़ के विफल होते ही तुरन्त किसी विशेष ऑर्डिनेन्स अथवा क़ानून द्वारा भारत से बाहर निर्वासित कर दिए जायँगे! हमारे परम प्रतिष्ठित मित्र ने हमें यहाँ तक लिखा है, कि संयुक्त-प्रान्त से कुल २८ व्यक्ति निर्वासित होंगे। इन २८ सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्ति इलाहाबाद के हैं (हमारे पास उनकी नामावली तक आ चुकी है)। हमारे लन्दन एवं शिमला-स्थित सम्बाददाताओं का यह भी कहना है, कि गोलमेज़ परिषद् के विफल होते ही, जिसे निश्चित ही समझना चाहिए, (हमारे लन्दन-स्थित सम्बाददाता ने ××× "which is absolutely certain in view of the present political situation in this beautiful land of the whites." लिखा है) महात्मा गाँधी आदि यहाँ आने वाले कॉङ्ग्रेस के नेताओं को सम्भवतः भारत में तब तक लौटने की आज्ञा नहीं दी जायगी, जब तक भारतवासी भविष्य में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए आन्दोलन करने की शपथ न खा लेंगे। इसके बाद ब्रिटिश-भारत की नौकरशाही खुल कर फाग खेलेगी। पशुबल एवं आत्म-बल का तुमुल संग्राम होगा। इस संग्राम में जो विजय-लाभ करेगा (जिसकी ब्रिटेन को पूर्ण आशा है) समस्त संसार उसी के सामने मस्तक नत करेगा—उसी के सर पर विजय का सेहरा बाँधा जायगा—हमारे इन परम प्रतिष्ठित सम्बाददाताओं का यह भी कहना है, कि गोलमेज़ परिषद् के अधिवेशन के पूर्व ही भारतवासियों के धैर्य एवं सहनशीलता की भरपूर परीक्षा ली जायगी और प्रत्येक उपायों द्वारा—चाहे वे वैध हों अथवा अवैध—इस बात का प्रयत्न किया जायगा, कि कॉङ्ग्रेस के प्रतिनिधि गोलमेज़ परिषद में भाग ही न ले सकें और तब ब्रिटिश-सिंह संसार को अपनी परोपकार-प्रियता, नेकनीयती एवं सचाई की दुहाई देकर कह सकेगा, कि भारतवासी कितने ज़लील और कमीने हैं, जो अपनी प्रतिज्ञाओं तक का पालन नहीं कर सकते—यद्यपि ब्रिटेन शीघ्र से शीघ्र भारतवासियों की स्वतन्त्रता-रूपी धरोहर, उन्हें सौंप कर हिमालय की ओर प्रस्थान करने को उत्सुक है!

वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए, हम अपने इन प्रतिष्ठित सम्बाददाताओं की इस भविष्यवाणी को सर्वथा निस्सार भी नहीं कह सकते। आज समस्त भारत में दमन-चक्र का जिस वेग से सञ्चालन हो रहा है, वह हमारे सम्बाददाताओं की धारणाओं को सर्वथा पुष्ट करने वाला है—इसमें सन्देह नहीं। इस सिलसिले में पाठकों को घटना-क्रम की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अस्तु।

कराची कॉङ्ग्रेस में जाने के पूर्व महात्मा गाँधी ने अपना इस आशय का एक वक्तव्य प्रकाशित किया था, कि जब तक हिन्दू-मुसलमानों की समस्या पूर्णरूपेण हल नहीं हो जायगी, वे गोलमेज़ परिषद में न तो शरीक ही होंगे और न उसकी कार्यवाही में भाग ही लेंगे। भारत की कमीनी नौकरशाही ने इस सामयिक

वक्तव्य का हृदय की सारी कुटिलता से स्वागत किया और पूरे एक सप्ताह के बाद जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम दङ्गों का आयोजन उपस्थित कर दिया गया। बम्बई, मद्रास, बङ्गाल एवं संयुक्त-प्रान्त इन साम्प्रदायिक उपद्रवों के विशेष केन्द्र बन गए—शैतान ने अपनी सफलता से उन्मत्त होकर ठहाका लगाया! कानपुर के दङ्गे को खुल्लमखुल्ला किस प्रकार पुलिस की ओर से प्रोत्साहन दिया गया और किस प्रकार वहाँ अधिकारियों ने जनता से कॉङ्ग्रेस वालों एवं महात्मा गाँधी को बुलाने के ताने मार-मार कर अपनी स्वेच्छाचारिता एवं नीचता का परिचय दिया है, इसका पता कानपुर की जाँच कमिटी के सामने दिए गए अनेक बयानों; तथा एक हद तक, कमिटी की एकाङ्गी रिपोर्ट से भी चलता है। अस्तु।

महात्मा गाँधी ने पुनः अपने वक्तव्य तथा देश की परिस्थिति पर दृष्टिपात किया और फलाफल सोच कर हाल ही में उन्होंने एक नया वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें महात्मा जी का कहना था, कि साम्प्रदायिक समझौते के होने में चूँकि उन्हें सन्देह है और चूँकि गोलमेज़ परिषद् में, यदि वे निमन्त्रित किए गए तो शरीक न होने से संसार की दृष्टि में भारतीय कॉङ्ग्रेस की उदासीनता प्रगट होगी—इसलिए वे 'साम्प्रदायिक समझौता न होते हुए भी, यदि केवल भारतीय गवर्नमेण्ट गाँधी-इर्विन समझौते को मनसा-वाचा कर्मणा से पालन करती रही, तो वे गोलमेज़-परिषद् में भाग लेने को सर्वथा तैयार रहेंगे।' इस वक्तव्य के प्रकाशित होते ही नौकरशाही ने पुनः दमन-चक्र चलाना शुरू कर दिया है और पिछले ३ सप्ताहों से भारतीय प्राङ्गण में एक बार पुनः शैतान का ताण्डव प्रारम्भ हो गया है।

गुजरात के बोरसद एवं बारदोली ताल्लुक़ों में गवर्नमेण्ट की ओर से गाँधी-इर्विन समझौते के विरुद्ध जिस नीचता एवं क्षुद्रता का परिचय दिया गया है, वह देशवासियों पर प्रकट ही है। गाँधी-इर्विन समझौते के अनुसार वहाँ ज़मीनों की वापसी में, पटेलों एवं गाँव के मुखियों को उनकी ज़मीनें लौटाने में तथा लगान वसूल करने की सख़्तियों में सरकारी नीति को स्पष्ट कर दिया है। हमारा तो अनुमान है कि महात्मा जी यदि परिस्थिति की भीषणता को समझने में ज़रा भी विलम्ब करते अथवा स्वयं वहाँ अपना डेरा-डण्डा धर कर न बैठ गए होते, तो न जाने आज वहाँ कैसी भीषण परिस्थिति उपस्थित हो गई होती।

बङ्गाल में जिस स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया जा रहा है, वह और भी भीषण है। प्रत्येक सप्ताह हमारे पास दो-तीन बङ्गाल के प्रतिभाशाली नवयुवकों की नज़रबन्दी अथवा गिरफ़्तारियों के समाचार आ रहे हैं। चटगाँव के हिन्दू नवयुवकों पर जो अत्याचार ढाए जा रहे हैं, वह भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। हालत यहाँ तक नाज़ुक हो गई है, कि बङ्गाल का कोई भी नवयुवक किसी समय भी अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहा है।

बिहार की दशा और भी शोचनीय हो रही है। वहाँ ऐसे १२० राजबन्दी, जिन्हें न्याय की दृष्टि से गाँधी-इर्विन समझौता होते ही अन्य राजनैतिक क़ैदियों की भाँति मुक्त हो जाना चाहिए था—आज तक विभिन्न जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। भोरे और केटिया (ज़िला सारन) नामक स्थानों से अभी तक अतिरिक्त-पुलिस (Punitive Police) नहीं हटाई गई है और बेचारे सर्वथा निर्दोष नगर-निवासियों को इनका पालन-पोषण आज तक करना पड़ रहा है! बीहपुर (ज़िला भागलपुर) नामक स्थान में आज गुण्डाराज फैला हुआ है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि वहाँ की पुलिस के लिए गाँव की बहू-बेटियों के सतीत्व से खेलना एवं निर्दोष नागरिकों को छेड़ कर उन्हें ठोंक-पीट देना एक साधारण सी बात हो गई है!

मध्य-प्रान्त की परिस्थिति भी कम दयनीय नहीं है। वहाँ भी आज तक ८० राजबन्दी, जो विगत राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी स्वतन्त्र-प्रियता के अपराध में पकड़े गए थे—जेलों में पड़े सड़ रहे हैं।

पञ्जाब में भी आज सैकड़ों राजबन्दी, जेल-रूपी रौरव नर्क में पड़े जगन्नियन्ता को इसलिए कोस रहे हैं, कि उसने इन अभागों का जन्म इस ग़ुलाम देश में क्यों दिया? पञ्जाब के प्रत्येक राजबन्दी में गवर्नमेण्ट को हिंसा की गन्ध आ रही है। अपनी इस मनोवृत्ति को वहाँ के गवर्नर महोदय समय-समय पर प्रकट भी करते रहे हैं।

सीमा-प्रान्त में होने वाले जिन अत्याचारों की कहानी ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ साहब ने महात्मा गाँधी को सुनाई है, वह वास्तव में बड़ी रोमाञ्चकारी है। वहाँ की पुलिस और फ़ौज ने जनता के धैर्य की जैसी परीक्षा ली है, उसे वर्णन करने की हममें शक्ति नहीं है। समय-समय पर प्रकाशित समाचारों द्वारा पाठक स्वयं इसका निर्णय कर सकते हैं। उस दिन महात्मा जी के सुपुत्र श्री० देवीदास गाँधी से सीमा-प्रान्त में होने वाले अत्याचारों का वर्णन करते हुए 'सीमा-प्रान्त के गाँधी' ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ने कहा है, कि अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि फ़ौजी सिपाही नागरिकों के घरों में घुस-घुस कर हमारी बहू-बेटियों को इसलिए छेड़ते हैं, कि किसी भी तरह हम लोग अहिंसा के व्रत से विचलित हो जायँ, ताकि नौकरशाही को खुल कर खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। ख़ाँ साहब का कहना है कि "हम लोग और सब प्रकार के अत्याचारों को सहन करने के लिए सर्वथा तैयार थे; किन्तु हमें स्वप्न में भी इन ज़लील हरकतों की आशा नहीं थी।" गत सप्ताह के 'यङ्ग-इण्डिया' में इस बात का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ है।

संयुक्त-प्रान्त में आज जैसा भीषण दमन हो रहा है और जिन-जिन साधनों एवं उपायों को काम में लाया जा रहा है—वह उस समय भी नहीं हुआ था, जब कि विगत राष्ट्रीय आन्दोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। मथुरा, रायबरेली, गोंडा, सुल्तानपुर, बाराबङ्की एवं इलाहाबाद आदि ज़िलों में किसानों पर पुलिस एवं ज़मींदारों द्वारा जैसे नृशंस एवं अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं, वैसे शायद अन्य किसी भी प्रान्त में न हुए होंगे। मथुरा एवं गोंडा आदि ज़िलों में तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, कि पुलिस द्वारा दिन-दहाड़े बहू-बेटियाँ बेइज़्ज़त की जा रही हैं, घर लूटे जा रहे हैं और न जाने कैसे-कैसे लोमहर्षण अत्याचार हो रहे हैं! भारतीय दण्ड-विधान की धारा १२४-अ (राज-विद्रोह) द्वारा हाल ही में कई विशेष गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और होने वाली हैं! पिछले दो सप्ताहों में इस प्रकार की ४ विशेष गिरफ़्तारियाँ केवल इलाहाबाद और काशी में ही हुई हैं!

बर्मा में 'विद्रोह' की आड़ लेकर जैसे भीषण और ख़ून को खौलाने वाले अत्याचार हो रहे हैं, वह भी अध्ययन का विषय है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि "विद्रोहियों" के सर काट कर सड़कों पर घुमाए जा रहे हैं और पुलिस की चौकियों पर उनका प्रदर्शन किया जा रहा है!!

* * *

जो लोग आगामी गोलमेज़-परिषद् की ओर आशापूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, उनकी आँखों में उँगली डाल कर हम उनका ध्यान इन केवल उदाहरण-स्वरूप कतिपय घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं और उन्हें बतलाना चाहते हैं, कि जहाँ गवर्नमेण्ट ने इस क्षणिक सन्धि के समय का प्रत्येक पल अपने सङ्गठन एवं नीति-निर्माण में व्यय किया है, वहाँ कॉङ्ग्रेस द्वारा इस संयोग का पूर्णतया दुरुपयोग हुआ है। जहाँ एक ओर गवर्नमेण्ट प्रत्येक आवश्यक एवं सन्दिग्ध गाँव अथवा उसके निकट फ़ौजी ढङ्ग की नई-नई पुलिस-चौकियाँ बनवा रही है (इलाहाबाद से कानपुर के बीच में अब तक ऐसी ५-६ फ़ौजी ढङ्ग की पुलिस-चौकियों का निर्माण हाल ही में हुआ है), वहाँ दूसरी ओर कॉङ्ग्रेस के कार्यकर्ता आपस के कलह में ही अपने समय और शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक ओर जहाँ गवर्नमेण्ट नए ढङ्ग का फ़ौजी-सङ्गठन कर रही है, जगह-जगह नए ढङ्ग के पुलों का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ दूसरी ओर पं० जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रभावशाली नेताओं को, जब कि उन्हें किसानों के सङ्गठन में रत रहना चाहिए—देहली आदि स्थानों में कॉङ्ग्रेस के निर्वाचन-विवाद को शान्त करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है!! एक ओर जब कि गवर्नमेण्ट भावी संग्राम से मुक़ाबला करने के लिए फ़ौजें तथा पुलिस की नई भर्तियाँ कर रही है, तो दूसरी ओर धनाभाव के कारण कॉङ्ग्रेस के वालण्टियर, जिन्हें इस समय समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए थी—निकाले जा रहे हैं!!

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेता एवं राजनीतिज्ञ भावी युद्ध की सम्भावनाओं को समझते न हों—सो बात भी नहीं है। समय-समय पर पं० जवाहरलाल नेहरू, श्री० सुभाषचन्द्र बोस तथा प्रेज़िडेण्ट पटेल आदि प्रतिष्ठित नेताओं ने गाँधी-इर्विन समझौते तथा आगामी गोलमेज़ परिषद् से जैसी घोर निराशा प्रकट की है, वह पाठकों से छिपा न होगा। भारत-केन्द्रीय धारा-सभा के स्वनाम-धन्य प्रेज़िडेण्ट (भूतपूर्व) श्री० विट्ठलभाई पटेल उन इने-गिने राजनीतिज्ञों में से हैं, जिनके भारतीय होने पर आज समस्त भारत को गर्व है। ब्रिटेन तक आपकी दूरदर्शिता एवं राजनीतिज्ञता का क़ायल है और यदि हम भूल नहीं करते, तो राजनीतिक मामलों में महात्मा गाँधी तक ने आपको भारत का सर्व-श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ स्वीकार किया है। अतएव भावी 'गोलमेज़ परिषद् के सम्बन्ध में उस दिन लन्दन की कॉमनवेल्थ ऑफ़ इण्डिया लीग की अध्यक्षता में आपने जो भाषण दिया है, उसे पागल का प्रलाप नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों ने भावी गोलमेज़ परिषद् से लम्बी-चौड़ी आशाएँ बाँध रक्खी हैं, उन्हें आपके भाषण को विशेष मनोयोग से पढ़ना चाहिए, जिसके प्रत्येक शब्द से निराशा टपक रही है। आपके भाषण का सार इस प्रकार है:—

"भारत अपने आन्तरिक और बाहरी शासन में पूर्ण स्वतन्त्रता चाहता है। वह वैदेशिक शासन का अपमान और पतन अधिक दिनों तक नहीं सहन कर सकता। अगर मत लिए जायँ, तो भारत की सारी जनता ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद करने के पक्ष में अपना मत देगी। पर कॉङ्ग्रेस समझौता करना चाहती है और बिना किसी बन्धन के पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य मञ्ज़ूर करने को तैयार है। भारत शान्ति चाहता है, पर अपनी शर्तों पर! यहाँ के राजनीतिज्ञों से बातचीत करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, कि यद्यपि गाँधी जी भारत के सम्बन्ध में निर्णय करने की पूर्ण आशा से यहाँ आ रहे हैं, तथापि शान्तिपूर्ण समझौता होने की मुझे आशा नहीं है। महात्मा जी को, समझौते का प्रयत्न असफल होने पर, पुनः युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रिटिश व्यापारी, व्यापार सम्बन्धी संरक्षण को चाहते हैं, ताकि उनका व्यापार चले। पर भारत की सद्भावना के बिना कोई भी संरक्षण व्यर्थ सिद्ध होगा! संरक्षणों पर अधिक ज़ोर देकर वे कट्टरता बढ़ा रहे हैं। सच्ची सद्भावना ही लाखों संरक्षणों से कहीं अधिक हितकर है। पूर्ण स्वतन्त्रता और पूर्ण ग़ुलामी के बीच

में अन्य कोई स्थान नहीं है। साधारण तरीक़े से ब्रिटिश लोगों को भारत की गम्भीर स्थिति का अनुभव नहीं कराया जा सकता। हमें कुछ असाधारण कार्य करने चाहिएँ, जिससे ब्रिटिश लोगों की कल्पना हमारी ओर खिंचे। फिर ये लोग शीघ्र ही पूछेंगे, कि भारत में क्या हो रहा है और उसके प्रति न्याय करने को तैयार होंगे! जब तक यह नहीं होता, तब तक भारतीयों का निश्चय है कि वे भारत में ब्रिटिश सरकार का चलना असम्भव कर देंगे।"

नर्म-दल के प्रमुख नेता सर शङ्करन नायर ने भी—जो गवर्नमेण्ट द्वारा भारतीय शासन सुधार-समिति के सभापति नियुक्त किए गए थे—अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी, उसी के साथ एक मेमोरण्डम भी पेश किया था—इस मेमोरण्डम में भी पग-पग पर आपने भावी गोलमेज़ परिषद से अपनी निराशा प्रकट की है और भारत में पुनः राष्ट्रीय युद्ध होने की सम्भावना का खुले शब्दों में समर्थन किया है।

वर्तमान परिस्थिति एवं ब्रिटिश मनोवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए, जिसका संक्षिप्त उल्लेख ऊपर किया गया है, गोलमेज़ की असफलता का सन्देह बिलकुल निराधार नहीं कहा जा सकता, अतएव निकट-भविष्य में ही भारत के लिए एक विषम एवं गम्भीर परिस्थिति उपस्थित होने की सम्भावना है; पर हम जानना चाहते हैं, कि क्या कॉङ्ग्रेस का वर्तमान सङ्गठन उस भीषण परिस्थिति का मुक़ाबला करने को तैयार है??

* * *

बर्मा-पृथक्करण की समस्या

लन्दन का १८ जून का समाचार है, कि भारत और ब्रिटेन की सरकारें गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स के समय बर्मा-पृथक्करण के सम्बन्ध में एक विशेष कॉन्फ्रेन्स करने का विचार कर रही हैं। यद्यपि अभी यह नहीं मालूम हो सका है, कि उस विशेष कॉन्फ्रेन्स में बर्मा-पृथक्करण के पक्ष-विपक्ष की बात निर्णय की जायगी या बर्मा-पृथक्करण को स्वीकृत सिद्धान्त मान कर केवल उसके विवरणात्मक प्रश्नों का विचार किया जायगा, फिर भी बर्मा के सम्बन्ध में अलग कॉन्फ्रेन्स करने की योजना हमें अधिक उत्साहप्रद नहीं मालूम पड़ती। गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स के होते हुए, जिसे कि बर्मा के सम्बन्ध में विचार करने का पूरा हक़ है, बर्मा के लिए एक अलग कॉन्फ्रेन्स करने का विचार केवल अनावश्यक ही नहीं, वरन् सन्देह पैदा करने वाला मालूम पड़ता है। हम ब्रिटेन और भारतीय सरकारों के उस विचार के मूल में—बर्मा के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री ने गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स के अधिवेशन समाप्त होने के बाद हाउस ऑफ़ कॉमन्स में जो घोषणा की थी—उसका समर्थन और उसके व्यावहारिक स्वरूप की झलक देखते हैं। भारत-मन्त्री ने अपनी घोषणा में कहा था, कि "बर्मा-पृथक्करण एक स्वीकृत सिद्धान्त है।" अर्थात् अब वह विवाद का विषय नहीं रहा। बर्मा, जोकि भारत-सरकार का ही एक प्रान्त है, उसके सम्बन्ध में एक विशेष कॉन्फ्रेन्स की योजना और वह भी ठीक ऐसे समय, जब कि सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं का विचार गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में हो ही रहा हो, सम्भवतः बर्मा-पृथक्करण के स्वीकृत सिद्धान्त की भूमिका है। लोगों में बर्मा को भारत से अलग सोचने-विचारने का अभ्यास डालने के लिए पृथक्करण का यह पहला सोपान है। समझा यह गया है, कि धीरे-धीरे इस तरह की नज़ीरों के क़ायम हो जाने पर बर्मा का पृथक्करण एक स्वाभाविक घटना हो जायगी और उसके लिए लोगों के दिलों में कोई विद्रोह न रह जायगा।

सम्भव है कि बर्मा-विद्रोह से प्रभावित होकर और पृथक्करण के विरुद्ध परिस्थिति की गम्भीरता को देख कर ब्रिटेन और भारत की सरकारों ने इस विशेष कॉन्फ्रेन्स के द्वारा बर्मियों की शिकायतों के सुनने का विचार किया हो; यह भी सम्भव है कि उस कॉन्फ्रेन्स में बर्मा-पृथक्करण के विरोधी-प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाय। बात चाहे जो कुछ हो, परन्तु बर्मियों की माँगों को स्वीकार करने के इस ढङ्ग को हम अच्छा नहीं समझते। बर्मियों की माँग अलग कॉन्फ्रेन्स की नहीं है। वे गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में बर्मा के वास्तविक प्रतिनिधि चाहते थे—वे गोलमेज़ के प्रतिनिधि होकर बर्मा के सम्बन्ध में उस परिस्थिति का खण्डन करना चाहते हैं, जोकि सरकारी चालों से वहाँ उत्पन्न हो गई है; वे बर्मा-पृथक्करण के सम्बन्ध में वास्तविक बर्मा का मत प्रकट करना चाहते हैं। अलग कॉन्फ्रेन्स के द्वारा गोलमेज़ की स्वीकृत बातों का सीधा खण्डन न हो सकेगा। कम से कम अब तक भारत का एक भाग होने के नाते बर्मा को उस गोलमेज़ में शामिल होने और अपने मत प्रकट करने का, भारत के किसी भी अन्य प्रान्त की तरह पूर्ण अधिकार है; जिस गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में स्वयं उसके पृथक्करण के निर्णय का प्रयत्न हो रहा हो। यदि ब्रिटेन और भारत की सरकारें अब बर्मा की न्यायोचित माँगों को स्वीकार करने में विवश हुई हैं, तो उन्हें इसके लिए अलग कॉन्फ्रेन्स के आवरण की क्या ज़रूरत है? माँगों को स्वीकार करते हुए भी अलग कॉन्फ्रेन्स के द्वारा वे जिस उद्देश्य की सिद्धि करना चाहती हैं, उसमें भी उन्हें सफलता की आशा न करनी चाहिए। एशिया के लोग अब इतने भोले नहीं रहे, कि केवल अलग और सम्मिलित कॉन्फ्रेन्सों के भ्रम में पड़ कर अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जायँ। देखना है, बर्मा की इस विशेष कॉन्फ्रेन्स का रूप क्या होता है। प्रमुख भारतीय नेताओं को बर्मा के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

* * *

न्याय का अभिनय

हाल में ही दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों ने ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रान्तीय सरकार से इस बात की प्रार्थना की थी, कि सफ़ाई के सम्बन्ध में जो व्यय सरकार अभियुक्तों के लिए देती है, वह पर्याप्त नहीं है इस कारण उन्हें प्रतिदिन एक सौ रुपए अधिक के हिसाब से व्यय मिले, जिससे वे सफ़ाई का उचित क़ानूनी प्रबन्ध कर सकें। इस सम्बन्ध में सन्तोषजनक उत्तर न मिलने के कारण उन्होंने अदालत की कार्रवाई में भाग लेना छोड़ दिया। इधर जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनके पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकार ने उन्हें यह रक़म देने से साफ़ इन्कार कर दिया है। इतना ही नहीं; कहते हैं कि प्रान्तीय सरकार ने वॉयसराय महोदय की सेवा में इस बात की सिफ़ारिश की है, कि वे एक विशेष ऑर्डिनेन्स के द्वारा ट्रिब्यूनल को इस बात का अधिकार दें कि वह अभियुक्तों की अनुपस्थिति में मामला चला सके।

अभियुक्तों तथा सरकार, दोनों ही पक्ष की परिस्थितियों पर उचित रूप से प्रकाश डालने के लिए यह आवश्यक जान पड़ता है, कि इस स्थान पर प्रोफ़ेसर निगम के उन शब्दों का हवाला दिया जाय, जो कि उन्होंने ट्रिब्यूनल के सम्मुख विगत ४थी जून को कहे थे। उन अभियुक्तों की ओर से, जिन्होंने अपनी पैरवी के लिए वकील खड़े किए थे, प्रोफ़ेसर निगम ने कहा कि "सफ़ाई के ख़र्च के लिए हम लोगों की तीन सौ रुपए की दैनिक माँग बिलकुल न्यायोचित थी, परन्तु बाद में उसे हम लोगों ने घटा कर २३२) रुपए कर दिए। यह हमारी न्याय-प्रियता का प्रमाण है। सरकार सबूत-पक्ष के लिए हज़ारों रुपए ख़र्च कर रही है; परन्तु सफ़ाई के लिए थोड़ी सी रक़म अर्थात् २३२) रुपए तक दैनिक ख़र्च उसे देना स्वीकार नहीं हुआ। सफ़ाई के लिए पूर्ण सुविधा न प्रदान करने का इरादा करके गवर्नमेण्ट इस लोगों के मुक़दमे को पाखण्ड में परिणत करना चाहती है। ××× सरकार का जो रुख़ है, उससे प्रकट होता है कि वह इस मामले में हम लोगों के विरुद्ध में लोगों के मनोभावों को दूषित करने और हमें हिंसक क्रान्तिकारी साबित करने का पूर्ण प्रयत्न कर रही है। हम लोग इस निश्चय पर पहुँचने के लिए बाध्य हुए हैं, कि सरकार हम लोगों के साथ न्याय करना नहीं चाहती। इसलिए सफ़ाई के सम्बन्ध में सरकार ने जो निश्चय किया है, वह यदि उसका अन्तिम निर्णय है, तो अभियुक्तों के सामने सिवा इसके, कि वे इस केस को कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दें, और कोई दूसरा उपाय नहीं है।"

इस वक्तव्य के दूसरे दिन से अर्थात् विगत पाँचवीं जून से दिल्ली षड्यन्त्र केस के अभियुक्त अदालत में उपस्थित नहीं हुए। स्थानीय सरकार का रुख़ सन्तोषजनक नहीं है और यदि यह बात सच है कि प्रान्तीय सरकार ने वॉयसराय के पास उपरोक्त ऑर्डिनेन्स के जारी करने की सिफ़ारिश की है—तथा जिसके झूठ होने का कोई प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि प्रान्तीय सरकार ने अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन नहीं किया तथा उसकी यह कार्रवाई न्याय की प्रेरक शक्ति के अभाव की द्योतिका है।

इस सम्बन्ध में इस बात की चर्चा करना अनावश्यक नहीं होगा, कि केवल सबूत-पक्ष के सीनियर वकील की फ़ीस के लिए ही सरकार प्रतिदिन दो सौ रुपए ख़र्च करती है। क़ानून के अनुसार प्रत्येक साधारण अभियुक्त को भी उसकी सफ़ाई के ख़र्च के लिए प्रतिदिन बीस रुपए का ख़र्च सरकार की ओर से दिया जाता है। फिर दिल्ली षड्यन्त्र केस की बात ही क्या। उसके लिए विशेष क़ानून का प्रयोग कर तीन जजों को एक विशेष अदालत बैठाई गई है और उस विशेष अदालत को वे विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जो साधारण अदालत को नहीं मिलते। इस अवस्था में यदि क़ानूनन् प्रत्येक व्यक्ति की सफ़ाई के पीछे सरकार यदि बीस रुपए प्रतिदिन भी ख़र्च करे, तो वह रक़म २३२) रुपए प्रतिदिन अर्थात् उस रक़म से कम होगी, जो अभियुक्त माँग रहे हैं।

अभियुक्तों की इस माँग पर विचार करने के लिए सरकार ने क़रीब २० दिनों तक मामले की कार्रवाई स्थगित रक्खी। आर्थिक दृष्टि से भी सरकार का यह कार्य अनुचित और फ़िज़ूलख़र्ची से पूर्ण है। दिल्ली षड्यन्त्र का अभियोग चलाने के लिए सरकार को आज प्रति दिन दो हज़ार से अधिक रुपए व्यय करने पड़ रहे हैं। इस हिसाब से भी प्रान्तीय सरकार ने केवल इन २० दिनों में ही इतना व्यय किया है, जितने में यदि अभियुक्तों की उचित माँग पूरी कर दी जाती, तो एक वर्ष से अधिक अवधि का ख़र्च निकल आता! और कौन कह सकता है, कि इतने दिनों में दिल्ली षड्यन्त्र केस का निर्णय समाप्त न हो जाता?

आर्थिक दृष्टि से भिन्न, यदि हम नैतिक दृष्टि से विचार करें; तो भी सरकार का यह पवित्र कर्तव्य है कि अभियुक्तों की माँग को शीघ्र ही स्वीकार कर ले। उचित तो यह था, कि सरकार उन अभियुक्तों की सफ़ाई के लिए भी उतना ही ख़र्च देती, जितना कि उनके अभियोगों के सबूत के लिए व्यय कर रही है। यदि क़ानून

एक या उससे अधिक मनुष्यों की फाँसियों के लिए प्रति दिन दो सहस्र से अधिक रुपए व्यय करने का आदेश देता है, तो वही क़ानून इस बात को मना नहीं करता कि भगवान के दिए हुए उन मँहगे प्राणों की रक्षा के निमित्त उतना भी व्यय न किया जाय ! यदि किसी अभियोग को प्रमाणित करने के लिए सरकार दो सहस्र से अधिक रुपए व्यय कर सकती है, तो साथ ही सरकार के लिए यह न्यायोचित है कि वह उन अभागे अभियुक्तों को भी उतना ही व्यय दे, जिससे वे पूर्ण सुविधा के साथ अपनी निर्दोषिता प्रकट कर सकें।

इस सम्बन्ध में हम एक बात लॉर्ड विलिङ्गडन से कहे बिना नहीं रह सकते। वह यह कि यदि दिल्ली षड्यन्त्र के अभियुक्त सरकार के द्वारा अपनी उचित माँग के अस्वीकृत कर दिए जाने के विरोध में अदालत में उपस्थित नहीं होते, तो इसमें उनका दोष नहीं है ; इसकी जड़ में प्रान्तीय सरकार की स्वेच्छाचारिता है। और उस स्वेच्छाचारिता के लिए किसी भी ऑर्डिनेन्स का जारी करना न्याय की प्रेरक शक्ति के नैतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। इतना ही नहीं, ऑर्डिनेन्स के साथ ही यह भी आवश्यक होगा, कि वर्तमान ट्रिब्यूनल भङ्ग कर दिया जाय तथा उसके स्थान पर हाईकोर्ट के तीन जजों की नियुक्ति की जाय। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान ट्रिब्यूनल के जजों और हाईकोर्ट के तीन जजों के वेतन का ही अन्तर उस रक़म से न जाने कितने गुणा अधिक सिद्ध होगा, जो अभियुक्त माँग रहे हैं। हम आशा करते हैं, लॉर्ड विलिङ्गडन परिस्थिति की इस दारुण अवस्था का अनुभव करेंगे और किसी विशेष ऑर्डिनेन्स का निर्माण कर लॉर्ड इर्विन की भाँति न्याय की हत्या न करेंगे। बम्बई में उतरते ही लॉर्ड विलिङ्गडन ने अपने न्यायपूर्ण और वैध-शासन की दुहाई दी थी ; पर क्या वास्तव में वे इस मामले में अपनी न्यायप्रियता का परिचय देंगे ?

* * *

देशी राज्य-प्रजा कॉन्फ्रेन्स

देशी राज्य-प्रजा कॉन्फ्रेन्स का तृतीय अधिवेशन बम्बई में सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। सभा के प्रधान वयोवृद्ध बाबू रामानन्द चटर्जी ने अपने भाषण में कहा कि भाषा, भाव, धर्म और संस्कृति की दृष्टि से ब्रिटिश भारत और भारतीय भारत में कोई भेद नहीं है। प्रान्त-भेद केवल राजनैतिक और कृत्रिम भेद है। आपने कहा कि अनियन्त्रित शासन एक दूषित राज-विधि है। चाहे शासक प्रजा-हितैषी हो तो भी इस प्रकार के शासन में प्रजा की प्रबन्ध-शक्ति तथा देशभक्ति का पूर्णतया विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारे नरेशों को चाहिए, कि शासन-कार्य में वे अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को भी साथ लें। जो लोग जनता के महत्व को भूले हुए हैं, उनको समझना चाहिए कि आख़िर राजा या बादशाह से तो राज्य या साम्राज्य नहीं बनता, देश के रक्षक, पोषक, कर्ता और धर्ता तो वहाँ के लोग ही हैं, न कि एक राजा ? इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखने योग्य बात है कि यह समय निरङ्कुश राजसत्ता का नहीं है। इस समय ७० स्वतन्त्र देश हैं, जिनमें ४९ प्रजातन्त्र हैं। शेष देशों में अधिकांश में प्रतिनिधि-शासन है और सम्राट की शक्ति नियन्त्रित है। लेकिन हमारे देशी नरेश प्रायः सब ही निरङ्कुश शासक हैं। इस निरङ्कुशता को बनाए रखने में अङ्गरेज़ अफ़सरों का भी पूरा हाथ है, क्योंकि रियासतों के अन्धाधुन्ध शासन की अपेक्षा ब्रिटिश भारत का शासन तुलनात्मक दृष्टि से लोगों को अच्छा जँचता है। बाबू रामानन्द ने कहा कि फ़ेडरल विधान के किसी भी उत्तम अङ्ग को नरेशों ने स्वीकार नहीं किया है। गोलमेज़ियों ने जो फ़ेडरल विधान तजवीज़ किया है, यदि वही जारी हुआ, तो व्यवस्थापिका सभा की दशा अब से भी हीन हो जाएगी। रियासतों की ओर से जो लोग एसेम्बली के मेम्बर होंगे, वे नरेशों के प्रतिनिधि होंगे, न कि प्रजा के। ये लोग यूरोपीय और अन्य जी-हुज़ूर मेम्बरों से मिल कर एसेम्बली की उपयोगिता को नष्ट कर देंगे और फ़ेडरल-विधान वर्तमान शासन से भी बुरा साबित होगा। सभापति ने अङ्कों द्वारा सिद्ध किया, कि भारतीय नरेशों का व्यक्तिगत ख़र्च महाराजाधिराज पञ्चम जॉर्ज से भी अधिक है। काश्मीर जलवायु, क्षेत्रफल, जङ्गल और भूमि सब बातों में स्वीट्ज़रलैण्ड से कम नहीं है, परन्तु निरङ्कुश शासन के कारण शिक्षा, सम्पत्ति, जन-संख्या और शिल्प-कला आदि में दोनों देशों की कोई तुलना ही नहीं। यही दशा हैदराबाद और ज़ेकोस्लोवेकिया का मुक़ाबिला करने पर हैदराबाद की सिद्ध होती है ! बाबू रामानन्द ने कहा, कि अधिकांश रियासतों में सम्मेलन, भाषण तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तक प्राप्त नहीं है !!

वास्तव में श्रीयुत चटर्जी ने अपने भाषण में अत्यधिक संयम से काम लिया है। रियासतों के निरङ्कुश शासन का इससे अधिक ज्वलन्त दृष्टान्त और क्या हो सकता है, कि देशी राज्य-प्रजा-कॉन्फ्रेन्स का अधिवेशन भी किसी देशी राज्य में न हो सका। देशी नरेश गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में विराज कर अपने परम्परागत अधिकारों को अमर रखने के लिए तो उत्सुक हैं ; लेकिन प्रजा की बात तक सुनने को तैयार नहीं ! अपने राज्य में पाँच आदमियों को मिल कर बात नहीं करने देते और ब्रिटिश भारत में जो लोग उनकी पोल खोलते हैं, उनको लुच्चे, लफ़ङ्गे और ग़ैर-ज़िम्मेदार लोग बतलाते हैं ! 'भविष्य' में 'एक भूतपूर्व उच्चाधिकारी' की लिखी हुई जो वर्तमान राजपूताने पर लेख-माला प्रकाशित हो रही है, उससे पाठक जान सकते हैं, कि अधिकांश रियासतों का कैसा बुरा हाल है। प्रजा की अधिकांश कमाई राजा-महाराजा अपने महलों पर, मोटरों पर, अपने पुत्र-पुत्रियों के विवाहों पर, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों पर, नायिकाओं पर तथा किशोरिकाओं पर, यहाँ तक कि घोड़ों, कुत्तों और तोतों पर ख़र्च डालते हैं और बेचारी प्रजा के लिए न शिक्षा का प्रबन्ध है, न चिकित्सा का इन्तज़ाम, न व्यवस्थित न्यायालय, न योग्य पुलिस, न पानी पीने को कुएँ, न चलने को रास्ते !! राजाओं ने अपनी रियासतों को अपनी सम्पत्ति समझ रक्खा है और ग़रीब कृषकों को अपने विलास के लिए धन कमाने की सजीव मैशीनें !!! प्रतिनिधि-शासन, नियन्त्रित सत्ता, शिक्षोन्नति और ग्राम-सुधार तो दूर की बातें हैं, राजपूताने में तो प्रायः सब नरेश प्रजा के किसी भी अधिकार को स्वीकार तक नहीं करते। कुछ अरसा हुआ तब बीकानेर महाराजा ने कहा था कि "बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार हमें कब और क्या शासन-सुधार करना चाहिए, इसका हमको स्वयं पता लग जावेगा, लेकिन यह सुधार हम जब चाहेंगे और जैसा चाहेंगे, वैसा करेंगे। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हमको पसन्द नहीं है।" महाराजा साहब को बाहरी लोगों का हस्तक्षेप पसन्द नहीं और रियासती लोगों के मुँह पर आपने ताले जड़ रक्खे हैं। शासन-सुधार का समय और प्रकार आपके सिवाय और कोई समझ ही नहीं सकता। यह है बीकानेर की बात, फिर टोंक, बूँदी, जैसलमेर, बाँसवाड़ा, करौली और धौलपुर का तो कहना ही क्या ?

* * *

"मैनचेस्टर गार्जियन" का स्वप्न

विलायत के 'मैनचेस्टर गार्जियन' ने गवर्नमेण्ट को सलाह दी है, कि जब तक गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स नहीं हो जाती और उसके अनुसार कोई शासन-विधान नहीं बन जाता, तब तक वह भारत में शासन सुधार के उन स्वीकृत सिद्धान्तों का प्रयोग क्यों न प्रारम्भ कर दिया जाय, जिनके विषय में कोई मत-भेद नहीं है और जिनके लिए स्वयं साइमन कमीशन तक ने अपनी रिपोर्ट में सिफ़ारिश की है। उदाहरण के लिए उसने "प्रान्तीय स्वाधीनता" (Provincial Autonomy) का ज़िक्र किया है। उसका कहना है, कि इस तरह से कार्य प्रारम्भ कर देने से भारतीय समस्या की कठिनाई बहुत-कुछ कम हो जायगी।

हमें भय है 'मैनचेस्टर गार्जियन' की शुभाभिलाषा इस देश में चरितार्थ न हो सकेगी। नए-नए सुधारों के प्रारम्भ की कौन कहे, यहाँ की नौकरशाही तो इस फ़िक्र में है कि गाँधी-इर्विन समझौता कब भङ्ग हो और कब दमन जारी हो। ताकि इस बार उसे खुल कर खेलने का मौक़ा मिले। जो हुकूमत क्षणिक सन्धि तक के निर्वाह करने की क्षमता नहीं दिखला सकती, उससे यह आशा नहीं की जा सकती, कि वह भारतवासियों को सन्तोष देने के लिए इस देश में नए-नए शासन-सुधार प्रचलित करेगी। 'मैनचेस्टर गार्जियन' को भारतीय समस्या की कठिनाइयों के कम करने की भले ही चिन्ता हो; परन्तु यहाँ की नौकरशाही का तो भारतीय समस्यायों को अधिक से अधिक उलझाए रखने में ही स्वार्थ सिद्ध होता है और बिना वर्तमान शासन-प्रणाली का अन्त हुए इस अभागे देश में किसी भी प्रकार का सुधार एक बार ही असम्भव है।

* * *

इटली सरकार का महात्मा गाँधी को तार

मोशिए मुसोलिनी की महात्मा जी से मिलने की उत्कट अभिलाषा !

इटली का समाचार है, कि वहाँ की सरकारने अ० भा० का० क० की कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्यों के पास तार भेज कर महात्मा जी की यूरोप-भ्रमण का कार्य-क्रम पूछा है और यह भी जानना चाहा है या महात्मा जी मुसोलिनी का आतिथ्य स्वीकार करेंगे या नहीं ? मुसोलिनी महात्मा जी से मिलने के लिए बहुत इच्छुक हैं।

कई जहाज़ी कम्पनियों ने महात्मा जी से प्रार्थना की है कि यूरोप जाते समय वे उनके ही जहाज़ों का प्रयोग करें। वे आपसे एक पैसा तक किराया स्वरूप नहीं लेंगे।

—उस दिन लन्दन के हाउस ऑफ़ लार्ड्स में लॉर्ड लायड के यह पूछने पर कि भारतवर्ष में अभी तक कितने बलवे हुए और कितने व्यक्ति हताहत हुए, लॉर्ड स्नेल ने यह उत्तर दिया कि केवल १९३१ में ६ जून तक कानपुर के दङ्गे को लेकर २२ बलवे हुए और ३०६ आदमी की मृत्यु हुई !

—लन्दन की एक ख़बर है, कि भारत के उपमन्त्री लॉर्ड पील से एसेम्बली के भूतपूर्व प्रेज़िडेण्ट श्री० पटेल से एक बन्द कमरे में तीन घण्टे तक बातें होती रहीं। अनुमानतः बातचीत का विषय भारत की वर्तमान परिस्थिति तथा आगामी गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स था। बातें हो ही रही थीं, कि मि० जिन्ना भी पहुँच गए और उनके साथ श्री० पटेल का साम्प्रदायिक समझौते पर बड़ी देर तक वार्तालाप हुआ।

* * *

क़ैदी

[श्री० हरिश्चन्द्र जी वर्मा, विशारद]

त्रि के आठ बज चुके थे। प्रकाश अपने कमरे में मेज़ के सामने बैठा तकली चलाने में तन्मय था। उसके दाहिने हाथ में छोटी-सी सुन्दर रूई की पूनी थी और बाएँ में तकली। दृष्टि लगी थी एक-टक तकली के ऊपर। सामने ही अङ्गरेज़ी को पुस्तक भी खुली पड़ी थी, परन्तु उसका ध्यान उस ओर न था। इस समय तो वह अपनी प्रिय तकली रानी के नाच ही में निमग्न था।

हाथ की रूई समाप्त होने पर जब उसने और रूई निकालने के लिए दराज़ की ओर दृष्टि फेरी तो अकस्मात् उसकी दृष्टि द्वार पर जा पड़ी। उसका हृदय धक् से हो गया! हाथ जहाँ का तहाँ रह गया! प्रकाश ने देखा, उसके पिता आग्नेय-नेत्रों से उसकी ओर देख रहे हैं। उसके नेत्र झुक गए, आशङ्का से उसका हृदय काँप उठा। रायसाहब गोपालस्वरूप पुत्र के इस तकली-प्रेम को देख कर क्रुद्ध उठे। उन्होंने झपट कर प्रकाश के हाथ से तकली छीन ली और उसे तोड़ कर एक ओर फेंकते हुए सक्रोध उसकी ओर देख कर बोले—क्यों रे, यह क्या कर रहा है? क्या पढ़ना-लिखना छोड़ कर कॉङ्ग्रेसी बनेगा?

अपनी प्यारी तकली की ऐसी दुर्दशा देख कर प्रकाश क्षुभित हो उठा। उसने सभय नेत्रों से एक बार तकली की ओर, और फिर पिता की ओर देखा और आँखें नीची कर लीं। रायसाहब पुत्र की यह धृष्टता सहन न कर सके और बढ़ कर तड़ाक से एक तमाचा उसके कोमल गाल पर मार ही तो दिया और बोले—तकली चलाएँगे! पढ़ना-लिखना तो ख़ाक नहीं। जब देखो, व्यर्थ बातों में समय नष्ट किया करता है।

प्रकाश का मुख तमतमा उठा। उसके भूरे नेत्र डबडबा आए। वह कातर दृष्टि से सामने पड़ी पुस्तक की ओर देखने लगा।

"ख़बरदार, जो कभी इन बातों पर ध्यान भी दिया। सीधी तरह पढ़ने में मन लगाओ।"—कह कर रायसाहब बाहर चले गए।

प्रकाश ने मुख उठा कर द्वार की ओर देखा। उसके सभीत नेत्रों में अश्रु-विन्दु छलक रहे थे।

२

अनेक प्रयत्न करने पर भी प्रकाश पढ़ने में मन न लगा सका। उसके हृदय में सदा यही विचार चक्कर लगाते कि कब अवसर प्राप्त हो और वह तकली चलावे। कभी-कभी पिता की रुद्र मूर्ति का विचार कर वह पुस्तक खोल कर पढ़ने बैठता, परन्तु दो-चार पंक्ति भी न पढ़ने पाता था कि मन किसी अन्य स्थान पर जा अटकता। वह सोचता, आज देश भर में स्वदेशी की गूँज है। घर-घर में चर्ख़े का प्रचार है। जिसके हाथ में देखो, तकली रानी नाच रही हैं। परन्तु मुझे तो उसका चलाना तो दूर, छूने तक की मनाही है।......परन्तु यदि यथेष्ट समय दिया जावे, तो क्या दिन भर में मैं पाव छटाँक सूत नहीं कात सकता? कात सकता हूँ, और इसी प्रकार अति शीघ्र ही एक कुर्ता तैयार हो सकता है। बस इन्हीं विचारों में न जाने कब तकली मेज़ की दराज़ से निकल आती और खुली पुस्तक पर नाचने लगती।

प्रकाश जब कभी किसी से खादी की प्रशंसा सुनता अथवा समाचार-पत्र में इस सम्बन्ध में किसी का व्याख्यान पढ़ता, तो उसका हृदय एक महत् आकांक्षा से आलोकित हो उठता। वह मन में कहता—'आह! मेरे शरीर पर भी खादी के वस्त्र होते!' परन्तु तुरन्त ही वह अपनी परवशता और पिता के विरोध का विचार कर उद्विग्न हो उठता। उसका हृदय रोने लगता।

३

होली का त्योहार आया। महीनों के उत्सुक लोग वस्त्र बनवाने के लिए दुकानों पर टूट पड़े। जिसे देखो वह खादी ख़रीद रहा था। किसी ने कुर्ता बनवाया, कोई कोट सिलवा रहा था। प्रकाश जब स्कूल में सुनता कि आज उसके एक मित्र ने खद्दर की धोती ख़रीदी है, एक ने कुर्ता सिलवाया है, तो उसका हृदय विचलित हो उठता। अपने विदेशी वस्त्रों को देख कर वह घृणा से झुँझला उठता और बलपूर्वक उनको फाड़ने का प्रयत्न करता।

अन्त में एक दिन बड़े साहस के साथ उसने अपनी माता से कहा—माँ! मेरे लिए भी एक गाढ़े का कुर्ता सिलवा दो, मैं भी खादी पहनूँगा।

माँ चौंक कर बोली—खादी! खादी पहन कर क्या कॉङ्ग्रेसी बनेगा?

"क्यों माँ! खद्दर पहनने से क्या कॉङ्ग्रेसी हो जाते हैं।"

"और नहीं तो क्या? बेटा! तू इन बातों में न पड़। इन कॉङ्ग्रेस वालों की बातों पर ध्यान भी मत दे। ये तो पागल हो गए हैं। व्यर्थ ही देश-भक्ति का राग अलाप कर अपना सिर फोड़वा रहे हैं।"

"परन्तु माँ! बिना कष्ट सहे तथा जेल गए तो स्वराज्य भी नहीं मिलने का।"

"न सही, तू सुख से रहे। हमें इसी में स्वराज्य है। हमें और स्वराज्य का क्या करना है?"

"नहीं माँ! मैं तो खद्दर अवश्य पहनूँगा।"

"तू तो पागल हो गया है।"—कह कर माँ चली गई।

प्रकाश की प्रार्थना का कुछ भी फल न हुआ। उसकी कोमल अभिलाषाएँ पद्दलित कर दी गईं।

४

प्रकाश का स्वास्थ्य गिरने लगा। प्रति दिन की चिन्ता तथा निराशा ने उसके सुन्दर कलेवर को खोखला करना आरम्भ कर दिया। उसके मुख की वह आभा, जो कभी उसके माता-पिता के हृदयों को प्रफुल्लित कर देती थी, न जाने कहाँ विलीन हो गई। वह हर समय एकान्त में बैठा किसी चिन्ता में लीन रहता। आधी रात बीत जाती। लैम्प तेल न रहने के कारण बुझने लगता, परन्तु उसकी विचार-धारा का अन्त न होता था।

गत तीन-चार मास से उसका मन पुस्तकों में बिल्कुल न लगता था। परीक्षा हुई, परन्तु वह पास न हो सका। परीक्षा-फल सुन कर पिता नाराज़ हुए, माता ने भाग्य को कोसा, परन्तु प्रकाश ने कुछ ध्यान न दिया। परीक्षा की सफलता अब उसके लिए कोई महत्व न रखती थी। धीरे-धीरे वह बीमार रहने लगा।

५

प्रकाश अब भी है। परन्तु उसके तब और अब में बहुत अन्तर है। अब वह कठिनता से पहचाना जाता है। दवा हो रही है, परन्तु कुछ होता दिखाई नहीं देता। उसे मानो अब जीवन से कुछ मोह नहीं है। प्रातःकाल जब प्रभात-फेरी वाले उसके कमरे के नीचे से—

"जागो हुआ सवेरा गाँधी जगा रहा है!"

गाते हुए निकलते हैं, तो वह कह उठता है कि "क्या कभी मुझ 'क़ैदी' के जीवन का अन्त न होगा?"

* * *

क़लम पकड़ नहीं सकते, मगर एडीटर हैं !!

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

ग़रीब, नातवाँ[1], मुफ़लिस हैं, और बेज़र[2] हैं !
न पूछो रङ्गे-ज़माना, कि सब से घट कर हैं !!
मिला के हाथ वह साहब से ख़ुद को भूल गए !
समझ रहे हैं कि क़िस्मत के हम सिकन्दर हैं !!
कभी कलेजे में चुभते हैं, यह कभी दिल में !
जनाब, आपके फ़िक़रे नहीं हैं, नश्तर हैं !!
नहीं है कुछ उन्हें 'पब्लिक' की बेहतरी से ग़रज़!
इसी ख़याल में वह मस्त हैं, कि "लीडर" हैं !!
एडीटरी भी हँसी-खेल, या तमाशा है !
क़लम पकड़ नहीं सकते, मगर "एडीटर" हैं !!
यही ग़ुरूर किसी रोज़ ख़ाक कर देगा !
वह अपने दिल में समझते हैं सब से बढ़ कर हैं !!
चुभें न क्यों दिले-दुश्मन में बैठते-उठते !
यह बात सच है कि 'बिस्मिल' के शेर[3] नश्तर हैं !!

१—कमज़ोर, २—निर्धन, ३—पद्य।

* * *

जापान का राजवंश

[डॉ० मथुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डी० लिट्]

संसार के इतिहास में किसी भी देश का राजवंश इतना पुराना नहीं, जितना जापान का है। वर्तमान राजवंश का संस्थापक नीनीगिनो मिकोटो था, जिसका शासन-काल इतिहासज्ञों ने ईसा-मसीह से ६६० वर्ष पूर्व निश्चित किया है। तब से अब तक जापान का शासन-सूत्र इसी वंश के हाथ में चला आया है। प्रथम संस्थापक ने एक दर्पण, तलवार और रत्नमाला राजचिह्न-स्वरूप भेंट किए थे। ये राजचिह्न अब तक इस राजकुल के अधिकार में रहते आए हैं। जापान के वर्तमान सम्राट इस कुल में एक सौ चौबीसवें सम्राट हैं। इस अर्से में न किसी वाह्य शत्रु ने जापान पर हमला करने का साहस किया है और न राजवंश के विपरीत कभी आन्तरिक विप्लव ही हुआ है। जापान के सम्राट् सम्पूर्ण देश में बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं और प्रजा उनको सूर्य का पुत्र समझती है। इस राजकुल की विशेषता यह है कि समय के अनुसार शासन-शैली में परिवर्तन करने में और अपने अधिकारों को नियन्त्रित करने में पीछे नहीं रहा है, और अधिकांश सम्राट ऐसे हुए हैं, जो अपने जीवन का एकमात्र ध्येय देश का अभ्युदय समझते थे। संसार के इतिहास में जापान का राजपरिवार ही ऐसा है, जिसमें और प्रजा में कभी खटपट नहीं हुई और जिसने उत्तरोत्तर अपने देश को उन्नत किया।

बयालीसवें सम्राट तक जापान में अनियन्त्रित निरंकुश शासन था। इस सुदीर्घ काल में राजपरिवार की सत्ता अपरिमित और अत्यन्त प्रबल थी। कभी सम्राट का परिवार प्रबल होता था और कभी सम्राज्ञी का पितृकुल। इस अर्से में दसवें, बारहवें, पन्द्रहवें, सैंतीसवें, बयालीसवें और पचासवें सम्राट बड़े प्रजा-हित-साधक और उन्नतिप्रिय हुए। बयालीसवें सम्राट ने जापान को कूपमण्डूकता से मुक्त किया और चीनी संस्कृति का अपने देश में प्रचार किया। इसी समय में स्वीकोटेनो प्रथम सम्राज्ञी हुई, जिसने स्वयं राज्य किया और उसके पश्चात् आठ महिलाओं ने और शासन किया। सन् ११८९ ईस्वी में, जिस समय बयासीवाँ सम्राट कोटाणो राज्य करता था, सम्राट और सेनापति में कई बरसों तक युद्ध रहा और अन्त में सब शासन-शक्ति सेनापति के हाथ में आ गई। सम्राट-कुल का अन्त तो नहीं हुआ, परन्तु वे नाममात्र के राजा रह गए। जैसे महाराष्ट्रों के उत्तरकाल में शिवाजी का वंश केवल नाममात्र का राजवंश था और सम्पूर्ण राज्यशक्ति पेशवाओं के हाथ में थी, ठीक वैसी ही अवस्था सात सौ वर्ष तक जापान की रही। परन्तु विचित्र बात यह है कि इस दशा में भी राजवंश के प्रति प्रजा की भक्ति में अन्तर नहीं आया। लोग नामधारी सम्राटों का भी वैसा ही सम्मान करते थे, जैसे शक्तिशाली और निरंकुश शासकों का।

यह सात सौ वर्षों का समय वास्तव में सैनिक शासन का समय था। इस अर्से में राज-परिवार को कई बार घोर आर्थिक सङ्कट का सामना करना पड़ा था और कठिनता से राज-मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा हो सकी थी। परन्तु सैनिक शासन का समय भी जापान में पैशाचिक शासन का समय नहीं था। सैनिक शासकों में भी कई उन्नत और प्रजा-हितैषी शासक हुए। और उन्होंने अपने देश को कई प्रकार से उन्नत बनाने का प्रयत्न किया। इन शासकों ने राजवंश के प्रति कभी भी अनादर प्रगट नहीं किया। टोकोटोमी हिदेयोशी नामक सैनिक शासक अत्यन्त प्रबल, चतुर और बुद्धिमान था। वास्तव में वही जापान का सम्राट था, लेकिन फिर भी वह यथानियम सम्राट का अभिवादन करता था और राजकुल को बड़े सुख के साथ रखता था। इस सैनिक शासन-काल में शासन-विधि का परम्परागत स्वरूप वैसा ही जारी रहा। एक समय बौद्ध-धर्म के सम्भावों के प्रभाव से लोगों में राजवंश के प्रति कुछ अश्रद्धा होने लगी थी, परन्तु वह प्रवृत्ति अधिक पुष्ट न होने पाई।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में जापान और पश्चिमी संसार का सम्पर्क बढ़ने लगा। इससे पूर्व प्रायः समस्त एशिया को किसी न किसी रूप में गोरे लोग दबा चुके थे और कहीं अपना शासन, कहीं अपना वाणिज्य स्थापित करके एशिया के प्रति रक्त-शोषण की नीति जारी कर चुके थे। भारतवर्ष, स्याम, इण्डो-चाइना और चीन में जब गोरी जातियाँ अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुकीं, तो उनकी दृष्टि जापान पर पड़ी। इस समय एशिया और अफ्रिका को अधिकृत करने के लिए यूरोपीय देशों में घोर सङ्घर्ष का आरम्भ हो चुका था। लगभग पचास वर्ष की घुड़दौड़ में दक्षिण एशिया में ग्रेट-ब्रिटेन को विजय प्राप्त हो गई थी, परन्तु पूर्वीय एशिया में यूरोप को एक और अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का सामना करना था। यह थी अमेरिका की वाणिज्य-नीति। भारतवर्ष से अङ्गरेज़ों ने फ्रान्स, हॉलैण्ड और पोर्चुगाल के व्यापारियों को खदेड़ भगाया था, लेकिन अमेरिका का सामना करना साधारण बात नहीं थी। इसलिए जब अमेरिका ने चीन और जापान के साथ व्यापारिक सन्धि स्थापित करके अपने व्यापार को विस्तृत करना चाहा, तो अङ्गरेज़ों ने कान नहीं हिलाया।

अमेरिका और यूरोप के सम्पर्क से जापान ने जितना शीघ्र लाभ उठाया, उतना किसी एशियाई देश ने नहीं उठाया। उधर सम्पर्क का आरम्भ हुआ और इधर जागृति का सूत्रपात। यूरोपीय व्यापार, यूरोपीय शिक्षा, यूरोपीय रहन-सहन और यूरोपीय राजनीति का जापान पर बड़ा प्रभाव पड़ा और जनता में एक अपूर्व जागृति के चिन्ह दिखाई देने लगे। जापान का साहित्य पश्चिमी साँचे में ढलने लगा। लोगों को अपने अतीत गौरव और वैभव पर अभिमान होने लगा और अधिकार-प्राप्ति के लिए आन्दोलन शुरू हो गया। इसी समय अमेरिका वाणिज्य-सन्धि स्थापित करने के लिए जापान पर दबाव डालने लगा। तत्कालीन सैनिक शासक शोगुनेत की आन्तरिक और परराष्ट्र-नीति का देश भर विरोध करने लगा और सम्राट-सत्ता को पुनः स्थापित करने का उद्योग होने लगा। फलतः सन् १८६७ में शोगुनेत ने स्वयं सब सत्ता तत्कालीन सम्राट मीजी के हाथ में सौंप दी। उस समय मीजी की अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी, परन्तु उसने असाधारण शासन-योग्यता का परिचय दिया। योग्य और राजभक्त राजनीतिज्ञों की सहायता से उसने बहुत अच्छा शासन किया और उदार-नीति का अवलम्बन किया। यों तो सम्पूर्ण एशिया एक रूढ़ि-ग्रस्त भूखण्ड है, परन्तु जापान के रीति-रिवाज और रूढ़ियों की अनेकता और कठोरता ऐसी थी, जिसे देख कर कोई भी सुधार-प्रिय नरेश निराश हो जाता। परन्तु सम्राट मीजी ने अपने देश को उन्नत और आधुनिक बनाने में अप्रतिभ साहस और दूरदर्शिता दिखलाई। दबाव में आकर जापान ने कई गोरे देशों से ऐसी सन्धियाँ कर ली थीं, जिसके कारण इन लोगों को अनेक विशेष अधिकार प्राप्त हो गए थे। परन्तु इस देश-व्यापी जागृति के कारण और सम्राट मीजी की उदार नीति के कारण विदेशियों की तूती जापान में अधिक समय तक न बोल सकी। मीजी के आरम्भ-काल में पश्चिमीय सभ्यता की जापान में ऐसी भारी लहर आई और देश ने उसका ऐसा अभिनन्दन किया कि देखते-देखते ही जापान का रूपान्तर हो गया। पश्चिमीय संस्कृति को जापान ने खुले हाथों से अपनाया, नवीन शिक्षा-शैली को ग्रहण किया। वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार किया

सफल-जीवन

[श्री० "मगन"]

शुचि सत्य-मार्ग पर जिसने ;
    दृढ़ रह कर नाम कमाया !
जिसके न पड़ी तन-मन में ;
    पापों की कलुषित-छाया !!

❃

लख प्राणि-मात्र को दुख में ;
    जिसका मन रोने लगता !
उद्धार-भाव मन-मन्दिर—
    में सोते-जगते जगता !!

❃

हाँ, इस जग-मध्य उसी का ;
    बस जीवन सफल कहाया !
पर-हित-वश होकर जिसने ;
    तिल-तिल कर प्राण गँवाया !!

और सब भाँति अपने ज्ञान-क्षितिज को विस्तृत किया। कला-कौशल की ओर सरकार ने विशेष ध्यान दिया और जगह-जगह सरकार की सहायता से कल-कारख़ाने स्थापित हो गए। सैकड़ों नवयुवक भिन्न-भिन्न प्रकार की वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए यूरोपीय देशों में जाने लगे और जापान तीस वर्ष के अन्दर ही यूरोपीय देशों की समता करने लगा। इस सर्व-व्यापी जागृति का परिणाम यह हुआ कि जापानी लोग शासन-सुधार की आवश्यकता का अनुभव करने लगे और सम्राट मीजी ने भी अपूर्व उदारता दिखाते हुए, स्वयं अपने अधिकारों को सीमित करके, पार्लियामेण्टरी (जनसत्तात्मक) शासन स्थापित कर दिया। सब जागीरदारों ने स्वयं अपने विशेष अधिकारों को त्याग कर, देश को उन्नत किया। वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में ही इन सर्वव्यापी सुधारों के कारण जापान की, संसार के उन्नत और शक्तिशाली देशों में गणना होने लगी। आज से तीस वर्ष पहले अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जापान की कोई प्रतिष्ठा न थी, परन्तु गत महायुद्ध से पहिले ही सम्पूर्ण उन्नत गोरे राष्ट्र उसको आदर और भय की दृष्टि से देखने लग गए थे। चीन और रूस ने इसको युद्ध करके दबाना चाहा, परन्तु उस समय जापान की सैनिक शक्ति इतनी सङ्गठित और उन्नत हो चुकी थी कि दोनों अभिमानी देशों को उलटे मुँह की खानी पड़ी और जापान का मस्तक और भी ऊँचा हो गया। सन् १९१२ में सम्राट मीजी का देहान्त हो गया और सम्राट तेशो राजसिंहासन पर बैठा।

तेशो का शासन-काल विश्व-व्यापी संसार-सङ्कट का समय था। इस भयङ्कर भूकम्प ने अनेक राजनीतिज्ञ महारथियों की बुद्धि की परीक्षा ले ली। कई रण-पण्डितों का अन्त कर दिया, अनेक सम्राटों के राज-मुकुट गिरा दिए और कई राष्ट्रों को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला और दासता की बेड़ियों में जकड़ दिया। यदि इस समय जापान उन्नत और शक्तिशाली न हो गया होता, तो उसको मिश्र और ईराक़ की भाँति आज किसी न किसी गोरी शक्ति की संरक्षता में रहना पड़ता। किन्तु जापान इतना उन्नत और प्रबल हो गया था, कि ग्रेट-ब्रिटेन और जर्मनी दोनों सहायता के लिए उसका मुँह ताकने लगे। यह अङ्गरेज़ों का सौभाग्य था कि जापान ने उनका पक्ष ग्रहण किया। चीन और जापान के सान्निध्य से जापानी सेना ने जर्मनी के जङ्गी जहाज़ों को खदेड़ भगाया और उसके पश्चात् जापान के सैनिक जहाज़ों ने हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर और रोम सागर में पहरा दिया। इस शक्ति-प्रदर्शन के कारण संसार जापान का लोहा मानने लगा और जापान की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। सन् १९२६ में सम्राट तेशो का स्वर्गवास हो गया और वर्तमान सम्राट राजसिंहासन को अलंकृत करने लगे। युवराज युवराजावस्था में ही समस्त यूरोप में भ्रमण करके अपने ज्ञान-क्षितिज को विस्तृत कर चुके थे और संसार की स्थिति से परिचित हो चुके थे। राजसिंहासन पर बैठने के पश्चात् वर्तमान सम्राट ने अपने जीवन को नियमित बना कर तथा देश के उन्नति-मार्ग में सहायक बन कर और भी प्रजाप्रिय बन गए। सम्राट मीजी के पौत्र में जिस योग्यता और निपुणता की जनता आशा करती थी, उसी का आपने परिचय दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जापान का महत्व इतना बढ़ गया है कि कोई भी समस्या उसके सहयोग के बिना हल नहीं हो सकती। गत नवम्बर में जापान, ग्रेटब्रिटेन और अमेरिका के बीच नौ-सेना को परिमित करने के विषय में एक सन्धि हुई थी और यह आशा प्रकट की गई थी कि अन्य राष्ट्र भी इस सन्धि का अनुकरण करके समर-सम्भावना को कम करेंगे। इस सन्धि से पाठकगण अनुमान लगा सकते हैं कि संसार में जापान की प्रतिष्ठा अमेरिका और ग्रेटब्रिटेन के समान है। इस समय एक जापानी न्यायाधीश हेग अदालत का अध्यक्ष है और राष्ट्र-सङ्घ में जापान की ख़ूब चलती है। संसार के सम्पूर्ण सभ्य राष्ट्रों में जापान के काउन्सल अर्थात् राज-प्रतिनिधि रहते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैण्ड आदि देशों में एशिया-निवासियों के साथ बड़े अत्याचार होते हैं; परन्तु जापानियों के साथ दुर्व्यवहार करने का किसी को साहस नहीं होता। सन् १९२१ में जब ड्यूक ऑफ़ ग्लोस्टर जापान गया तो जापानी सरकार ने उसका बड़े धूमधाम के साथ स्वागत किया था, परन्तु ड्यूक ने भी जापान-नरेश के सामने वैसा ही व्यवहार किया था, जैसा एक महान स्वतन्त्र राष्ट्र के अधिपति के सामने उसको करना चाहिए था। चित्र* में पाठक देखेंगे कि जापान-नरेश किस प्रकार खड़े हुए हैं और ड्यूक कैसी नम्रता के साथ उनसे मिल रहा है। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि जिस समय ब्रिटिश-सरकार का कोई गोरा अफ़सर किसी वैष्णव भारतीय नरेश के यहाँ मेहमान होकर जाता है, तो तीतर-बटेर और हिरण आदि पशुओं का उसके हाथों से संहार करवा कर उसका मनोविनोद किया जाता है, परन्तु जब ड्यूक जापान गया तो जापान के प्रधान मन्त्री के साथ उसके द्वारा हिरणों को हरी घास खिलवाई गई और इस प्रकार जापान-सरकार ने अपने बौद्ध-मत की दयालुता का एक हिंसा-प्रिय जाति के प्रतिनिधि को परिचय दिया।

देखिए जलता है कब घर-घर चराग़े इत्तेफ़ाक़ !

[कविवर "बिस्मिल" इलाहाबादी]

हाथ मलता है, वह अब रोशन दमाग़े इत्तेफ़ाक़,
जिसने महफ़िल में, जलाया था चराग़े इत्तेफ़ाक़ !
किस क़दर रोशन था, एक-एक दिल में दाग़े इत्तेफ़ाक़,
बुझ गया, नाइत्तेफ़ाक़ी से चराग़े इत्तेफ़ाक़ !
बन गई बादेख़िज़ाँ,[1] नाइत्तेफ़ाक़ी की हवा,
हो गया बरबाद, कितना जल्द बाग़े इत्तेफ़ाक़ !
रोग़ने[2] उल्फ़त से, अहले हिन्द को लेना था काम,
फिर बुझ सकती, न आँधी भी चराग़े इत्तेफ़ाक़ !
आतिशे[3] बुग़्ज़ो हसद ने, ख़ाक कर डाला इसे,
फूलने-फलने न पाया, अपना बाग़े इत्तेफ़ाक़ !
फिर अँधेरा छा गया, चारों तरफ़ आफ़ाक़[4] में,
हो के रोशन बुझ गया, फ़ौरन चराग़े इत्तेफ़ाक़ !
बाग़बाँ ग़ाफ़िल हैं, क्यों लेते नहीं इसकी ख़बर,
सूख कर सहरा[5] हुआ जाता है बाग़े इत्तेफ़ाक़ !
हज़रते "बिस्मिल" यही है रात-दिन दिल की लगन,
देखिए जलता है कब घर-घर चराग़े इत्तेफ़ाक़ !

१—हवा, २—तेल, ३—आग, ४—संसार, ५—जङ्गल,

जापान की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति के साथ उसकी साम्राज्य-नीति भी अधिकाधिक स्वार्थमयी और जटिल होती जाती है। रूस और चीन उसके निकटवर्ती राष्ट्र हैं, इसलिए इनके साथ उसकी हमेशा खटपट रहती है। इन दोनों राष्ट्रों को युद्ध में परास्त करके यह अपना आतङ्क जमा चुका है। रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना के पश्चात् से ही जापान का उसके साथ व्यवहार पहिले की अपेक्षा कुछ अच्छा हो गया है और रूस ने भी अपनी परम्परागत हरण-नीति का त्याग कर दिया है। परन्तु साम्यवादी प्रचारक जापान में ऐसी दृष्टि से नहीं देखे जाते और समय-समय पर उनके साथ कठोरताएँ हुआ करती हैं! साथ ही मज़दूर-दल और साम्यवादी लोगों का पक्ष भी प्रबल होता जाता है और कोई आश्चर्य नहीं, यदि किसी दिन जापान की पार्लियामेण्ट इन लोगों के हाथ में आ जाय। बात यह है कि साम्यवादी विचार-धारा जिस प्रकार अन्य उन्नत राष्ट्रों में फैलती जाती है, उसी प्रकार जापान में भी यह पहुँच गई है और इस विषय में जापान और रूस में लड़ाई होना अधिक सम्भव नहीं है। चीन के व्यापार पर हमेशा से जापान का दाँत लगा हुआ है। जिस समय चीन में निरङ्कुश शासन था, तो वहाँ के सम्राट पर दबाव डाल कर जापान ने ऐसी व्यापारिक सन्धि करवा रक्खी थी, जिससे जापान को पुष्कर लाभ हुआ करता था। जिस समय चीन में राजा और प्रजा में सङ्घर्ष आरम्भ हुआ, उस समय जापान ने चीन के राजवंश को प्रचुर धन से सहायता दी। जापान जानता था कि सम्राट् की सहायता करने में उसका हित है। जागृत प्रजा जापान की व्यापार-सन्धि का अन्त करना चाहती थी और जापानियों के विशेषाधिकारों को रद्द करना चाहती थी। इसलिए उसको सहायता देने से या उदासीन रहने से जापान का क्या लाभ था? बल्कि उसकी हानि थी। जापान को तो आर्थिक लाभ उसी अवस्था में होता, जब चीन की जनता कुचल दी जाती, सम्राट् की विजय हो तो, राजपरिवार जापान के ऋण से दब जाता, और जापान के विशेषाधिकार अक्षुण्ण रूप से जारी रहते। चीन में प्रजातन्त्र स्थापित हो चुका, उसके पश्चात भी जापान अपनी अनुदार नीति का अनुसरण करता रहा। इस समय अर्से से चीन में वह कलह जारी है। स्वर्गीय डॉक्टर सनयातसेन की धर्मपत्नी के नेतृत्व में साम्यवादी दल सोशलिस्ट सरकार स्थापित करना चाहता है और शासक-पार्टी जन-सत्तात्मक शासन को ही चीन के लिए हितकर समझती है। इस कलह में भी जापान शासक-पार्टी के साथ है। वैसे तो अब चीन में जापान, अमेरिका या ग्रेटब्रिटेन किसी का भी विशेष अधिकार नहीं चल सकता, परन्तु जापान को यदि किसी पार्टी से लाभ हो सकता है तो वह केवल शासक-पार्टी से, अतः जापान की नीति सदैव अनुदार रहती है।

पिछले १२ वर्ष से जापान का व्यापार संसार में ख़ूब चमकने लगा है। महासमर के समय समस्त यूरोपीय देशों से एशिया में पक्का माल आना प्रायः बन्द हो गया था। उस मौक़े से जापान ने ख़ूब लाभ उठाया और एशिया के सब देशों में उसका माल पहुँचने लगा। अभी भारत-सचिव श्री० बेन ने पार्लियामेण्ट में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने अङ्कों द्वारा बतलाया था कि महासमर से पूर्व की अपेक्षा इस समय चीन के साथ इङ्गलैण्ड का व्यापार केवल तृतीयांश रह गया है। इसका कारण यह है कि चीन के बाज़ार को जापान ने अपने माल से पाट दिया है। जब से भारत में स्वातन्त्र्य संग्राम जारी हुआ है, तब से जापान को और अधिक लाभ होने लगा है। इस समय करोड़ों रुपए का कपड़ा और दूसरा माल जापान से भारतवर्ष में आता है।

विश्वव्यापी आर्थिक शैथिल्य का प्रभाव इस समय जापान पर भी पड़ रहा है। सरकार ने राजकर्मचारियों की तनख़्वाह कम करने का प्रस्ताव किया, तब एक बार तो बड़ा असन्तोष उमड़ा था, पर अब शान्ति है। पाठकों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि जापान के प्रधान मन्त्री को केवल १,४००) रुपए मासिक वेतन मिलता है और अब भविष्य में उसको केवल १,२००) रुपए मासिक मिलेंगे।

* * *

* जापान-नरेश और ड्यूक का चित्र अन्यत्र देखिए।

भारत में सर्वतोमुखी क्रान्ति

[श्री॰ चन्द्रपालसिंह जी, बी॰ ए॰]

मारे देश में बहुत दिनों से प्रत्येक क्षेत्र में एक ऐसी महान् सर्वव्यापी क्रान्ति की आवश्यकता थी, जो बिलकुल ही उसकी कायापलट कर दे। उसके युवक-गण वृद्ध भारत का अग्नि-संस्कार करने को उतावले हो रहे थे, और उस दिन का स्वर्ण-स्वप्न देख रहे थे; जब कि असहाय, परतन्त्र, दीन-हीन, जीर्ण-शीर्ण, दकियानूसी वृद्ध भारत के अग्नि-स्तूप में से सर्व-शक्ति-सम्पन्न, स्वतन्त्र, समृद्धिशाली, नव्य-भव्य भारत का उदय हो। वास्तव में सैकड़ों वर्षों की ग़ुलामी तथा रक्तशोषण से एवं परम्परा से अपरिवर्तित रूप से चली आने वाली धार्मिक तथा सामाजिक रूढ़ियों और पाखण्डों के कारण भारत की दशा उस असाध्य रोगी के सदृश हो गई थी, जिसकी रोग से मुक्ति केवल उसके प्राणान्त के साथ ही हो सकती है। बहुत से लोग तो भारत की दशा से सचमुच निराश हो गए थे। इधर-उधर के सुधारों से सिवाय रोग की अवधि बढ़ने के कोई लाभ न होता था। वह ज़माना पाश्चात्य सभ्यता के दौर-दौरे का था। पूर्व न केवल पश्चिम का राजनैतिक और आर्थिक दास था, वरन् वह उसकी दिमाग़ी ग़ुलामी में भी बँधा हुआ था। पूर्व पर पश्चिम का ऐसा जादू पड़ गया था कि वह उसका प्रत्येक बात में अन्धानुकरण करने में ही अपने को परम सौभाग्यशाली समझता था। यह दशा बड़ी ही भय और आशङ्का से पूर्ण थी। उस समय ज्ञात होता था कि भारत की जीवन-शक्ति का स्रोत नितान्त ही सूख गया है। अतएव भारत को नवीन जन्म देने के लिए एक सर्वव्यापी, सर्वतोमुखी महान् क्रान्ति की आवश्यकता थी। प्रश्न केवल यही था कि क्या उस क्रान्ति में से ग़ुज़रने की भी शक्ति उसमें अवशिष्ट है तथा उस क्रान्ति का रूप कैसा हो?

क्रान्ति के रूप को ठीक-ठीक समझने के लिए दो-एक उदाहरण यदि दे दिए जायँ, तो कदाचित् अप्रासङ्गिक न होगा। जिस प्रकार सब प्रकार की औषधि करने पर भी कोई फोड़ा बढ़ता ही जाता है तो उसको चीर कर उसका मवाद निकालने के लिए डॉक्टर के नश्तर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार देश की असाध्य बुराइयों को दूर करने के लिए क्रान्ति की आवश्यकता होती है। इसी तरह यदि कोई मकान इतना जीर्ण-शीर्ण हो जाय, कि अगर आज उसकी एक जगह मरम्मत की जाती है, तो कल दूसरी जगह वह खिसक पड़ता है और यह ख़तरा बना रहता है कि न जाने कब यह सब का सब उसमें रहने वालों के सिरों पर गिर पड़े, तो इसके सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता कि उस मकान को गिरा कर दूसरा नया मकान बनाया जाय। हाँ, उस पुराने मकान के कुछ अच्छे मसाले को काम में लाया जा सकता है। डॉक्टर के नश्तर का अथवा उस पुराने मकान को गिराने का काम ही क्रान्ति करती है। प्रत्येक राष्ट्र को क्रान्ति की ज़रूरत होती है। वही उसकी बार-बार अवरुद्ध होने वाली जीवन-गति को सञ्चालित करके ताज़ा बनाए रखती है। एक प्रकार से क्रान्ति ही राष्ट्रों को जीवन देने वाली शक्ति है। फिर वह चाहे हिंसात्मक हो अथवा अहिंसात्मक। क्रान्ति का शाब्दिक अर्थ है, सहसा होने वाला एक महान् परिवर्त्तन।

इस प्रकार की क्रान्तियाँ पश्चिमी देशों में बहुत हुई हैं। जब-जब प्रजा किसी निरङ्कुश राजा के अत्याचार से पीड़ित हुई है, अथवा किन्हीं सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों के कारण समाज छिन्न-भिन्न हो गया है, अथवा मुट्ठी भर सत्ताधारियों ने देश की सारी सम्पत्ति पर क़ब्ज़ा करके श्रमजीवियों को पेट भरने भर को भी नहीं छोड़ा है, तब-तब उस देश की प्रजा ने विद्रोह करके उस अत्याचारपूर्ण प्रणाली का सर्वनाश कर दिया है। फ़्रान्स, इङ्गलैण्ड, इटली, हॉलैण्ड और रूस आदि देशों की क्रान्तियाँ इसका उदाहरण हैं। भारत के नवयुवक ऐसी ही क्रान्ति की योजना का प्रयत्न कर रहे थे, या स्वप्न देख रहे थे।

ये सभी क्रान्तियाँ सशस्त्र थीं और हज़ारों-लाखों दोषी-निर्दोषी स्त्री-पुरुषों के रक्त से सनी हुई होती थीं। इनका परिणाम भी जोखिमपूर्ण होता था। यह आवश्यक नहीं था कि वाञ्छित फल मिले ही। प्रायः यह इन क्रान्तियों में कई वर्गों और व्यक्तियों के स्वार्थों का ताण्डव-नृत्य होता था, जिसका परिणाम था, उनका एक दूसरे से एकाधिकार पाने के लिए प्रतिद्वन्दिता। पर तो भी ये क्रान्तियाँ अत्याचार, विषमता और पाखण्ड को मिटाने के लिए नितान्त आवश्यक थीं।

भारत में महात्मा गाँधी के दस महीनों के इस विगत आन्दोलन ने जो क्रान्ति की आग प्रज्ज्वलित कर दी है, वह अभूतपूर्व है। उसमें सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह अहिंसात्मक है। सब कुछ अपने पर सह कर विपक्षी की ओर एक अँगुली भी न उठा कर सफलतापूर्ण लड़ाई करना संसार के इतिहास में एक अद्वितीय मौजिज़ा (Miracle) है। जो जागृति इन दस महीनों में देश के प्रत्येक वर्ग में हुई है, जो सङ्गठन लोगों में आ गया है, जो शक्ति उन्होंने सम्पन्न कर ली है, जो आत्म-विश्वास उनके हृदयों में भर गया है, वह सैकड़ों वर्षों में भी प्राप्त होना कठिन था। यद्यपि इस आन्दोलन के पीछे कई वर्षों की तैयारी थी—किस क्रान्ति के पीछे यह तैयारी नहीं होती—तो भी इसके संक्रामक एवं विस्फोटक रूप तथा अद्भुत प्रभाव को देख कर इसको एक विचित्र दैवी क्रान्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकते। क्या युवक, क्या वृद्ध; क्या स्त्री, क्या बच्चे—किसी भी अवस्था के लोग इसके जादू भरे प्रभाव से नहीं बचे। क्या हिन्दू, क्या मुसलमान; क्या ईसाई, क्या पारसी—किसी भी धर्म के लोग इसमें भाग लिए बिना नहीं रहे। क्या किसान, क्या मज़दूर; क्या व्यापारी, क्या ज़मींदार—सभी वर्ग के व्यक्तियों ने इस महान राष्ट्र-यज्ञ में अपनी यथाशक्ति आहुतियाँ डाली हैं। बहुत से कुटुम्बों ने तो अपना सर्वस्व इसमें झोंक दिया है। क्या राजनैतिक, क्या आर्थिक, क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या साहित्यिक, क्या सांस्कृतिक—किसी भी क्षेत्र में विचार-सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक क्रान्ति हुए बिना नहीं रही। इतने बड़े देश में थोड़े से समय में इतनी महान अहिंसात्मक क्रान्ति! संसार के इतिहास के पन्ने उलट जाइए, आपको कहीं भी ऐसा उदाहरण देखने को न मिलेगा। यद्यपि इस क्रान्ति की अभी पूर्णाहुति नहीं हुई, इस नाटक का अभी अन्तिम दृश्य सामने नहीं आया, और यह आन्दोलन अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया है, पर तो भी इसका अदृष्ट और सर्वव्यापी प्रभाव लोगों के हृदयों पर सदा रासायनिक क्रिया करता रहेगा।

महात्मा गाँधी वर्तमान युग की महान विभूति हैं। ऐसे पुरुष सहस्रों वर्षों में एकाध ही होते हैं। मैशीन-रूपी राक्षस से पीड़ित, हिंसा और स्वार्थ के विषमय वातावरण से परिवेष्टित आधुनिक संसार के लिए महात्मा जी मसीहा हैं। उनका सत्य और अहिंसा का सन्देश आज अमृत का काम कर रहा है। भारत को अपने पुनरुत्थान के लिए ऐसे ही महात्मा की आवश्यकता थी, जो अपने दिव्य आत्मिक बल से मरणासन्न देश में एक साथ ही जीवन-सञ्चार कर दे। उन्होंने अब तक संसार में होने वाली हिंसात्मक क्रान्तियों के बदले ऐसी अहिंसात्मक क्रान्ति प्रज्ज्वलित की है, जो उन क्रान्तियों के गुणों को रखते हुए भी उनके दुर्गुणों से रहित है।

भारतीय क्रान्ति बहुत-कुछ अंशों में केवल एक मनोवैज्ञानिक क्रान्ति (Psychological Revolution) है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है; और सचमुच मानसिक विचारों की क्रान्ति ही, वास्तविक क्रान्ति है। उसके बाद जो कुछ होता है, वह तो उसका अनिवार्य प्रतिरूप है। दृश्य-जगत (Objective World) भी तो हमारे मन का केवल प्रतिबिम्ब (Correlative) मात्र है।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन ने राजनैतिक क्षेत्र में जो क्रान्ति उत्पन्न की है, पहले हम उसी का दिग्दर्शन कराते हैं। इस आन्दोलन ने कॉङ्ग्रेस की प्रतिष्ठा को जितना ऊँचा कर दिया है, उतना कई वर्षों में भी नहीं हो सकती थी। यह कितनी बड़ी बात है कि जो सरकार इस आन्दोलन से पूर्व कॉङ्ग्रेस को केवल मुट्ठी भर विद्रोहियों की नगण्य संस्था समझती थी, वही सरकार उससे समझौते को तैयार होती है तथा गोलमेज़-परिषद् सम्बन्धी अपनी नीति को बदल कर कॉङ्ग्रेस को उसमें भाग लेने के लिए सम्मानपूर्वक निमन्त्रित करती है। इसका कारण केवल कॉङ्ग्रेस की दिन-दिन बढ़ती हुई शक्ति थी। इस आन्दोलन के कारण कॉङ्ग्रेस ने बच्चे-बच्चे के हृदय में घर कर लिया है। आन्दोलन के दरम्यान कॉङ्ग्रेस ने जो अद्भुत सङ्गठन, कार्य-कुशलता, उत्तरदायित्व तथा प्रबन्ध-क्षमता दिखाई, उससे स्पष्ट ज्ञात होता था कि अब वह दिन दूर नहीं, कि कॉङ्ग्रेस भारतीय नौकरशाही के बराबर की सङ्गठित सरकार हो जाय। ऑर्डिनेन्स पर ऑर्डिनेन्स निकलते रहने पर भी कॉङ्ग्रेस का कार्य जिस ख़ूबी के साथ चलता रहा, वह स्वयं ही केवल विजय कहला सकता है। जिस सफलता के साथ कॉङ्ग्रेस पिकेटिङ्ग करती थी, जिस कुशलता के साथ वह देश-द्रोहियों का सामाजिक बहिष्कार कराती थी तथा जिस क्षमता के साथ वह जुर्माने वसूल करती थी और मुक़द्दमे तय करती थी, वह उसको बराबर की गवर्नमेण्ट कहलाने के लिए काफ़ी था।

सब से बड़ी सफलता जो कॉङ्ग्रेस को इन दिनों में मिली है, वह है किसानों का सङ्गठन। इस आन्दोलन से पूर्व कॉङ्ग्रेस का सन्देश देश के गाँवों में नहीं पहुँचा था। किसान नहीं जानते थे कि स्वराज्य किस चिड़िया का नाम है। इस आन्दोलन ने किसानों में बड़ी जागृति उत्पन्न कर दी और उनमें अपने स्वत्वों के

लिए लड़ने की शक्ति पैदा कर दी। जगह-जगह नमक-क़ानून तोड़ने और लगानबन्दी के आन्दोलन ने उनके हृदयों में वीरता, उत्साह और आशा का सञ्चार कर दिया। अब वे लोग पहले के से लाल पगड़ी को देख कर भागने वाले, घूस ख़ोर सरकारी नौकरों के शिकार नहीं रहे। कॉङ्ग्रेस और महात्मा गाँधी के प्रति उनके हृदयों में श्रद्धा है तथा नौकरशाही के प्रति घोर असन्तोष। कॉङ्ग्रेस के वालण्टियरों में अधिक संख्या ग्रामनिवासियों ही की थी, जिन्होंने लाठियाँ खाईं, सब कष्ट झेले तथा जेल गए। कॉङ्ग्रेस की शक्ति की 'रीढ़ की हड्डी' वे ही हैं। उन पर कॉङ्ग्रेस सदैव विश्वास रख सकती है। इसी प्रकार मज़दूरों में भी अपूर्व सङ्गठन हुआ है। ग्रामों में राजनैतिक जागृति (Political Consciousness) बहुत बढ़ गई है। यह बात इसीसे प्रमाणित होती है कि शायद ही कोई ऐसा अभागा गाँव रह गया होगा, जहाँ कोई समाचार-पत्र न आता हो, अथवा जहाँ के लोग बाहर की ख़बरें सुनने में दिलचस्पी न लेते हों। समाचार-पत्रों की ग्राहक-संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती है। लोग बड़े चाव से समाचार-पत्र पढ़ते हैं तथा राजनैतिक समस्याओं पर बातें करते हैं।

इस आन्दोलन ने कॉङ्ग्रेस पर महात्मा गाँधी के प्रभाव को बहुत बढ़ा दिया। अब वही एकमात्र उसके सर्वेसर्वा हैं। उनके अनुयायियों में उनके प्रति अटल विश्वास है। और ऐसा विश्वास हो भी क्यों न उस पुरुष के प्रति, जिसमें अपने विचारों को कार्यरूप में परिणत कर देने की अद्भुत शक्ति है? भगतसिंह की फाँसी और अस्थायी सन्धि के प्रश्नों पर प्रत्येक जगा यह सम्भावना थी कि कॉङ्ग्रेस में दो दल हो जायँगे, परन्तु ऐसा न हुआ। यह महात्मा जी की कार्य-क्षमता में जनता का अनन्य विश्वास होने का प्रबल प्रमाण है। इस आन्दोलन के कारण कॉङ्ग्रेसमैनों में अद्भुत सैनिक सङ्गठन आ गया है तथा कॉङ्ग्रेस की मैशीनरी सुचारु रूप से सञ्चालित होने लगी है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो विशेष राजनैतिक महत्व रखती है, वह है अन्य देशों की भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम के प्रति नैतिक सहानुभूति। इस लड़ाई के विपक्षी की ओर से सब प्रकार के अत्याचार सहने पर भी, अहिंसात्मक रहने से भारत को दूसरे राष्ट्रों की सहज में यथेष्ट सहानुभूति प्राप्त हुई, जो लाखों रुपए ख़र्च करके प्रचार करने से भी नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि स्वयं इङ्गलैण्ड के बहु-संख्यक लोग—विशेषतः लेबर-पार्टी के सदस्य—भारत के स्वराज्य-प्राप्ति के अधिकार के हामी हैं। अन्य प्रभावशाली देशों की सहानुभूति विशेष अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखती है। इससे इङ्गलैण्ड को भी अपनी मनमानी करने की हिम्मत नहीं रही तथा अमेरिका आदि देशों में उसका जो भारत के विरुद्ध प्रचार होता था, उसकी भी निस्सारता सिद्ध हो गई।

हमारा सब से बड़ा शस्त्र जो इस लड़ाई में था, वह विदेशी वस्त्र का बहिष्कार (जो केवल आर्थिक महत्व रखता है) तथा सम्पूर्ण ब्रिटिश माल का बहिष्कार! यह इतना अमोघ शस्त्र था कि केवल इसी ने इङ्गलैण्ड के छक्के छुड़ा दिए और उसे अस्थायी सन्धि करने को विवश कर दिया। आर्थिक बहिष्कार (Economic Boycott) बड़ी विकट मार है। जर्मनी की हार केवल इसी कारण हुई थी। यदि केवल ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया जाय तो विकट अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति उपस्थित हो सकती है, जिसकी साधारण शुरुआत भारत में आने वाले कपड़े पर इङ्गलैण्ड की अपेक्षा अन्य देशों (विशेषतया जापान) पर ५ प्रति शत अधिक कर लगाने के कारण जापान और इङ्गलैण्ड में परस्पर विद्वेष बढ़ने से हुई थी।

गोलमेज़-परिषद् में न जाकर कॉङ्ग्रेस के सविनय-अवज्ञा आन्दोलन की घोषणा कर देने से एक और लाभ यह हुआ कि उससे गवर्नमेण्ट को कॉङ्ग्रेस की महती शक्ति का पता लग गया, जिससे वह अब उसकी सहज उपेक्षा नहीं कर सकती और साथ ही उसे यह ज्ञात हो गया कि कॉङ्ग्रेस ही देश की वास्तविक प्रतिनिधि है और जो नाम के प्रतिनिधि वहाँ गए, वे केवल खिलौने मात्र थे। जब तक माँग के पीछे शक्ति नहीं होती, तब तक माँग पूरी नहीं होती, चाहे वह कितनी ही न्याययुक्त क्यों न हो। अतः इतने शक्ति-प्रदर्शन के बाद कॉङ्ग्रेस अब इङ्गलैण्ड को अधिक अधिकार देने को बाध्य कर सकती है।

एक और महत्वपूर्ण फल जो इस आन्दोलन से हुआ, वह है मुसलमानों में अपूर्व राष्ट्रीय जागृति तथा राष्ट्रीय मुस्लिम-दल का सङ्गठन। इस आन्दोलन से पहले मुसलमानों में नाम-मात्र को राष्ट्रीयता का भाव था और मुस्लिम जनता धर्मान्ध मौलवी-मुल्लाओं के हाथ की कठपुतली थी। राष्ट्रीय नेता जो दो-एक थे, उनका प्रभाव भी नहीं के बराबर था। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात है कि जब तक कोई जाति किसी उच्च उद्देश्य के लिए त्याग नहीं करती, कष्ट नहीं झेलती, तब तक उसमें न तो सङ्गठन आता है, न विचारों की एकता और न उस उद्देश्य के प्रति अनन्य भाव। इस आन्दोलन ने मुसलमानों में अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ, तसद्दुक़ अहमद ख़ाँ शेरवानी, डॉक्टर आलम, डॉक्टर सय्यद महमूद आदि जैसे त्यागी, विचारवान, राष्ट्रीय नेताओं को उत्पन्न किया है, जिनके प्रयत्न से मुसलमानों में एक नई राष्ट्रीय लहर आ गई है और अब हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रश्न बहुत-कुछ सुलझ गया है तथा कट्टर धर्मान्ध मुस्लिम नेताओं के प्रयत्न निष्फल से हो गए हैं। १९२०-२१ की हिन्दू-मुस्लिम एकता केवल स्वार्थ पर अवलम्बित थी, अतः नाम-मात्र की थी। हृदय नहीं मिले थे। अब की एकता सच्ची एकता होगी। सरहद के ख़ूँख़ार पठानों में महात्मा गाँधी के सिद्धान्तों के प्रति श्रद्धा के भाव का उदय होना एक बड़ा मोजिज़ा—आश्चर्यपूर्ण घटना—है। उन्होंने इस लड़ाई में जिस अतुल त्याग और असीम साहस का परिचय दिया है, वह भारत भर में अद्वितीय है। उसने हिन्दुओं को मुसलमानों की माँगों को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लेने के मार्ग को बहुत सुगम बना दिया है, क्योंकि एक जाति का दूसरी जाति के प्रति अविश्वास मिटने पर ही तो दोनों में एकता का अङ्कुर उग सकता है। मुसलमानों में अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ (जिनको सरहद के गाँधी जैसे प्रिय नाम से सब पुकारते हैं) जैसे उदाराशय नेता का उदय होना भारत के उज्ज्वल भविष्य का सूचक है।

आर्थिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक विदेशी वस्त्र का बहिष्कार ही भारत के लिए करोड़ों रुपयों का लाभ है। भारत की राजनैतिक ग़ुलामी, आर्थिक ग़ुलामी पर ही अवलम्बित है। जहाँ दूसरी की कड़ियाँ टूटीं, वहाँ पहली से मुक्ति हुई। सब से बड़ी सफलता जो कॉङ्ग्रेस को इस क्षेत्र में हुई, वह थी व्यापारियों द्वारा विदेशी कपड़े के आयात का बिल्कुल बन्द कराना। रचनात्मक रूप से खादी का जो प्रचार हुआ है, वह भी कम नहीं। इस आन्दोलन ने खद्दर की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया। बड़े-बड़े सूट-बूट-धारी अफ़सरों अथवा स्वतन्त्र पेशे वालों को लेखक ने कम से कम घर में तो खद्दर पहनते देखा है। हाल की महात्मा जी की शिमला-यात्रा भी इसका प्रमाण है। खद्दर के बढ़ते हुए प्रचार के कारण करोड़ों भूखों का जो उदर-पोषण हुआ तथा बेकारी की समस्या कुछ दूर तक सुलझी, उसका मूल्य कूतना असम्भव है। साथ ही स्वदेशी की हर प्रकार से जो उन्नति हुई वह भी कम महत्व की नहीं है।

सामाजिक क्षेत्र में इस आन्दोलन ने जो क्रान्ति पैदा कर दी है, वह और भी अधिक आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज, विशेषतया हिन्दू-समाज सैकड़ों वर्षों से अनेक रोगों से ग्रस्त है, जिनके कारण दिन पर दिन उसकी जीवन-शक्ति (vitality) क्षीण होती जाती थी। इसी कारण राजनैतिक प्रगति में भी बाधा होती थी। परन्तु महात्मा गाँधी के थोड़े समय के इस आन्दोलन ने हिन्दू-समाज के लिए वह काम किया है, जो आर्य-समाज, ब्रह्म-समाज आदि अनेक समाज तथा शुद्धि और सङ्गठन के आन्दोलन वर्षों में भी नहीं कर सके। तसद्दुक़ अहमद ख़ाँ शेरवानी ने लखनऊ की राष्ट्रीय मुस्लिम कॉन्फ्रेन्स में बिल्कुल ठीक कहा था कि महात्मा गाँधी जैसे सैकड़ों सुधारक सैकड़ों वर्षों में हिन्दू-जाति में वह जागृति, सुधार तथा सङ्गठन नहीं उत्पन्न कर सकते थे, जोकि इस आन्दोलन में भाग लेने से उसमें अपने आप आ गया है।

स्त्री-जाति सम्बन्धी जागृति विशेष उल्लेखनीय है। स्त्रियों ने, जो अब तक गृहस्थी के जञ्जाल ही से छुटकारा न पाती थीं; घर की चहारदीवारी तक ही जिनका जगत सीमित था; पर्दे की प्रथा, अधिक आभूषण पहनने का शौक़ आदि कुरीतियों से जो ग्रस्त थीं—उन्होंने जो काम इस आन्दोलन में किया है, वह पुरुषों के लिए ईर्ष्या की वस्तु है। इस आन्दोलन की सफलता का बहुत अधिक श्रेय केवल स्त्रियों को है। सच पूछो तो शराब और विदेशी वस्त्र पर पिकेटिङ्ग उन्हीं ने सफल बनाई। हज़ारों-लाखों की संख्या में केसरिया साड़ी पहिने, राष्ट्रीय झण्डे लिए तथा राष्ट्रीय गीत गाते हुए महिलाओं के विराट जुलूस जब बम्बई, आगरा, बनारस प्रभृति नगरों में निकलते थे, तब हृदय एक अनिर्वचनीय आनन्द से नाच उठता था तथा स्वतन्त्र भारत एवं समता-प्राप्त नारी-जाति का भव्य दृश्य आँखों के आगे नाचने लगता था। छोटे-बड़े सब घरों की बालिकाएँ, युवतियाँ एवं वृद्धा नारियाँ जिस अदम्य उत्साह से मूर्तिमती भगवती दुर्गा सी गुण्डों और बदमाशों के बीच धरना देती थीं, नृशंस पुलिस की लाठियाँ सहती थीं तथा सहर्ष जेल जाती थीं, वह पुरुषों के लिए अनुकरणीय है। इस आन्दोलन में भारतीय महिलाओं द्वारा ऐसे-ऐसे वीरतापूर्ण कार्य किए गए हैं, जिनका उदाहरण संसार के किसी भी स्वतन्त्र कहे जाने वाले देश में न मिलेगा तथा जो सदैव भारत का मुख उज्ज्वल करते रहेंगे। पर्दे को फाड़ कर, बाहर निकल कर पुरुषों के साथ काम करती हुई, स्त्रियों का दृश्य सचमुच स्वर्गीय था। लेखक ऐसे कितने ही उदाहरण जानता है, जिनमें अपने पतियों के जेल जाने के पश्चात् उनकी स्त्रियों ने पर्दे से बाहर निकल कर उनका काम सँभाला है। हिन्दुओं में तो कम से कम पर्दा अब नाम-मात्र को रह गया है। श्रीमती लीलावती मुन्शी के शब्दों में "जिन स्त्रियों ने ब्रिटिश सरकार के घुटने टिका दिए, वे पति, पिता और पुत्र के भी घुटने टिका सकती हैं। वे अब जग गई हैं—अपनी ताक़त जानती हैं। अब वे गुड़िया बन कर नहीं रह सकतीं। वे शक्ति और स्वाधीनता का सुफल चख चुकी हैं।" स्त्रियों में यह अद्भुत कायापलट उस 'जादूगर' का ही प्रभाव है। हज़ारों की संख्या में शहरों का तो कहना ही क्या, गाँवों में स्त्रियाँ सभाओं में जाती हैं और बड़े चाव से व्याख्यान सुनती हैं। स्त्रियों में इतनी जागृति उस देश के लिए, जिसने स्त्री-जाति को बिल्कुल पददलित कर रक्खा था, बड़े सौभाग्य

का सूचक है। उन स्त्रियों ने, जिन्हें थोड़ी भी इस आन्दोलन की हवा लगी है, न केवल पर्दा छोड़ दिया, भारी-भारी आभूषणों का पहनना त्याग दिया, सादा जीवन अख़्त्यार कर लिया, चर्ख़ा कातना शुरू कर दिया तथा खद्दर पहनना प्रारम्भ कर दिया, वरन् उनके विचारों में—मनोवृत्तियों में—भी महान परिवर्तन हो गया। वे स्वतन्त्र भारत की, स्वतन्त्र सन्तान की योग्य जननी हो गई हैं।

इस आन्दोलन के दिनों में छोटे-छोटे बालकों ने जिस उत्साह और चाव से काम किया था, वह भी कम महत्व का नहीं है। नगर-नगर में बाल-सभाएँ और वानर-सेनाओं का सङ्गठन एक बिल्कुल नया काम था। बचपन में जो भाव हमारे हृदय-पटल पर अङ्कित हो जाते हैं, वह जन्म भर नहीं मिटते। क्या आप समझते हैं कि जो बच्चे असहयोग के ज़माने में जन्मे हैं अथवा उसी वातावरण में पले हैं तथा इस सविनय अवज्ञा आन्दोलन के जुलूसों में 'महात्मा गाँधी की जय' 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' आदि के नारे लगाते हुए 'झण्डा ऊँचा रहे हमारा' आदि राष्ट्रीय गीत गाते हुए घूमे हैं, कभी राष्ट्रीय भाव से सूने रह सकते हैं, अथवा बड़े होने पर देशद्रोही हो सकते हैं? कदापि नहीं। यह बच्चे तो भावी स्वतन्त्रता-संग्राम में आजकल के युवाओं से भी अधिक जोश से लड़ेंगे तथा स्वतन्त्र भारत की ज़िम्मेदारियाँ इन्हीं के सबल कन्धों पर पड़ेंगी। इस आन्दोलन में इन बच्चों ने वह-वह काम किए, जो बड़ी उम्र के लोग नहीं कर सकते। लाहौर के राजपाल का क़िस्सा अभी ताज़ा ही है और सदा भारतीय बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी पुस्तकों में मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा जायगा। इस प्रकार इस आन्दोलन ने वीर बालकों की एक जाति की जाति (Race) उत्पन्न कर दी है, जो बिना स्वतन्त्रता लिए दम नहीं लेगी। गोद के दुधमुँहे बच्चों को तोतली बोली से 'महात्मा गाँधी की जय' और 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' कहते हुए सुन कर लोग कहते थे कि यह आन्दोलन तो ईश्वरीय प्रेरणा से सञ्चालित प्रतीत होता है।

सामाजिक क्षेत्र में एक और प्रकार की ज़बरदस्त क्रान्ति हुई है। वह है, जाँत-पाँत के भाव का क्षीण होना और समता का भाव आना तथा खान-पान की पाबन्दियों का टूटना। इस आन्दोलन ने सारे देश में एक साथ एक बड़े युद्ध का वातावरण पैदा कर दिया था। हज़ारों की संख्या में भाग लेने वाले स्वयंसेवक और सेविकाएँ अपने को युद्ध में लड़ने वाले सैनिक समझते हुए कोई भी जाति-उपजाति का ख़याल न रखते थे और खाने-पीने में किसी बात का विचार नहीं करते थे। यह दृश्य सचमुच देखने लायक़ होता था कि सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक जो हिन्दू, मुसलमान, छोटी-बड़ी—सभी-जाति के होते थे, सत्याग्रह-छावनियों में एक साथ बैठ कर सप्रेम कच्चा भोजन करते थे। इस आन्दोलन ने, सच पूछा जाय तो पुराने दक़ियानूसी विचारों के गढ़ में बम के गोले का काम किया है। जितनी ही सामाजिक रूढ़ियाँ समाज में घुन का काम करती थीं, वे अब अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिन रही हैं।

सब से बड़ा काम जो इस आन्दोलन ने किया, वह था देश के प्रत्येक वर्ग में त्याग-भाव को जाग्रत करना तथा उसे प्रदर्शित करने का सुअवसर देना। व्यापारियों, सेठ-साहूकारों, पूँजीपतियों, ज़मींदारों, किसानों, विद्यार्थियों—सबने यथाशक्ति धन-जन से सहायता की थी। किसी भी जीवित-जाग्रत जाति के लिए त्याग की बड़ी भारी आवश्यकता है। त्याग ही उसका जीवन है। जब तक किसी समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना सर्वस्व, अपना जीवन तक समाज की धरोहर नहीं समझता और सारे समाज पर आपत्ति पड़ने पर उसे सहर्ष समर्पित करने को तैयार नहीं हो जाता, तब तक वह समाज कदापि न उन्नत हो सकता है और न जीवित रह सकता है। व्यष्टि को समष्टि में अन्तर्हित कर देना ही सच्चा त्याग है। स्वतन्त्रता का मूल्य यह त्याग ही है। इस आन्दोलन ने यह दिखा दिया कि भारत अपनी स्वतन्त्रता के लिए कोई भी मूल्य चुका सकता है। राष्ट्रीय सैनिकों ने इस अहिंसात्मक स्वातन्त्र्य-संग्राम में जो अद्भुत साहस और धैर्य का परिचय दिया है तथा जो वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, वे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाकर सदैव चिरस्मरणीय रहेंगे। बिना ख़ून में गर्मी लाए चुपचाप खड़े अथवा बैठे धड़ाधड़ लाठियों की मार खाना, घोड़ों की टापों से कुचले जाना तथा आगे छाती किए हुए गोलियों की बौछार सहना किसी भी स्वतन्त्र देश के लिए गौरव की बात है। स्त्रियों और बालकों की वीरता का तो कहना ही क्या? उसकी बराबरी तो कोई देश आज तक नहीं कर सका। स्वयंसेवकों का सैनिकों जैसा सङ्गठन तथा नियमन (Discipline) भी एक शताब्दी से अधिक समय से ग़ुलाम तथा निःशस्त्र एवं कायर देश के लिए अनोखी और दर्शनीय वस्तु थी। इसके साथ ही देश के धनिक लोगों का तत्परता के साथ आन्दोलन की धन और अन्न से सहायता करना कम महत्व का नहीं है। कॉङ्ग्रेस को धन की कमी कहीं भी कभी नहीं पड़ी। करोड़ों रुपयों का दान कॉङ्ग्रेस को मिला होगा। कपड़े के व्यापारियों ने लाखों-करोड़ों रुपए की हानि सह कर विदेशी कपड़े का मँगाना बन्द कर दिया तथा आए हुए माल पर कॉङ्ग्रेस की मुहर लगवा दी, यह भी कम त्याग नहीं है। अन्य देशों में पूँजीपतियों और श्रमजीवियों में होने वाली लड़ाई तथा द्वेष के विरुद्ध भारतीय पूँजीपतियों का यह अपूर्व त्याग प्रबल विष (Antidote) का काम करता है—दोनों वर्गों में प्रेम, सहयोग और भ्रातृ-भाव उत्पन्न करने की ओर प्रवृत्त होता है। बोलशेविज़्म के प्रबल शत्रु गाँधीवाद का जादू यहीं प्रकट हो जाता है। गाँधी का आन्दोलन तो वार्गिक द्वेष (Class hatred) उत्पन्न करने के बजाय सबको उसमें यथाशक्ति भाग लेने को प्रेमपूर्वक आमन्त्रित करता है। धनियों की स्वार्थवृत्ति का नष्ट होना और उनका राष्ट्रीय हित की ओर अग्रसर होना कॉङ्ग्रेस के सर्व-प्रिय होने का प्रमाण है। बङ्गाल के स्वदेशी आन्दोलन के समय जिन मारवाड़ियों ने उससे अनुचित लाभ उठाया और बङ्गालियों के कोप-भाजन बने, उन्हींने इस आन्दोलन में अपने पाप का पूर्ण प्रायश्चित्त किया। यहीं तक नहीं, विद्यार्थीगण अपने जीवन के सुखमय स्वप्नों को भुला कर, सारी आशाओं पर पानी फेर कर, इस संग्राम में कूद पड़े; कृषक-गण अपनी बाप-दादों से चली आने वाली जायदादों और घर-बार को छोड़ कर जङ्गलों में जा बसे, नौकरी-पेशा लोग अपनी नौकरियों की परवाह न कर राष्ट्र के साथ हो चले; फ़ौजी सैनिकों ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर गोली चलाने से इन्कार कर दिया; ये सब राष्ट्र-यज्ञ की गौरवपूर्ण आहुतियाँ हैं, जिन पर वृद्ध भारत अपनी ग़ुलामी की दशा में भी अपना सिर ऊँचा कर सकता है। इस आन्दोलन ने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक त्याग-भाव की एक अद्भुत विद्युत-लहरी फैला दी। लोगों पर जादू सा पड़ गया। देश-प्रेम के मतवाले अपनी-अपनी बलियों को राष्ट्र की वेदी पर बलिदान करने को उतावले हो उठे और एक-दूसरे से प्रतिद्वन्द्विता करने लगे। वह दृश्य देवताओं के लिए भी दर्शनीय था।

साहित्यिक क्षेत्र में यदि इस आन्दोलन का अथवा महात्मा गाँधी का नैतिक प्रभाव देखना हो, तो आजकल के सामयिक पत्रों के लेखों, कहानियों तथा प्रकाशित पुस्तकों को पढ़ जाइए। आपको इनमें सादगी, विचारों की गहनता तथा अश्लीलता का अभाव मिलेगा। यदि गाँवों की ओर आप निकल जाइए, तो स्त्रियों को वैसे ही राष्ट्रीय गीत गाते सुनेंगे। जहाँ देखो वहीं वायु-मण्डल राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत है। स्थायी मौलिक साहित्य के निर्माण का समय तो अभी आया है। साथ ही हिन्दी को राष्ट्र-भाषा होने का गौरव प्राप्त हो गया है।

इससे भी अधिक स्थायी क्रान्ति जो हुई है, वह सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई। यद्यपि इसका कारण साधारण तौर से और व्यापक रूप से गाँधीवाद है, पर इस आन्दोलन ने उसे अधिक जागरूक बना दिया है। भारतवर्ष पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से जड़वाद की ओर प्रवाहित हो चला था। वह पश्चिम की शान-शौकत से चकित हो गया था और अपने आप को बिल्कुल भूल सा गया था। परन्तु गाँधी की आँधी ने उसकी सुप्त आध्यात्मिकता को जगा दिया। उसमें अब आत्म-गौरव का भाव आ गया है। वह स्वयं स्वतन्त्र विचार करने लगा है और उसे पाश्चात्य सभ्यता की भीतरी पोल का पता चलता जाता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गाँधी ने स्वयं एक लँगोटी से गुज़र करके, एक ग़रीब से ग़रीब की तरह रह कर 'सादा जीवन और उच्च विचार' (Plain living and high thinking) का जो सन्देश लोगों को दिया है, वह सदा भारतीयों को ठीक रास्ते पर लगाता रहेगा और अपने पूर्वज ऋषियों के आदर्श का स्मरण दिलाता रहेगा। उनका चर्ख़ा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। वह आज संसार में पूँजीवाद और मैशीनवाद से होने वाली सब बुराइयों की रामबाण औषध है। वह अमीर-ग़रीब में समता, प्रेम और भ्रातृभाव उत्पन्न करने वाला है। वह बेकारी की समस्या को सुलझाने वाला है। वह संसार को बोलशेविज़्म से होने वाली ख़ून-ख़राबी से बचाने वाला है। संसार को भारत का दिव्य सन्देश यही चर्ख़ा है। खद्दर के प्रचार ने लोगों में सात्विकता का भाव भर दिया है। उनमें समता और सादगी भर गई है।

इतना ही नहीं, इस आन्दोलन (असहयोग आन्दोलन भी इसी आन्दोलन की भूमिका-मात्र था) ने सारे देश में एक जागृति-काल (Renaissance) उपस्थित कर दिया, जिससे साहित्य-कला आदि प्रत्येक क्षेत्र में मौलिकता आ गई है। इन आन्दोलनों ने ऐसे न जाने कितने दार्शनिकों को उत्पन्न किया है, जो अपने मौलिक विचार से देश के ज्ञान-भण्डार को बढ़ाएँगे। लोगों की बुद्धि (Intellect) सचेष्ट हो गई है, स्वतन्त्र-विवेचन उनमें आ गया है। पहिले की सी दिमाग़ी ग़ुलामी अब रफ़ूचक्कर होती जाती है। लेखक ऐसे कितने ही व्यक्तियों को जानता है, जिनके मस्तिष्क पर असहयोग आन्दोलन की टक्कर ने प्रतिक्रिया की है और वे अब बड़े स्वतन्त्र विचारक और दार्शनिक हो गए हैं, जिनका किसी भी देश को गर्व हो सकता है!

इस महान क्रान्ति के भिन्न-भिन्न रूपों और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रभावों का पूरी तरह वर्णन करना इस लेख में असम्भव है। अभी तो इस क्रान्ति का पूर्वार्द्ध भी पूरा नहीं हुआ। यह भारत की अद्वितीय अहिंसात्मक क्रान्ति संसार भर में युगान्तर उपस्थित कर देगी और भारत को फिर से भूले-भटके संसार का गुरुत्व पद पाने का सौभाग्य प्रदान करेगी, और वह दिन शीघ्र आने वाला है, जब सारा संसार एक बार इन शब्दों से निनादित हो उठेगा कि "भारत के दिव्य महात्मा द्वारा प्रेरित यह अहिंसात्मक क्रान्ति चिरजीवी हो!"

* * *

भारतीय क्रान्ति के प्रति डेनियल जे० ली के विचार

"अस्पष्ट प्रतिज्ञाओं के द्वारा भारतवासियों को धोखा देने का समय नहीं रहा!"

"चीन के सम्बन्ध में जापानी राजनीतिज्ञों को ठोकर खाते देख कर भी अङ्गरेज़ों की आँखें अभी नहीं खुली हैं।"

श्री० डेनियल जे० ली ने 'चाइना वीकली रिव्यू' में भारत के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण लेख लिखा है। पाठकों के लाभ के लिए उसका भावानुवाद यहाँ पर दिया जाता है:—

जब भारतीय सरकार भद्र अवज्ञा आन्दोलन को नहीं दबा सकी, तथा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रचलित अन्य आन्दोलनों का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो उसने महात्मा गाँधी के साथ सलाह-मशविरा करके, सुलह कर लेना ही उचित समझा। यही सुलह गाँधी-इर्विन समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। क्या इस समझौते की शर्तें भारतीय जनता के लिए सन्तोष-प्रद हैं? अथवा क्या इस समझौते से यह प्रकट होता है कि भारतीय क्रान्ति का अन्त हो गया? इन प्रश्नों का उत्तर बिना भारत की आर्थिक तथा सामाजिक समस्या पर विचार किए, देना असम्भव है। भारत की वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ भ्रमण करने की आवश्यकता है। समाचार-पत्रों से ठीक-ठीक बातों का पता चलना सम्भव नहीं। वास्तव में भारतीय क्रान्ति की लहर संसार के कोने-कोने में पहुँच चुकी है। भारतीय क्रान्ति, आज संसार के प्रत्येक राजनीति-विशारद के विचार की सामग्री हो गई है। प्रत्येक देश की जनता अपने रोज़मर्रा की बातचीत में भारतीय क्रान्ति का उल्लेख किया करती है।

भारत में प्रवेश करने से पहले इस लेख का लेखक यह नहीं जानता था कि भारतवासी किन मुसीबतों में दिन बिता रहे हैं, और अत्याचारी शासकगण किस तरह उनके साथ पेश आ रहे हैं। यह बात सच है कि अख़बारों द्वारा थोड़ी-बहुत ख़बर मिलती रही थी, किन्तु वह अपर्याप्त थी। मुझे वास्तव में यह नहीं मालूम था कि भारतवासी क्रान्ति के मैदान में कितनी दूर अग्रसर हो चुके हैं। राजनीति-विज्ञान के एक विद्यार्थी की हैसियत से मैंने स्वयं अपनी आँखों से भारतीय परिस्थिति का निरीक्षण करना शुरू किया। इसी क्रान्ति का अध्ययन करने के लिए, भारत के मुख्य-मुख्य नगरों में मैंने कई मास बिता दिए।

बहिष्कार का प्रभाव

भारतीय क्रान्ति में 'अहिंसा' और 'असहयोग' परिचित शब्द हैं। हम इन शब्दों से परिचित तो अवश्य हैं, किन्तु इनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखने ही पर मालूम होता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में आने के कुछ ही दिनों बाद मैं एक सूट का ऑर्डर देने के लिए एक अङ्गरेज़ दर्ज़ी की दूकान पर गया। उस दर्ज़ी ने मुझसे कहा कि "मैं यह ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि कपड़े कब दूँगा, क्योंकि भारतीय यूरोपियनों का काम करने से इन्कार कर रहे हैं। इस आन्दोलन से मैं घबड़ा सा गया हूँ। भारतवासी यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। अङ्गरेज़ों ने उनकी इतनी भलाई की है, उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित न कर, भारतवासी उल्टे उन्हें ही विपद में डाल रहे हैं।" जिस किसी अङ्गरेज़ व्यापारी से मैं मिला, उसने इन्हीं बातों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस भद्र अवज्ञा आन्दोलन को नहीं रोकेगी, तो परिस्थिति और भी भयङ्कर रूप धारण कर लेगी। ये अङ्गरेज़ इस आन्दोलन की जड़ तक तो पहुँचते नहीं थे, उल्टे भारतवासियों को दोष देते थे। वास्तव में भारतवासियों के प्रति उनके भाव में घृणा का भाव मिश्रित होता था। वे इस बात का ज़रा भी विचार नहीं करते थे कि भारत में अङ्गरेज़ों के राजनैतिक आधिपत्य से भारतवासियों को कितनी हानि हो रही है। जब मैं बाज़ारों में गया, तो देखा कि अङ्गरेज़ी माल वहाँ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जापानी माल मिलने में कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। इसका कारण एक तो यह है कि भारतवासी विशेषतया अङ्गरेज़ी माल का ही वहिष्कार कर रहे हैं और दूसरे यह कि जापानी माल कम अच्छा होने पर भी सस्ता है।

एक बार जब मैं मोटर पर, होटल को लौट रहा था, रास्ते में मैंने टैक्सी ड्राइवर को एक तम्बाकू वाले की दूकान पर मोटर खड़ी करने के लिए कहा, क्योंकि मुझे कुछ सिगरेट ख़रीदने थे। किन्तु ड्राइवर ने उस दूकान पर मोटर खड़ी करने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि "समीप ही एक दूकान है, जहाँ चीनी सिगरेट मिलता है, चलिए वहीं मोटर खड़ी करूँगा। आपको अङ्गरेज़ी सिगरेट नहीं ख़रीदना चाहिए।" इससे साफ़ मालूम पड़ता है, कि जनता किस प्रकार क्रान्ति में भाग ले रही है।

एक दिन मैं एक चीनी रेस्टॉरेण्ट में गया। वहाँ रेस्टॉरेण्ट के मालिक ने एक ऐसे भारतीय से मेरी जान-पहचान कराई, जिन्होंने इङ्गलैण्ड में शिक्षा प्राप्त की थी और जो अनेक वर्षों से सरकारी नौकरी कर रहे थे। उनसे भारत की आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में मेरी जो बातें हुईं, उनसे कुछ उद्धरण मैं यहाँ दूँगा। उन्होंने कहा—"यदि आप ५० वर्ष पहले भारत आए होते, तो जहाँ कहीं भी आप जाते, भारतवासी आपका स्वागत करने से न चूकते। यदि आप देहातों में जाते तो पीने के लिए जल के स्थान पर आपको दूध दिया जाता और क्षुधा मिटाने के लिए काफ़ी रोटियाँ मिलतीं। वहाँ आप देखते कि स्त्रियाँ सोने के आभूषणों से सजी हुई हैं और इन आभूषणों का मूल्य हज़ारों रुपए से कम नहीं है। यह तो मैं साधारण श्रेणी के मनुष्यों की बातें कह रहा हूँ, धनी व्यक्तियों के सम्बन्ध में बातें कुछ और ही होतीं। किन्तु आज आप ठीक इसके विपरीत यहाँ की दशा पाएँगे। आज यदि आप देहातों में जायँ तो आप वहाँ अतिथि-सत्कार की आशा नहीं कर सकते। इसके विपरीत वे ही आपसे सहायता की आशा करेंगे। अब, धनी व्यक्ति भी बहुत कम ही सोने के आभूषण पहनते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति को सुधारने के लिए, पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। दीवार के सहारे खड़े रह कर भी हम अपने अत्याचारी शासकों के साथ युद्ध करेंगे, क्योंकि अन्य किसी प्रकार से स्वतन्त्रता मिल नहीं सकती।"

मैंने भारत में जो कुछ देखा है, उसके अनुसार उपर्युक्त बातों में कुछ भी अत्युक्ति नहीं है।

एक मिलता-जुलता उदाहरण

उस जापानी राजनीतिज्ञ ने, जिसने चीनी-सरकार के समक्ष २० शर्तों को पेश किया था, अन्त में स्वीकार किया कि यह उसके जीवन की सब से बड़ी भूल है। अन्य जापानी राजनीतिज्ञों ने भी उसे एक भयङ्कर भूल मानी है। यद्यपि वे इसे भूल मानते हैं; किन्तु केवल बातों ही तक अपनी भूल स्वीकार करते हैं। चीन के प्रति उनके भावों में कुछ भी अन्तर नहीं हुआ है। जापानियों ने चीनियों के हृदय में सद्भाव उत्पन्न न कर, उल्टे अपने आचरणों से उनके हृदय में अपने प्रति घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया है। इसका फल यह हुआ है कि चीनियों ने भी जापानी माल का ठीक उसी तरह बहिष्कार किया है, जिस तरह कि भारतवासियों ने अङ्गरेज़ी माल का। इससे जापानी व्यापार को भी ब्रिटिश व्यापार की ही तरह क्षति उठानी पड़ी है। अक्सर हम कहा करते थे कि ठोकरें खाने के बाद सँभलना आसान है। किन्तु अङ्गरेज़ इस तथ्य को समझ नहीं रहे हैं। जापानी राजनीतिज्ञों के ठोकर खाने पर भी, अङ्गरेज़ों की आँखें अभी नहीं खुली हैं। अब भी वे बल-प्रयोग को शान्ति-रक्षा का अन्तिम साधन समझते हैं। आज भारत में नाना प्रकार के अन्याय और अत्याचारों का साम्राज्य है। केवल ६ महीनों के भीतर ५४,००० भारतीय जेलों में बन्द किए गए थे। भारतीय सरकार ने समझा था कि यह क्रान्ति सन् ५७ के ग़दर की पुनरावृत्ति-मात्र है और बल-प्रयोग से इसका दमन किया जा सकता है। किन्तु अन्त में यह देख कर कि सशस्त्र सैनिक इस आन्दोलन का दमन करने में असमर्थ हैं, सरकार ने समझौता स्वीकार कर लिया। अब ज़रा समझौते की ओर देखिए। यह समझौता भारतीय आन्दोलन का एक परिच्छेद मात्र है। इससे यह कदापि नहीं विदित होता है कि क्रान्ति का अन्त हो गया। यदि सरकार चाहती है कि भारतवासी शान्ति क़ायम रक्खें, तो वह भारतवासियों के प्रति सद्भाव और मित्रता प्रकाशित करे, और उन्हें पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करे। सरकार को उचित है कि व्यर्थ की अस्पष्ट प्रतिज्ञाओं द्वारा फिर भारतवासियों को बेवक़ूफ़ बनाने की कोशिश न करे। गाँधी जी कहते हैं—"एक समय वह था, जब मैं ब्रिटिश प्रजा होने का गर्व करता था। मैं अपने देश और ग्रेट-ब्रिटेन को भलाई के लिए अनेक बातें सोचा करता था। किन्तु अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञों के कपटपूर्ण व्यवहार और उनकी अस्पष्ट प्रतिज्ञाओं ने मेरे हृदय में अङ्गरेज़ सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न कर दिया है। अब ऐसी हालत में सहयोग असम्भव है।" मैं फिर कहता हूँ, कि अङ्गरेज़ ऐसी-ऐसी बातें कह कर, कि वे भारत की भलाई के लिए ही यहाँ आए हैं, भारतवासियों को बेवक़ूफ़ बनाने की कोशिश न करें। इसमें किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता है कि अङ्गरेज़ अपनी भलाई के लिए भारत आए थे, भारतवासियों के प्रति हितकामना से प्रेरित होकर नहीं। और जब तक उनकी इच्छा पूरी होती रहेगी, वे यहाँ ठहरे रहेंगे। किन्तु क्या मैं अङ्गरेज़ों से यह कह सकता हूँ, कि जब तक वे भारतवासियों के प्रति सच्चाई और ईमानदारी का व्यवहार न करेंगे और उन्हें पूर्ण-स्वाधीनता न दे देंगे, तब तक उनका उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकता?

* * *

प्रेम

[कविवर श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

भ्रातृ-प्रेम का दृढ़ बन्धन है,
पर तोड़ो उसको इस काल !
नहीं देखते हो क्या चिन्ता—
से कुञ्चित भारत का भाल ?
भाई ही भाई न, आजकल
भाई सभी देशवासी।
भाई वही नहीं हैं केवल—
जो हैं दुष्ट देश-त्रासी ॥
अन्य प्रेम को त्याग, इस समय,
केवल करो देश से प्रेम !
अपना सारा क्षेम भूल कर,
सन्तत करो देश का क्षेम !!

❁

सन्तति तुमको अति प्यारी है,
पर छोड़ो उसकी ममता !
भारत की शिशु-संस्तृति करती,
क्या न उसी की है समता !!
अपनी ही सन्तान न सन्तति,
सन्तति सब भारत-सन्तान !
रक्खोगे क्या आज नहीं तुम,
दृढ़ता से उन सबका ध्यान ?
अन्य प्रेम को त्याग इस समय,
केवल करो देश से प्रेम !
अपना सारा क्षेम भूल कर,
सन्तत करो देश का क्षेम !!

❁

बहुत ठीक है, देख न सकते,
माता का भूखों मरना !
निश्चय है कर्तव्य हर समय,
ही उसका पोषण करना !!
पर दुख से कितनी कातर है,
जन्म-भूमि, माँ की माता !
उसके दुख में क्या न तुम्हें है,
माँ का प्रेम भूल जाता ?
अन्य प्रेम को त्याग इस समय,
केवल करो देश से प्रेम !
अपना सारा क्षेम भूल कर,
सन्तत करो देश का क्षेम !!

❁

पथ में दुख ही दुख दिखते, पर,
आवेगा वह सुख-संसार !
जिसको पाकर भूल जायगा,
तृण-सा सम्प्रति दुख का भार !!
तब भाई पर, सन्तति पर,
माता पर करना खुल कर प्यार !
पहले उसको भूल देख लो,
स्वर्गिक स्वतन्त्रता का द्वार !!
अन्य प्रेम को त्याग इस समय,
केवल करो देश से प्रेम !
अपना सारा क्षेम भूल कर,
सन्तत करो देश का क्षेम !!

* * *

भिखारिन

[श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त 'कुसुमाकर' बी० ए०, एल-एल० बी०]

बिखरे केश बदन पर चिथड़े,
मुख उदास है खड़ी हुई।
कृश तन भूख-प्यास से व्याकुल,
पर निश्चय है अड़ी हुई।
कब से खड़ी द्वार पर तेरे,
निशि-दिन अलख जगाती है।
रो-रोकर यह कौन भिखारिन,
तुझको टेर बुलाती है ?
मैला अञ्चल उसका निशि-दिन,
व्याकुल रुदन भिगोता था।
तब तू आलस के वश हाकर,
लम्बी ताने सोता था।
चीख़-चीख़ कर चिल्लाती थी,
तड़प-तड़प रह जाती थी।
कातर-वदना, हृदय-वेदना,
रो-रो तुझे सुनाती थी।
किन्तु तुझे तो नशा चढ़ा था,
कौन नशा था, क्या जानें।
जिसको पीकर भूला अपनी,
और पराई पहचानें।
कुचलीं क्रूर काल ने क्रमशः,
उसकी सब अभिलाषाएँ।
तुझको जगा-जगा कर हारी,
उसकी सारी आशाएँ।
अब तूने अँगड़ाई ली है,
कुछ आशा सी होती है।
फूट-फूट कर और कदाचित,
इसीलिए वह रोती है।

❁

यह क्या "माँ" "माँ" कह कर दौड़ा,
चरणों पर जाकर लेटा।
क्या कहती है अरी भिखारिन।
"चिरञ्जीव मेरे बेटा"

* * *

विहग-गान

[श्री० 'केसरी']

जाग अयि ! जगती !! अलस-भरी !
उतर रही कल किरण-तरी पर हँसती उषा-परी।
जाग.........

निर्वासित-सी रजनी-रानी—
छोड़ ओस-मिस लोचन-पानी—
चली; गगन के हिय की मुरझी विकसित फूल-लरी।
जाग अयि जगती ! अलस-भरी !

तोड़ स्नेह का झूठा सपना;
वञ्चक मोह-जाल ले अपना—
बुझा दीप, टूटी परवानों की निद्रा गहरी।
जाग.........अलस-भरी !

निशि के उर को स्नेह-कली-सी,
शाप-विधुर किन्नरी-लली सी ;
मली नियति कर से निशि-गन्धा की बहार गुज़री।
जाग.........अलस-भरी !

सोई पल्लव-सेज सलौनी ;
लतिका की अज्ञान मृदु छौनी—
परस-पुलक से प्रात-पवन के कलिका हँस सिहरी।
जाग अयि जगती ! अलस-भरी !

प्राची ने ले कुङ्कुम-रोली ;
खेली दिग्वधुओं से होली।
बँटता है सौरभ-सुहाग मधु-नृप-गृह देख अरी।
जाग अयि ! जगती !! अलस-भरी !

* * *

गीत

[श्री० रत्नचन्द्र जी छत्रपति]

कैसा तेरा प्यार ?
हे मेरे यौवन की रानी !
कह न सकी तुम करुण-कहानी,
काँपी सरिता, निशा सिरानी,
वायु खोलती द्वार—कैसा तेरा प्यार ?

❁

बन की ज्योति गन्ध से हिलमिल,
फूल चमकते तरु पर झिलमिल,
मन्द-मन्द शीतल मलयानिल,
लता पहनती हार—कैसा तेरा प्यार ?

❁

मन की यह नीरव पागलता,
प्राणों की चञ्चल आकुलता,
भावों की अस्फुट विह्वलता,
जाती नभ के पार—कैसा तेरा प्यार ?

* * *

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

बम्बई कॉङ्ग्रेस के उन नेताओं का चित्र, जिनके नेतृत्व में हाल ही में महात्मा गाँधी के दर्शनार्थ प्रभात-फेरी का एक वृहत् जुलूस निकला था।
(बाँईं ओर से) श्री० नगीनदास मास्टर, श्री० बी० सम्बामूर्ति, श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय और श्री० के० एफ़० नॉरिमन।

विगत मङ्गलवार को बम्बई में महात्मा गाँधी के दर्शनार्थ निकलने वाला "अखिल भील-भारत प्रभात-फेरी-सङ्घ" के वृहत् जुलूस का दृश्य।

बम्बई में राष्ट्रीय नेताओं का सम्मेलन

बम्बई में महात्मा गाँधी के निवास-स्थान (गामदेवी) में लिया हुआ आपका चित्र। इस चित्र में पाठक देखेंगे महात्मा जी अपने नाम के आए हुए पत्रों को पढ़ रहे हैं। महात्मा जी का यह चित्र १०वीं जून को लिया गया है।

पं० मदनमोहन मालवीय

सर्दार वल्लभभाई पटेल

डॉक्टर अन्सारी

बाबू राजेन्द्र प्रसाद

श्री० के० एफ़० नॉरिमैन

श्रीमती सरोजिनी नायडू

बम्बई में राष्ट्रीय नेताओं का सम्मेलन

श्री० सुभाषचन्द्र बोस

पं० जवाहरलाल नेहरू

श्री० जे० एम० सेनगुप्ता

कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी कमिटी को इस बात का खेद है, कि कुछ कॉङ्ग्रेस संस्थाओं ने, विदेशी वस्त्रों को कुछ समय के लिए बेचने की इजाज़त देकर, विदेशी वस्त्रों के वहिष्कार के सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस के निश्चय किए हुए आदेशों का उल्लङ्घन किया है। कार्यकारिणी कमिटी की ओर से इन संस्थाओं को आदेश दिया जाता है, कि वे इस प्रकार की सब इजाज़तें तुरन्त हटा दें, क्योंकि वे कॉङ्ग्रेस की निर्धारित नीति के विरुद्ध हैं। भारत में मौजूद विदेशी वस्त्रों को न बेचने देने और बाहर से विदेशी वस्त्रों को न मँगाने का कॉङ्ग्रेस निश्चय कर चुकी है। विदेशी वस्त्र-वहिष्कार के सम्बन्ध में कॉङ्ग्रेस द्वारा निर्णय किए गए प्रोग्राम के किसी भी नियम के उल्लङ्घन होने पर कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट को अधिकार दिया जाता है, कि उस उल्लङ्घन करने वाले व्यक्ति या कमिटी के विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई समझें, करें।

ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ

सेठ जमनालाल बजाज़

श्री० जैरामदास दौलतराम

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

जापान के परराष्ट्र सचिव

जापान के वर्तमान सम्राट

सम्राट मेजी

जापान-नरेश और ड्यूक ऑफ़ ग्लोस्टर की भेंट

ड्यूक ऑफ़ ग्लोस्टर मृगों को हरित तृण खिला रहे हैं

श्री० नारायणप्रसाद सिंह—आप भूतपूर्व एम० एल० ए० और बिहार-प्रान्त के प्रमुख नेता हैं। नौकरशाही ने आपको भी एक साल के लिए कठिन कारागार का दण्ड दिया था !!

श्री० स्वामी अगरदास जी उदासीन—आप सच्चे साधु, सक्खर (सिन्ध) की कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रधान हैं और सरगर्मी से स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग ले रहे हैं।

स्वर्गीया जगरानी देवी—आप प्रवासी भारतवासियों के अनन्य सेवक स्वामी भवानीदयाल जी संन्यासी की धर्मपत्नी थीं।

तिश्ना कामे इश्क़ हूँ मैं, है यही मेरा इलाज, हल्क़ तर करने को दो तलवार का पानी मुझे।
रोज़ा रक्खा दिन को मैंने, रात को फ़ाक़ा किया, काबे वालों की रहेगी याद मेहमानी मुझे॥

पानी

क्या डुबो देगी मेरे अश्कों[1] की तुग़ियानी[2] मुझे,
अब नज़र आता है, घर में, पानी ही पानी मुझे।
क्या है ख़ञ्जर से नदामत[3], है गिराँ जानी[4] मुझे,
क़त्लगह में एक करने दे लहू-पानी मुझे।
यों सदा[5] देता है ज़ाहिद[6] आके मैख़ाने[7] के पास,
मैं बहुत प्यासा हूँ पिलवा दे कोई पानी मुझे!
दम मेरा निकला है यादे अबरूए[8] ख़मदार में,
ग़ुस्ले मय्यत[9] को मिले तलवार का पानी मुझे।
यों है मैख़ाने में कसरत मैकशी[10] की इन दिनों,
अब दवा को भी नहीं मिलता यहाँ पानी मुझे।
नशा से है काम साक़ी, मै से कुछ मतलब नहीं,
तू पिला दे काश अपने हाथ से पानी मुझे।
मैं ज़माने में हूँ ऐसा ख़ूगरे[11] हर गर्मो सर्द,
फ़ायदा करता है अकसर कुनकुना पानी मुझे।
तिश्ना[12]-कामे इश्क़ हूँ मैं, है यही मेरा इलाज,
हल्क़ तर करने को दो तलवार का पानी मुझे।
जिसने पिलवाए हैं अकसर मैकदे में ख़ुम[13] के ख़ुम,
"नूह" अब देता नहीं दो घूँट वह पानी मुझे!

—"नूह" नारवी

कुलफ़ते[14] दुनिया मिटे भी तो सख़ी के फ़ैज़[15] से,
हाथ धोने को मिले बहता हुआ पानी मुझे।
ज़र्रा-ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमाँ नेवाज़,[16]
राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे।

—"चकबस्त" लखनवी

दुर्द[17] का साग़र[18] भी साक़ी मेरी क़िस्मत में न था;
शौक़ में करना पड़ा आख़िर लहू पानी मुझे।

—"यास" लखनवी

ग़र्क़[19] कर दे ऐ सरिश्के[20] ग़म की तुग़ियानी मुझे
डूब मरने के लिए काफ़ी है यह पानी मुझे।
हेच है मेरी निगाहों में मताए[21] रोज़गार,
गौहरे[22] नायाब भी है बूँद भर पानी मुझे।
आए हैं वह खींच कर मक़तल में तेग़े[23] आबदार,
सर से ऊँचा अब नज़र आने लगा पानी मुझे।
तेग़े क़ातिल से तक़ाज़ा है यह मुझ नाशाद[24] का,
हाथ धोलूँ जान से तू दे अगर पानी मुझे।

१—आँसू, २—बाढ़, ३—लज्जा, ४—जीना दूभर है, ५—आवाज़, ६—परहेज़गार, ७—शराबख़ाना, ८—टेढ़ी भौं, ९—जनाज़ा, १०—शराब पीना, ११—आदी, १२—प्यासा, १३—घड़ों, १४—दुख, १५—कृपा, १६—आवभगत करने वाला, १७—तलछट, १८—प्याला, १९—डुबोना, २०—आँसू, २१—दुनिया की दौलत, २२—अनमोल मोती, २३—चमकती हुई तलवार, २४—दुखी,

गाहे[25] गाहे बादये गुलरङ्ग[26] पी लेता हूँ "बर्क़",
ग़म ग़लत करने को रास[27] आया है यह पानी मुझे।

—"बर्क़" देहलवी

बात क्या है मुझको ऐ साक़ी सुरूर[28] आता नहीं,
दे रहा है तू शराबे नाब या पानी मुझे?

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

याद अब आती नहीं, दिल की परेशानी मुझे,
मुस्कुरा कर, उसने ऐसा कर दिया पानी मुझे।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

परेशानी

क्या हो इश्क़े ज़ुल्फ़े जानाँ[29] में तनासानी[30] मुझे,
मिल गई उसके भी हिस्से की परेशानी मुझे।
क्या तअल्लुक़ है इसी का नाम ऐ ज़ुल्फ़े सियाह,
जो परेशानी तुझे हो, वह परेशानी मुझे।
क्या बताऊँ अरसए महशर[31] में वज्हे इज़तराब,[32]
तुम परेशाँ हो इसी की है परेशानी मुझे।

—"नूह" नारवी

मञ्ज़िले इबरत[33] है दुनिया अहले दुनिया शाद हैं,
ऐसी दिलजमई से होती है परेशानी मुझे।
क़ौम का ग़म मोल लेकर दिल का यह आलम हुआ,
याद भी आती नहीं अपनी परेशानी मुझे।

—"चकबस्त" लखनवी

जोशे वहशत में ज़मीं पर पाँव पड़ने का नहीं,
ले उड़ेगी नकहते[34] गुल की परेशानी मुझे।

—"यास" लखनवी

मैं हूँ अफ़सुर्दा-दिली[35] पर इस क़दर नाज़ुक दमाग़,
मौजे बूए गुल से होती है परेशानी मुझे।

—"बर्क़" देहलवी

दो घड़ी को भूल जाता हूँ नशेमन[36] का ख़याल,
याद जब सय्याद की आती है मेहमानी मुझे।
कहने-सुनने के लिए 'ज़ाहिद' हूँ लेकिन क्या करूँ,
मै[37] नहीं मिलती तो होती है परेशानी मुझे।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

पड़ गई थी ज़ुल्फ़े जानाँ की जो परछाँईं कभी,
फिरती है घेरे हुए अब तक परेशानी मुझे।
तुम परेशाँ जब थे, तो मैं भी परेशाँहाल था,
तुम परेशाँ अब नहीं, क्यों हो परेशानी मुझे।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

२५—कभी, २६—लाल शराब, २७—उपयुक्त, २८—नशा, २९—माशूक़, ३०—आराम, ३१—प्रलय, ३२—बेचैनी, ३३—नसीहत का मुक़ाम, ३४—फूलों की महक, ३५—मुरझाया हुआ, ३६—घोंसला, ३७—शराब,

मेहमानी

रोज़ा रक्खा दिन को मैंने, रात को फ़ाक़ा किया,
काबे वालों की रहेगी याद मेहमानी मुझे।

—"नूह" नारवी

आ तुझे आग़ोश[38] में रख लूँ कलेजा चीर कर,
फ़र्ज़ है ऐ तीरे जानाँ तेरी मेहमानी मुझे,

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

ग़म मुझे, हसरत मुझे, आज़ारे पिनहानी मुझे,
क्या हुई है उनको दिल देकर पशेमानी[39] मुझे!

—"नूह" नारवी

ज़ाहिदे मग़रूर रोने पर मेरे हँसता है क्या,
बख़्शवाएगा यही अश्के पशेमानी मुझे।
यारब आग़ाज़े[40] मुहब्बत का बख़ैर अञ्जाम[41] हो,
दिल लगा कर हो रही है, क्या पशेमानी मुझे।

—"यास" लखनवी

मैं न दिल देता, न आतीं यह बलाएँ मेरे सर,
अपने हाथों हाथ आई है पशेमानी मुझे।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

हश्र में आया हूँ मुँह अपना कफ़न से ढाँक कर,
है गुनाहों से कुछ इस दरजा पशेमानी मुझे।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

जानी

हिज्र में मर कर तो हासिल हो तनासानी मुझे,
काश मिल जाए वह मेरा दुश्मने जानी मुझे।

—"नूह" नारवी

वह जो मिल जाए तो हो जाए तनासानी मुझे,
जान से बढ़ कर है मेरा दुश्मने जानी मुझे।

—"ज़ाहिद" इलाहाबादी

नज़्अ[42] में आया है क्यों बालीं[43] पे ख़ञ्जर खैंच कर,
ऐसे आलम में न छेड़ ऐ दुश्मने जानी मुझे।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

बानी

कौन आया, कौन बैठा, कौन रुख़सत हो गया,
फ़र्ज़ उस महफ़िल में है सब की निगहबानी मुझे।
कूए दुश्मन में फिरूँ, या बज़्मे[44] जानाँ में रहूँ,
मिल गई है दोज़ख़ो जन्नत की दरबानी मुझे।

—"नूह" नारवी

हक़परस्ती[45] की जो मैंने बुतपरस्ती छोड़ कर,
बरहमन कहने लगा इलहाद[46] का बानी मुझे।

—"चकबस्त" लखनवी

(शेष मैटर २८वें पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए)

३८—गोद, ३९—लज्जा, ४०—शुरू, ४१—आख़िर, ४२—अन्तिम समय, ४३—सिरहाना, ४४—महफ़िल, ४५—ईश्वर-भक्ति, ४६—एकेश्वरवाद।

महात्मा जी के अहिंसात्मक-आन्दोलन से क्या भारत को आज़ादी मिलेगी ?

[श्री० पृथ्वीपालसिंह जी, बी० ए०]

रत को स्वतन्त्र करने के लिए तुमुल युद्ध छिड़ा हुआ है। आज हमें दो विभिन्न धाराएँ एक ही ध्येय की प्राप्ति के उद्देश्य से हा-हा करती हुई, बड़े वेग से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक धारा है उबलते हुए, उफनते हुए जल की, उसकी लहरें बड़ी विकट हैं, उसका ताप बड़ा तीखा और तीव्र है, उसकी लपेट में पड़ कर बैरी जीता नहीं बचता। दूसरी धारा भी बड़ी प्रबल है, द्रुति-वेग से प्रवाहित हो रही है, परन्तु उसकी लहरों में उद्विग्नता होते हुए भी स्निग्धता है, उसके जल में शान्ति और शीतलता है, फिर भी इस धारा के विकट भँवर में पड़ कर प्रतिद्वन्द्वी बचता नहीं दिखाई दिया। प्रथम धारा का स्रोत है हिंसा का धधकता हुआ भीषण ज्वालामुखी तथा दूसरी धारा का है, शान्तिमय शीतल सरोवर।

प्रथम धारा में तैरने वाले देश के दीवाने अपने भुज-बल और पौरुष में विश्वास रखते हैं—वे हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा भारत को ब्रिटिश सत्ता के विषाक्त पाश से मुक्त करने का दावा करते हैं! वे गिड़गिड़ाने और याचना करने में विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि संसार का इतिहास साक्षी है, स्वतन्त्रता माँगे नहीं मिलती, वरन् दूसरों से हाथ मरोड़ कर ऐंठ ली जाती है। वे आयर्लैंण्ड के स्वातन्त्र्य युद्ध के रोमाञ्चकारी रक्त-रञ्जित इतिहास के उन महत्वपूर्ण पन्नों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं, वे रूस के स्वातन्त्र्य संग्राम की उन भयङ्कर घड़ियों की हमें याद दिलाते हैं, जब रूस का वायुमण्डल तोपों के गर्जन-तर्जन, मार-काट तथा नृशंसों के ख़ून के छींटों से वीभत्स रूप धारण किए हुए था; वे चीन तथा अमेरिका की जङ्ग-आज़ादी की ख़ून से लथपथ कहानियों और गाथाओं को सुनाते हैं और निर्भय होकर उसी हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा भारत को भी इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्रदान कराने की सोचते हैं। वे आह्वान करते हैं ख़ूनी क्रान्ति का—"आ, माँ दुर्गा! आ! हाथ में रक्त से नहाई हुई शमशीर थामे, बैरियों के लोहू का माथे पर तिलक लगाए, उनके कटे हुए सिरों का मुण्ड-माल पहिने, उनके धूल में लोटते हुए क्षत-विक्षत अङ्गों पर, उनके धराशायी वक्षस्थलों पर, गर्व से उछलती-कूदती आ! और भारत में भयङ्कर क्रान्ति का भैरवनाद कर। इन कायर भारतीयों को एक बार फिर कर्तव्य-पथ पर अग्रसर कर। इन भूले हुओं को उनके प्राचीन गौरव, साहस और शौर्य की याद दिला। इन भीरु देशवासियों को अपनी अद्भुत दैवी शक्ति से एक बार फिर शिवा और प्रताप बना—इन निहत्थों को उत्तेजित कर इन्हें अस्त्र-शस्त्र गहा और इन्हें ऐसा वीर-पाठ पढ़ा कि यह ललकार कर बैरी-दल पर धावा बोल दें और क्षण भर में भारत की पुण्य-भूमि को इन नृशंसों के भार से मुक्त कर दें।"

इसी क्रान्ति के उपासक थे सरदार भगतसिंह, इसी क्रान्ति के पुजारी थे स्वर्गीय सुखदेव और राजगुरु। इसी क्रान्ति का शङ्ख फूँकते थे भारतमाता के स्वर्गीय लाल—क्रान्तिकारी दल के आज़ाद और जगदीश आदि, जो भारतीय स्वतन्त्रता के लिए युद्ध करते हुए अमर-गति को प्राप्त हुए। आज मालूम नहीं, कितने ही नौजवान, तोप-तमञ्चे, छुरी-कटारी द्वारा भारत को आज़ाद करने के लिए, अपनी जान हथेली पर लिए घूम रहे हैं। कितने ही देश को स्वतन्त्र करने के उद्देश्य से इस भयङ्कर दल के अनुगामी होकर फाँसी से झूल गए, कितने ही जेलों में पड़े घोर यातनाएँ सह रहे हैं तथा कितने ही फाँसी से झूलने और कारागृह-प्रवासी होने के लिए तैयार घूम रहे हैं। इनका ध्येय निर्मल है, दिव्य है, श्लाघ्य है, सराहनीय है, परन्तु इनकी नीति अनुचित है। स्वतन्त्रता के उपासक सभी पूज्य हैं। स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर बलिदान होने वाले देश के गौरव हैं। हम उन्हें पथ-भ्रष्ट, मूर्ख, पागल, देशघातक आदि कहना उनका अपमान करना समझते हैं। हम उनके साहस, शौर्य और देश-प्रेम के लिए उन्हें सादर मस्तक झुकाते हैं, परन्तु साथ ही साथ हम निस्सङ्कोच, निर्भय होकर उनकी हिंसात्मक नीति का विरोध भी करते हैं। माना कि अन्य देशों ने अपने को परतन्त्रता से 'लाल-क्रान्ति' द्वारा ही मुक्त किया है, परन्तु इसके अर्थ यह कदापि नहीं हैं कि भारतवर्ष के लिए भी वही साधन सफल साबित हो। देश की वर्तमान अवस्था और परिस्थिति देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि हिंसात्मक क्रान्ति, अराजकवाद या आतङ्कवाद से हमारा कल्याण न होगा। सदियों से जिस देश के नर-नारी काठ की कठपुतलियों की तरह आचरण कर रहे हों, जिनका विश्वास हो 'भाग्य' पर, 'होनी' पर, 'करम-लिखो' पर, तथा जो 'कोउ नृप होय हमैं का हाजा' वाली थोथी कहावत के प्रेमी हैं, उनमें एकाएक घोर परिवर्तन कर देने की आशा—और वह परिवर्तन भी कैसा भीषण और भयङ्कर!—यह सब सोच कर क्षण भर के लिए माथा चकरा उठता है। जिनके पास शाक-भाजी काटने के लिए एक छुरी भी न हो, कुत्ता मारने को एक डण्डा भी न हो, वे क्या सचमुच हिंसात्मक क्रान्ति द्वारा एक शक्तिशाली सत्ता से युद्ध करके स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकेंगे? भूत-चुड़ैल से भय खाने वाले, वृक्ष की छाया को साक्षात् यम समझने वाले, चिउँटियों को आटा चटाने वाले, सड़क फूँक-फूँक कर क़दम रखने वाले, मूँग की दाल और मूली का साग मात्र खाकर जीवन व्यतीत करने वाले क्या वास्तव में ख़ूनी क्रान्ति द्वारा देश आज़ाद कर सकेंगे? भारतीय समाज की सदियों की मनोवृत्ति देखते हुए तथा अपनी लाचारी और वर्तमान अवस्था का अध्ययन करते हुए हिंसात्मक क्रान्ति का नुस्ख़ा हमें तनिक भी नहीं जँचता। साधन, शक्ति और स्थिति को तौल कर, आगा-पीछा देख कर, पैर बढ़ाना श्रेयस्कर होता है, अन्यथा भयङ्कर भूल पर आँसू बहाने के अतिरिक्त दूसरा चारा नहीं रह जाता।

यदि क्रान्तिवाद से कल्याण न होगा, तो फिर क्या महात्मा जी के अहिंसावाद से होगा? हमें इस लेख में इसी गहन प्रश्न पर विचार करना है।

आज हम देख रहे हैं कि देश का देश महात्मा जी की उँगलियों के इशारों पर नाच रहा है। उस दो हड्डियों के नन्हें से व्यक्ति ने कुछ ऐसा जादू कर दिया है कि आज उसके अलौकिक तेज के सामने ब्रिटिश सत्ता ने भी घुटने टेक दिए हैं। वह भारत का भाग्य-विधाता बन रहा है। वह स्वयं अकेला ही सब कुछ है—सारे नेता, कॉङ्ग्रेस, सारी संस्थाएँ और सच पूछिए तो समस्त देश एक तरफ़ और महात्मा एक तरफ़। जो कुछ वह कहता है, सभी उसे शिरोधार्य करते हैं। उसके विरुद्ध कोई चूँ तक नहीं करता। कॉङ्ग्रेस महासभा हो या कार्यकारिणी की बैठक हो, उसी की तूती बोलती है। वह सच कहे या ग़लत—अनुचित कहे या उचित, बस उसी का बोल-बाला है। जो कुछ वह कहता है, सब चुपके से स्वीकार कर लेते हैं। उसकी महान शक्ति से शिमला से लेकर 'व्हाइट हॉल' तक के ब्रिटिश शासन के सभी सञ्चालक परिचित हैं। ब्रिटिश सरकार के लिए महात्मा जो 'हौआ' हैं। संसार उन्हें क्राइस्ट या कृष्ण की तरह पूजता है। देश उनके पीछे चलने के लिए दीवाना है। वास्तव में भारत का भविष्य महात्मा के हाथों में है। महात्मा जी हमें किस ओर लिए जा रहे हैं? उनका ध्येय क्या है? उनका अहिंसात्मक आन्दोलन उस ध्येय-प्राप्ति के लिए कहाँ तक सफल होगा? उनका वर्तमान अहिंसात्मक आन्दोलन भावी भारतीय राज्यक्रान्ति के लिए उपयुक्त वातावरण उपस्थित करने का एक साधन-मात्र है या स्वतन्त्रता प्राप्त करने का मूल मन्त्र? इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें महात्मा जी के उद्देश्य और उनकी नीति का स्पष्ट ज्ञान होना उचित है।

महात्मा जी को कोई क्रान्तिवादी कहता है, तो कोई उन्हें आदर्शवादी बताता है। न तो महात्मा जी क्रान्तिकारी ही हैं और न आदर्शवादी। महात्मा जी शान्तिमय सामाजिक जीवन के लिए सरकार और शासन-व्यवस्था का होना अनिवार्य समझते हैं। वे राज्य-व्यवस्था के नियमों का पालन करना राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का धर्म समझते हैं। वे सरकार और राज्य-व्यवस्था को किसी देश-विशेष के मनुष्यों द्वारा अपने ही हित के लिए निर्माण की हुई चीज़ समझते हैं। उनका यह विश्वास है कि यदि वह चीज़, जो मनुष्य अपने हित के लिए निर्माण करता है, अहितकारी साबित होती है, तो उसमें मनमाना परिवर्तन तथा उलट-फेर कर देने का उसे पूर्ण अधिकार है। सरकार और शासन-व्यवस्था में विश्वास करने वाला महात्मा क्रान्तिवादी नहीं है। वह भारत के लिए भविष्य-शासन-विधान का काल्पनिक चित्र भी नहीं खींचता, आदर्श सरकार और आदर्श शासन-प्रणाली के काल्पनिक ढाँचे भी नहीं तैयार करता। वह तो सारी परिस्थिति हस्तामलकवत देखता है और उनके विकारों के दूर करने के लिए साधनों की खोज करता है। वह आदर्शवादी भी नहीं है। महात्मा जी का उद्देश्य है वर्तमान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का, उनका ध्येय है देश को पाश्चात्य सभ्यता के कुप्रभावों से बचाए रखने का तथा हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बना देने का। वे चाहते हैं भारतवासी विदेशियों के ग़ुलाम न रहें, खाने-पीने, ओढ़ने-पहिनने की वस्तुएँ भी स्वयं बनाएँ और उन्हीं को प्रयोग में लाएँ। उनके सामने प्रमुख समस्या है भारत को स्वतन्त्र करने की; और उस ध्येय-प्राप्ति के लिए उन्होंने वह साधन खोजा है, जो संसार के स्वातन्त्र्य-युद्धों के इतिहास में ढूँढ़े नहीं मिलता। प्रारम्भ में संसार के वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ महात्मा के साधनों की ख़ूब खिल्ली उड़ाते थे। महात्मा के धार्मिक, आध्यात्मिक तथा नीति-शास्त्र पर अवलम्बित अहिंसात्मक आन्दोलन की ओर लक्ष्य करके सभी व्यंग्यपूर्ण हँसी हँसते थे। समय की गति ने उन हँसी उड़ाने वालों को हैरत में डाल दिया है। आज वे भी दाँतों तले उँगली दबाते हैं और पूछते हैं—यह अहिंसात्मक असहयोग क्या बला है? क्या सचमुच महात्मा गाँधी भारत को इसके द्वारा आज़ाद कर सकेगा?

महात्मा जी की युद्ध-प्रणाली की जान है 'अहिंसा'।

उनकी राजनैतिक नीति समझने के लिए हमें यह जानना उचित है कि वह मनुष्य के स्वभाव और उसकी प्रकृति आदि के विषय में क्या विचार रखते हैं। महात्मा जी ने १६, फ़रवरी १९२१ के 'यङ्ग इण्डिया' में मनुष्य तथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं कि 'मनुष्य स्वभाव से ही शान्ति-प्रेमी तथा स्नेही होता है।' महात्मा जी के अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन तथा त्याग और बलिदान द्वारा औरों को वश में कर लेने की नीति का यही सार है। उनका कहना है, मनुष्य को अकेला छोड़ दीजिए, वह सदैव निर्मल तथा शुद्ध आचरण वाला बना रहेगा; उसे स्वेच्छानुसार संसार में विचरने दीजिए, वह सदा न्याय-सङ्गत कार्य करेगा, उसके हाथों में शक्ति दे दीजिए, वह उसका सदुपयोग ही करेगा। यदि आप उसे बता दीजिए कि यह कार्य अच्छा है, तो वह बड़े प्रेम से उसे अपना लेगा। महात्मा जी के ख़याल से किसी भी व्यक्ति में बुरा आचरण करने, पाप करने तथा कुमार्गगामी होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। महात्मा जी अहिंसात्मक नीति में घोर विश्वास रखते हैं। जैसे चरख़ा द्वारा वह संसार भर की व्याधियों, विपत्तियों तथा रोगों आदि को दूर करने का दावा रखते हैं, इसी प्रकार अहिंसात्मक नीति से वह चोरों की चोरी छुड़ाने, डकैतों की डकैती की कुटेव छुड़ाने की सोचते हैं। उनका कहना है कि यदि कोई चोर तुम्हारे यहाँ चोरी करने आता है, तो उसको सुमार्ग पर लाने के लिए उचित है कि दूसरे दिन घर की बहुमूल्य चीज़ें आँगन में फैला दो और घर के द्वार खुले छोड़ दो, जिससे कि चोर बड़ी सुविधा से उन चीज़ों को हस्तगत कर सके। ऐसा करने से जिस समय चोर चोरी करने के लिए घर में प्रवेश करेगा, यह लीला देख कर स्तिमित हो जायगा। वह चीज़ें उठा ले जायगा, लेकिन निरन्तर उसके मस्तिष्क में वेदनायुक्त भावों के तूफ़ान उठते रहेंगे और ज्योंही वह तुम्हारे उदार तथा विशाल हृदय से परिचित हो जायगा, वह अपने किए पर पछताएगा, तुम्हारी चीज़ें तुम्हें लौटा देगा, तुमसे क्षमा-याचना करेगा और उस घड़ी से चोरी करना भी छोड़ देगा।

महात्मा जी चरित्र-सुधार तथा विकार-विनाश के लिए अपने इस साधन को बड़ी महत्ता देते हैं। वे कहते हैं कि यदि सब दशाओं में नहीं, तो कम से कम अधिकांश दशाओं में प्रेम तथा सहानुभूति का प्रभाव, पशुबल के प्रभाव से अधिक तीव्र होता है। महात्मा जी का यह भी विश्वास है कि प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा बल और ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति दी है, जिससे कि वह अनायास आने वाली विपत्तियों और कष्टों का हँस-हँस कर स्वागत कर सकता है तथा सहन कर सकता है। इसी विचार-धारा के सहारे महात्मा जी ने भारत को परतन्त्रता से मुक्त करने का अनोखा यन्त्र आविष्कार किया है। उनका कहना है कि वे राज्यनियमों को भङ्ग करेंगे, सरकार से मोरचा लेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन स्वयं सदा शान्तिमय रहेंगे।

महात्मा जी का विश्वास है कि यदि उनके बताए पथ पर समस्त देश आचरण करने को प्रस्तुत हो जाय, तो वे एक ही वर्ष में भारत को स्वतन्त्र कर सकते हैं, भारत से मद-मदिरा की कुटेव को दूर कर सकते हैं, भारत में हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित कर सकते हैं, भारत से अछूत-समस्या के कलङ्क को धो सकते हैं तथा देश को इस योग्य बना सकते हैं कि ज़रूरत की पहिनने-ओढ़ने तथा खाने-पीने की चीज़ें स्वयं पैदा करके अपना पालन-पोषण कर सके। यह क्रान्तिकारी परिवर्तन वह अपने असहयोग आन्दोलन द्वारा करने की सोचते हैं, उस असहयोग आन्दोलन का प्राण है अहिंसा।

वर्तमान शासन-प्रणाली भारत के हित के लिए घातक है, अन्याय और अनाचार की तूती बोल रही है। सरकार और शासन-पद्धति का अस्तित्व समाज के सुख और उसके विकास के लिए होता है। वर्तमान भारतीय सरकार की छत्र-छाया में सुख का नाम नहीं, दुःख के पहाड़ दिन-दहाड़े सिर पर टूटते हैं, ग़रीब किसान और मज़दूर भूखों मर रहे हैं, कोई उनका पुरसाँ-हाल नहीं। स्वास्थ्य और बुद्धि-विकास दूर रहा, जीवन के लाले पड़ रहे हैं। यदि कोई इस दशा पर आँसू बहाता है, गिला करता है, तो दमन-नीति का शिकार होता है। महात्मा जी का कहना है कि यदि चाहते हो इस दारुण परतन्त्रता से मुक्त होना, तो उसका इलाज स्वयं अपने पास ढूँढ़ो। वर्तमान सरकार को उखाड़ना तथा इस दूषित शासन-प्रणाली को नष्टप्राय करना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि सरकार तथा शासन-व्यवस्था तुम्हारे ही सहयोग पर निर्भर है। सहयोग वापस लेते ही सरकार धराशायी हो जायगी तथा शासन-व्यवस्था चकनाचूर हो जायगी। असहयोग द्वारा एक शक्तिशाली साम्राज्य को नीचा दिखाने की नीति महात्मा जी ने विशेषकर परवश, लाचार तथा अस्त्र-शस्त्र-विहीन राष्ट्रों के लिए ही तजवीज़ किया है। भारत आज एक शक्तिशाली सत्ता के चरणों के नीचे दबा हुआ कराह रहा है। सर उठाते ही बन्दूक़ का कुन्दा सर पर बैठता है तथा गोली कलेजे पर। निस्सहाय, निहत्थे भारतीयों के पास अपनी प्राण-रक्षा के लिए पास में कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं है, फिर भला महात्मा जी भारतीयों को तोपों के मुक़ाबिले में क्या गुलेल गढ़ा कर खड़ा कर देते।

उनका कहना है कि यदि अन्याय, अत्याचार या पाप से तुम्हें बचना है, यदि इनका विनाश करना है, तो नीति की दृष्टि से सर्व-प्रथम तुम्हें स्वयं उस अन्याय, अत्याचार अथवा पाप में सहयोग देने से हाथ रोकना होगा। इसी नीति के अनुसार यदि हम वास्तव में वर्तमान ब्रिटिश शासन-पद्धति को शैतानी समझते हैं और शासकों को क्रूर तथा अन्यायी समझते हैं, तो हमें उचित है कि हम उससे असहयोग कर दें। इस असहयोग की भयङ्कर अग्नि के प्रकोप में ब्रिटिश सत्ता भस्म हो जायगी—भारत-भूमि से अन्याय और अत्याचार, दुःख और क्लेश तथा रोग, अकाल, सब दूर हो जायगा—यही दुखी भारत स्वर्ग-भूमि बन जायगा। महात्मा ने असहयोग आन्दोलन की विस्तृत योजना बड़े सुन्दर रूप से हमारे सामने रख दी है। हमें असहयोग आन्दोलन के आदि से अन्त तक के दाँव-पेच और क्रम से परिचित हो जाना आवश्यक है।

असहयोग के अर्थ हैं, अन्यायी सरकार के शासन-सञ्चालन में सहायता देने तथा उसके कृपा-पात्र बनने से इन्कार कर देना; सरकार द्वारा प्रदत्त गुलामी-सूचक उपाधियाँ, जो वास्तव में राष्ट्रीय उत्थान के युग में हेय तथा घृणास्पद समझी जाती हैं, वापस कर देना। इसके अतिरिक्त असहयोग का तात्पर्य है, वकीलों का सरकारी कचहरियों से सम्बन्ध-विच्छेद, तथा आपस के झगड़ों के फ़ैसले के लिए पञ्चायतों की स्थापना, विद्यार्थियों का सरकारी शिक्षा-केन्द्रों को ठुकरा देना तथा राष्ट्रीय विद्यालयों की शरण आना; राष्ट्र को विदेश की बनी वस्तुओं तथा वस्त्रों का मोह त्यागना, स्वदेश की चीज़ों से ही अपना काम निकालना, चाहे वे सुन्दर हों या कुरूप, कष्टप्रद हों या सुखप्रद। सरकारी अफ़सरों का अपने पदों से इस्तीफ़ा देना, क्योंकि जो कुछ भी अनाचार या अन्याय होता है, वह सब उन्हीं देशी अफ़सरों के हाथों से होता है। असहयोग का सब से विकट मोरचा है पुलिस के सिपाहियों और सैनिकों का सरकारी चाकरी को ठुकरा कर राष्ट्रीय झण्डे के नीचे आ जाना तथा देशवासियों का लगान और विभिन्न करों के देने से इन्कार कर देना।

महात्मा जी ने अपने असहयोग आन्दोलन की यह योजना तैयार की थी। उसका क्रम भी उपरोक्त वर्णन के अनुसार रक्खा था। उन्होंने अभी तक निर्दिष्ट-पथ का ही अवलम्बन किया है। वे अपनी नीति के कट्टर पालक हैं, उसमें हेर-फेर तथा अन्तर न तो उन्होंने अभी तक किया है और न करने को तैयार ही हैं। एक समय यह प्रश्न पेश हुआ कि क्या कॉङ्ग्रेस वालों के लिए यह उचित होगा कि वे कौन्सिलों और एसेम्बली में प्रवेश करें तथा वहाँ जाकर असहयोग-नीति का पालन करें—जिसका अभिप्राय था कौन्सिलों और एसेम्बली में घुस कर बात-बात का विरोध करना 'वाक आउट' (Walk Out) करना तथा इस प्रकार रोड़े अटका कर सरकार के कामों पर पानी फेरना। महात्मा जी ने कौन्सिलों और एसेम्बली में जाने की बात का घोर विरोध किया। उन्होंने कड़क कर कहा कि हम 'शैतान' के साथ किसी प्रकार का भी नाता जोड़ने को तैयार नहीं। वे कौन्सिलों और एसेम्बली में प्रवेश करना ही असहयोग-नीति के विरुद्ध समझते हैं। ठीक भी है, व्यवस्थापिका-सभा के चुनाव में भाग लेने का तथा उसका सदस्य होने का स्पष्ट मतलब है कि हम १९१९ की सुधार-व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। सुधार-व्यवस्था को स्वीकार करना सहयोग करना है। इस प्रकार का सहयोग असहयोग की योजना के विरुद्ध है। महात्मा जी ने स्वयं कौन्सिल-प्रवेश के पक्ष में कभी अपनी सम्मति न दी। असहयोग के सच्चे आदर्श को महात्मा जी ने सदा अछूता ही रक्खा।

महात्मा जी ने अपने युद्ध-प्रणाली का जीवन-प्राण अहिंसा रक्खा है और घड़ी-घड़ी वे उसी का शङ्ख फूँकते रहते हैं। शान्ति के पैग़म्बर गाँधी का अहिंसावाद बड़ा कठिन आदर्श उपस्थित करता है। जो उसके पालन करने में पूर्ण-रूपेण 'मनसा-वाचा-कर्मणा' से सफल हो गया, वह स्वयं महात्मा या तपस्वी के पद का अधिकारी हो गया।

महात्मा के शान्तिमय युद्ध के लिए बड़े त्यागी और दृढ़-चरित्र सैनिकों की आवश्यकता है। अहिंसात्मक असहयोग ठोस तथा सच्ची देश-सेवा और बलिदान चाहता है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध-प्रणाली है। द्रोह, वैमनस्य, प्रतिरोध, प्रतिहिंसा, घृणा आदि के भावों के छाया-मात्र से इसकी पवित्रता दूषित हो जाती है। यद्यपि हम इस आध्यात्मिक शस्त्र द्वारा एक अन्यायी शासन-तन्त्र को परास्त करने के लिए युद्ध ठानते हैं, परन्तु फिर भी हम उस सत्ता के प्रति घृणा के भाव हृदय में लाने के भी अधिकारी नहीं, हम क्रोध अथवा रोष प्रकट करने के

(२५वें पृष्ठ का शेषांश)

केसर की क्यारी

आसानी

ख़िज्र को राहे-मुहब्बत से कुछ आगाही नहीं,
जितनी दुश्वारी उन्हें है उतनी आसानी मुझे।
—"नूह" नारवी

मुश्किलाते दह्र ने बदली वह शक्ले ज़िन्दगी,
मौत ने मेरी न पहचाना ब-आसानी मुझे।
—"बर्क़" देहलवी

तूफ़ानी

"नूह" मेरा नाम कब लेता है कोई साफ़-साफ़,
महफ़िले जानाँ में सब कहते हैं तूफ़ानी मुझे।
—"नूह" नारवी

मैं जो ऐ "बिस्मिल" जनाबे "नूह" का शागिर्द हूँ,
इस सबब से जानते हैं लोग तूफ़ानी मुझे।
—"बिस्मिल" इलाहाबादी

* * *

भी हक़दार नहीं, मारने-काटने या हिंसा करने की बात तो दूर रही। हम असहयोगी की हैसियत से अपने आन्दोलन की ओर औरों का ध्यान अपने बलिदान द्वारा आकर्षित करने के अधिकारी हैं, न कि अपने बैरियों पर बम या पिस्तौल चला कर। अहिंसात्मक असहयोग चरित्र-दृढ़ता की एक विकट कसौटी है। सच्चा असहयोगी वही है, जो सीधा-सादा और सरल प्रकृति का है, कृत्रिमता जिसके पास से होकर नहीं गुज़री है तथा जो सदाचारी है, सत्यवादी है और आत्मत्यागी है।

महात्मा जी ने अपने नीति-पोषकों और सच्चे सैनिकों को आदेश दिया है। उस आदेशानुसार महात्मा जी ने उन्हें व्यर्थ के दिखावे से बचने को कहा है। अहितकारी प्रस्ताव पर घृणासूचक ध्वनि करने का तथा हित की बात पर ताली पीटने का निषेध किया है। उनके बताए पथ पर चलने वाले यदि सरकारी नियमों के भङ्ग करने पर गिरफ़्तार किए जाते हैं, तो उन्हें गिरफ़्तारी से बचने का हक़ नहीं, यदि वे फाँसी पर चढ़ाए जाते हैं तो फाँसी के तख़्ते पर चढ़ने से इन्कार करने का अधिकार नहीं। वे सरकारी कचहरियों में अभियोग चलाए जाने पर सफ़ाई नहीं पेश कर सकते। असहयोगी हैं न। यदि वे धरना देते हैं तो वहाँ भी वे बल-प्रदर्शन नहीं कर सकते, किसी पर बेजा दबाव डाल कर उसे मद्य-मदिरा या विदेशी वस्तुओं या वस्त्रों को ख़रीदने या बेचने से नहीं रोक सकते! महात्मा के अहिंसात्मक युद्ध में बल-प्रयोग की गुञ्जाइश कहाँ? यह युद्ध ही अनोखा है, इसमें न तो तोपों की आवश्यकता है, न बन्दूक़ों की; न तो तलवारों की ज़रूरत है, न छुरा-कटारी तथा तीरों की। यह शान्तिमय युद्ध है, इसमें हमारे ही त्याग, सहनशक्ति तथा बलिदान-शक्ति की परीक्षा है। सरकार से असहयोग किया जायगा, उसके राज्य-नियमों को भङ्ग किया जायगा, भले ही हमें दूसरी ओर से गोलियों की बौछार सहनी पड़े, लाठियों की मार सहनी पड़े, हमारे सीनों पर घोड़े दौड़ाए जायँ, पर हम असहयोगी तथा अहिंसाव्रतधारी होते हुए हाथ नहीं उठा सकते, उफ़ नहीं कर सकते। बैरियों की मार से चाहे प्राणों से हाथ ही क्यों न धोने पड़ें, परन्तु हम अपने हृदय में प्रतिहिंसा का भाव भी नहीं ला सकते।

पाश्चात्य देशों में महात्माओं ने अपने रक्त-स्राव से गिर्जाघरों की स्थापना की थी—महात्मा जी ने भी आत्म-बलिदान, कष्ट-सहन, त्याग और तपस्या द्वारा भारत में स्वतन्त्रता देवी के पुण्य-मन्दिर का निर्माण करना सोचा है।

महात्मा जी के इस अहिंसात्मक असहयोग की बड़ी आलोचनाएँ हो चुकी हैं। उन आलोचनाओं को हम दुहराना नहीं चाहते। हम इस लेख में महात्मा जी की नीति का खण्डन नहीं करना चाहते। दोष-युक्त होते हुए भी उनकी वर्तमान युद्ध-प्रणाली ने भारत में नव-जीवन सञ्चार किया है, एक अनोखी जाग्रति की लहर पैदा कर दी है। राजनीति की चखचख, स्वतन्त्रता की पहेली, जो कभी पढ़े-लिखे लोगों की ही बपौती सी हो रही थी, आज वह भारत के किसानों और मज़दूरों के घर की चीज़ हो रही है। गाँव के किसान आज़ादी, स्वराज्य, स्वतन्त्रता का नाम सुन कर भड़क उठते थे, महात्मा जी ने उन्हें जगाया और स्वातन्त्र्य-युद्ध के मर्म से उन्हें परिचित कराया। हमें महात्मा जी की एक हद तक विजय स्वीकार करनी पड़ेगी, उन्होंने अपनी अलौकिक नीति द्वारा ब्रिटिश सरकार को नाकों चना चबवा दिया तथा चारों ओर विश्वव्यापिनी हलचल पैदा कर दी।

अभी तक किसी देश ने कोरे अहिंसा के प्रयोग से स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं की है। महात्मा जी का यह नया प्रयास है। उनका कहना है, मनुष्य स्वभाव से शान्तिप्रेमी और स्नेही है, और इसी आधार-शिला पर उनकी सारी नीति अवलम्बित है। हमें उनके इस कथन में तनिक भी विश्वास नहीं। यह महात्मा जी के व्यक्तित्व का प्रभाव है, उनके उपदेश का चमत्कार है, जो अभी तक अहिंसाव्रत जैसे-तैसे निभता गया है। मनुष्य का स्वभाव, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति और वास्तविक प्रकृति क्या है? इसका उत्तर चौरीचौरा का हत्याकाण्ड है। यदि मार्ग में चलते हुए एक नन्हें से बालक को आप एक चपत लगा दें, तो उस समय वह भयवश न बोलेगा—लेकिन दूर जाते ही गाली देगा। यदि अधिक चपल हुआ तो कङ्कड़ फेंक कर मार देगा। हमें मनुष्य के स्वभाव का, वास्तविक रूप का नित्य उसके मुखाकृति और मनोभावों से पता लगता रहता है। भला कौन बोरसद में माँ-बहिनों पर किए गए अत्याचारों की हृदय-द्रावक कहानियाँ सुन कर जो मसोस कर न रह गया होगा, क्रोध से किसका चेहरा तमतमा न उठा होगा तथा रोष से किसका ख़ून उबल न उठा होगा। 'स्वभाव से ही मनुष्य अहिंसाप्रेमी, शान्तिप्रिय तथा स्नेही है' यह ख़्याल भ्रमपूर्ण है, मिथ्या है। भविष्य हमारे इस कथन का समर्थन करेगा।

परन्तु हमारे इस कथन का यह निष्कर्ष निकालना कि हम चुपके-चुपके हिंसा का पक्ष-पोषण कर रहे हैं, भारी भूल होगी। भारत की वर्तमान स्थिति, अपनी शक्ति और साधनहीनता तथा लाचारी आदि को दृष्टि में रख कर हमने ख़ूनी क्रान्तिकारियों की नीति का प्रारम्भ ही में विरोध किया। वर्तमान समय में अच्छा हो या बुरा हो, महात्मा का बताया पथ ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है—भविष्य की दैव जाने। महात्मा जी के अहिंसात्मक आन्दोलन की संक्षिप्त विवेचना द्वारा उसके नीच-ऊँच और नग्न-रूप से हमने पाठकों को परिचित करा दिया है। उनके आन्दोलन ने देश में कैसी उत्तेजना पैदा कर दी है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। अब सब से कठिन प्रश्न हमारे सामने यह है कि क्या अहिंसात्मक आन्दोलन केवल जाग्रति पैदा करने तथा देश में होने वाली भावी राज्यक्रान्ति के लिए उपयुक्त वातावरण उपस्थित करने का साधन-मात्र ही है या स्वतन्त्रता प्राप्त करने का मूल-मन्त्र?

हमारा अपना विश्वास है कि महात्मा जी के अहिंसात्मक युद्ध द्वारा स्वतन्त्रता मिलना कठिन है—स्वतन्त्रता मिलेगी किसी अन्य नीति से। हाँ, उनके अहिंसात्मक आन्दोलन द्वारा भावी राज्यक्रान्ति के लिए उपयुक्त वातावरण अवश्य उपस्थित हो जायगा। जिस समय हम अपने घर की माँ-बहिनों को केशों से घसिटते, डण्डों से पिटते देखेंगे और देखेंगे कि वे उफ़ भी नहीं करतीं, तब हमारे हृदय में उत्तेजना पैदा होगी। जिस घड़ी हम इन नेत्रों से अपने घर के नन्हें-नन्हें बालकों के वक्षस्थलों पर घोड़ों के चरण-प्रहार और गोलियों की बौछार होते देखेंगे और उन्हें हँस-हँस कर स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर बलिदान होते देखेंगे, तब हमारे हृदय पर ठेस लगेगी। हमारी रक्तहीन धमनियों में ज़ोरों से रक्त प्रवाहित होगा। जब हम अपनी आँखों से नित्य नए अन्याय और अत्याचार होते देखेंगे तथा जब अन्याय की हद हो जायगी, अत्याचार चरम-सीमा को पहुँच जायगा, तब हम अनायास ही पागल हो उठेंगे—हमारे हृदय से एकाएक भयङ्कर लपटें प्रकट होंगी। वे प्रलयकारी लपटें प्रतिपक्षियों के लिए काल हो जायँगी—वे हमारी परतन्त्रता की शृङ्खला को भस्म करके दम लेंगी। वह घड़ी होगी, जब हमारा देश स्वतन्त्र होगा और हम अपनी विजय पर ख़ुशियाँ मनाएँगे।

* * *

भारतीय भारत

भारत की देशी रियासतें

[सहयोगी 'रियासत' के उद्गार]

झिन्द की रेलवे बन्धक

झिन्द राज्य से एक सम्बाददाता ने कुछ काग़ज़ात भेजे हैं, जिनसे मालूम होता है, कि वहाँ केवल फ़ौलादी पन्जे द्वारा राज्य-शासन हो रहा है और ख़ज़ाना ख़ाली होने के कारण अब राज्य की सम्पत्ति पर भी हाथ साफ़ किया जा रहा है। कहा जाता है कि पिछले महीने जब महाराजा बहादुर विलायत जा रहे थे, तो ख़ज़ाने में उल्लू बोल रहे थे। उधर महाराजा को आवश्यकता थी कि विलायत जाकर ख़ूब ख़र्च करें और अपने महाराजा होने का प्रमाण दें। फलतः राज्य की रेलवे लाइन, जो झिन्द और पानीपत के बीच में है, भिवानी के एक सेठ के यहाँ नौ लाख रुपए में बन्धक रक्खी गई। तब महाराजा बहादुर यह रुपए लेकर तीर्थ-यात्रा करने के लिए लन्दन गए।

महाराजा झिन्द के इस उदाहरण से इस बात का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि ये राजे-महाराजे लन्दन-यात्रा के लिए किस तरह अपनी जायदादें बरबाद करते और ग़रीब प्रजा के पसीने की कमाई को किस बेरहमी के साथ अपने विलास-वह्नि में झोंक देते हैं।

* * *

ओरछा की करेन्सी

ओरछा राज्य में आज से पहले अपना सिक्का जारी था, जिसे 'गञ्जाशाही' कहते थे और इससे वहाँ व्यापार में बड़ी सहूलियत थी। परन्तु ओरछा के वर्तमान शासक महाराजा वीरसिंह को गद्दी पर बैठे अभी साल ही भर हुआ और आपके सब्ज़ क़दम की बदौलत राज्य अपने स्वतन्त्र सिक्के से वञ्चित हो रहा है। अब राज्य भर से यह सिक्का लेकर भारत-सरकार को सौंप दिया जाएगा और उसके बदले में सरकार पचीस लाख रुपए ओरछा राज्य को देगी। अन्दाज़ा लगाया गया है, कि तमाम ओरछा राज्य के सिक्कों की चाँदी की क़ीमत पचीस लाख रुपए से कम न होगी। महाराजा वीरसिंह के हाथ से करेन्सी निकल जाने का असर तमाम बुन्देलखण्ड में महसूस किया जा रहा है। परन्तु पोलिटिकल एजेण्टों को प्रसन्न रखने की तदबीर ही क्या थी? इसके साथ ही अगर देशी रजवाड़े सरकार की भक्ति का कोई कार्यतः प्रमाण न दें तो उनके कुकर्मों पर परदा ही कैसे पड़ा रह सकता है?

* * *

रामपुर में शासन-परिषद

शिमला से समाचार मिला है, कि रियासत रामपुर के गत एक वर्ष के हालात को देख कर भारत सरकार ने निश्चय किया है कि वहाँ एक शासन परिषद (कौन्सिल ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन) स्थापित की जाए। इस परिषद के प्रभु अर्थात् प्रधान एक गोरे साहब होंगे, इस परिषद को शासन-सम्बन्धी सभी अधिकार प्राप्त होंगे और नवाब बहादुर की वही परिस्थिति होगी, जो हैदराबाद के निज़ाम बहादुर की है। आपके नाम पर कौन्सिल अपने इच्छानुसार सारा शासन-कार्य किया करेगी। नवाब साहब को यह अधिकार भी न रहेगा कि अपनी इच्छा से एक पन्द्रह रुपए का नौकर रख सकें या किसी को बरख़ास्त कर सकें।

जब नवाब साहब ने गद्दी पर बैठते ही अपनी शान दिखानी आरम्भ कर दी थी और तीन मास के भीतर मसूरी के होटलों में कई लाख रुपए बरबाद कर दिए, तभी हमने ये सभी बातें सर्व-साधारण पर प्रकट कर दीं और सरकार का ध्यान भी इधर आकृष्ट कर दिया। उन दिनों राज्य में एक बहुत बड़े अङ्गरेज़ अफ़सर रहते थे, जो भूतपूर्व नवाब साहब के प्रिय थे और वर्तमान नवाब साहब को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। इन्होंने बड़ी चेष्टा की कि रियासत की दशा बिगड़ने न पाए और वर्तमान नवाब बदनामी के दाग़ से बच जाएँ। परन्तु नवाब भी तो आख़िर नवाब ही ठहरे। कैसे सम्भव था कि आप इन नेकदिल अफ़सर की सलाह पर ध्यान देते। फलतः आपके सभी कर्मों का फल अब इस कौन्सिल या परिषद के रूप में प्रकट होने वाला है।

* * *

पटियाला में विवाह-कर

श्रीमान पटियाला-नरेश ने इस साल अपनी तीन राजकुमारियों की शादियाँ की हैं। इन शादियों के सम्बन्ध में बड़ी मज़ेदार बातें प्रकट हुई हैं। कहते हैं, विवाह के लिए राजकोष में रुपयों की बड़ी कमी थी, इसलिए पटियाला-सरकार की आज्ञा से राज्य के प्रत्येक अफ़सर, नौकर और पेन्शन पाने वाले की तनख़्वाह से तिहाई रक़म नेवता-स्वरूप काट ली गई है। इसके सिवा ख़ज़ाने की कमी की पूर्ति के लिए भी यह विचार किया जाता है कि मालगुज़ारी के साथ एक आना फ़ी रुपया प्रजा से अधिक वसूल किया जाए। हमें अफ़सोस है कि हम पटियाला के इस नए विवाह-कर के विरुद्ध हैं और इस नेवता को एक प्रकार का 'जज़िया' समझते हैं।

* * *

भूपाल का ऋण ग्रहण

भूपाल के सम्बाददाता ने लिखा है, कि नवाब साहब विलायत जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, परन्तु यहाँ ख़ज़ाने में चूहे दण्ड पेल रहे हैं। नवाब साहब की लीडरी की चेष्टा यहाँ की प्रजा और सरकारी नौकर, दोनों के लिए महँगी प्रमाणित हो रही है। क्योंकि लगान वसूल करने के लिए प्रजा पर लज्जाजनक अत्याचार हो रहे हैं और नौकरों के सर पर वेतन में कमी करने का कुल्हाड़ा तैयार है। परन्तु फिर भी रुपए एकत्र होने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिए नवाब साहब का विचार है कि पचीस लाख रुपए कहीं से क़र्ज़ लेकर विलायत जाएँ। इसके लिए एजेण्टों से बातचीत भी आरम्भ हो गई है। अगर बाहर से ऋण न मिला तो जरनैल साहब के पुत्रों पर हाथ साफ़ होगा, क्योंकि उनके पिता का कमाया हुआ धन उनके पास है।

अब ज़रा विचार कीजिए कि भूपाल के नवाब के राज्य से 'राम-राज्य' की उपमा दी जाती है और नवाब हमीद उल्लाह साहब की तुलना हज़रत उमर से की जाती है। अथवा वहाँ बेकस और फ़ाक़ा करने वाले किसानों से, उनका अनाज और जानवर नीलाम करके लगान वसूल किया जाता है और कर्मचारियों के वेतनों में कमी करके उनसे कहा जाता है कि रात को भूखे सो जाओ। क्योंकि नवाब साहब को रुपए की आवश्यकता है, ताकि वे विलायत में आनन्द से गुलछर्रे उड़ाएँ, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले अख़बारों को तबाह करें, और लीडरी का सार्टीफ़िकेट प्राप्त करने के लिए शौकतअली जैसे लोगों की जेबें भरें।

दोस्तो, कुछ दिन और ठहर जाओ और काँङ्ग्रेस के 'रोलर' को थोड़ा सा और फैलने दो, तब आपसे पूछेंगे कि आपको प्रजा की पसीने की कमाई को इस प्रकार बरबाद करने का क्या हक़ है? और तुम्हारे इस लज्जाजनक कर्म का दण्ड क्या होना चाहिए।

* * *

जोधपुर-नरेश का द्यूत-प्रेम

जोधपुर-नरेश इधर एक मुद्दत से सट्टेबाज़ी की कुटेव में पड़ गए थे। आपके कई शुभचिन्तकों ने आपसे निवेदन किया कि यह कार्य अच्छा नहीं है। इससे आज तक किसी ने रुपया नहीं पैदा किया। इसके फेर में पड़ कर व्यर्थ रुपए न बरबाद कीजिए। परन्तु महाराज ने इन बातों की कोई परवाह न की और बराबर सट्टेबाज़ी करते रहे। परन्तु अब हाल में समाचार आया है कि इस सट्टेबाज़ी (जिसे एक प्रकार का जुआ ही कहना चाहिए) में एक करोड़ रुपए का नुक़सान हुआ है। अब महाराजा पछता रहे हैं और अपने सट्टेबाज़ी के सलाहकारों को गालियाँ दे रहे हैं, कि उन्होंने उनसे यह 'तिजारत' क्यों शुरू कराई। हमें ख़बर मिली है कि इस एक करोड़ की बरबादी के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने भी महाराज को ख़ूब फटकारा है। शिमले में, अनुमान किया जाता है कि शायद इस सम्बन्ध में वहाँ कोई अफ़सर भी भेजे जायँगे। क्योंकि सरकार को सन्देह है कि इस सट्टेबाज़ी में राज्य के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। इन लोगों ने काफ़ी रुपए उड़ाए हैं। रुपए लूटने के लिए ही ये महाराज से सट्टा करवाते थे। अङ्गरेज़ अफ़सरों के आ जाने पर ये लोग भी बिदा कर दिए जायँगे।

हम महाराज जोधपुर और उनके सट्टेबाज़ी के सलाहकारों से पूछना चाहते हैं कि ये एक करोड़ रुपए कहाँ से आएँगे। क्या यह ग़रीब किसानों द्वारा पसीने बहा कर पैदा न किए गए थे? इस सट्टेबाज़ी से जोधपुर की ग़रीब प्रजा का क्या उपकार हुआ? क्या महाराजा जोधपुर के लिए यह 'तिजारत' एक लज्जाजनक कार्य न था?

* * *

रियासतों का दहेज

रियासतों में दहेज की कुप्रथा पराकाष्ठा को पहुँच गई है। इसके कारण रियासत वालों को अपनी लड़कियों की शादियों के लिए बड़े सङ्कट का सामना करना पड़ता है। लड़के वाले उस समय तक विवाह की बातचीत भी नहीं करते, जब तक कि लड़की वाले लाखों रुपए देने का वादा नहीं कर लेते। महाराज बिजावर का अपने लड़के की शादी महाराजा पटियाला की लड़की से करने का प्रधान कारण यह था कि बिजावर-नरेश को लाखों रुपए दहेज में मिलने की आशा थी। एक नरेश ने चाहा कि अपनी लड़की की शादी नाहन राज्य के राजकुमार से करें। परन्तु चूँकि मुँह-माँगा दहेज देने की सामर्थ्य उनमें न थी, इसलिए यह सम्बन्ध नहीं हो सका। इस तरह की सैकड़ों घटनाएँ हैं कि पूरा रुपया न मिलने के कारण शादियाँ न हो सकीं।

इस दहेज की कुप्रथा से बङ्गाल तबाह हो चुका है। कितनी ही कन्याओं को इस कुप्रथा को मिटाने के लिए आत्म-हत्या तक करनी पड़ी है। ऐसे गन्दे रिवाज का देशी रियासतों में होना अतीव लज्जा की बात है।

* * *

राजाओं को जवानी का शौक़

मध्य भारत के एक राजा साहब, जो अपनी निन्दनीय हरकतों के कारण दो बार अधिकारहीन हो चुके हैं, एक स्थानीय समाचार-पत्र के कथनानुसार, जब दिल्ली आए थे तो आपने एक डॉक्टर से कहा था—

"डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह भी सम्भव हो, फिर पचीस साल का जवान हो जाऊँ। मैं फ़्रान्सीसी डॉक्टर की वह तमाम फ़ीस देने को तैयार हूँ, जो इन्दौर के सर हुकुमचन्द ने दी।"

ये महाराजा साहब साठ साल से भी अधिक अवस्था के हैं और अभी दो साल हुए, आपने एक नई शादी तेरह वर्ष की लड़की से की है। अब आप इनकी मनोवृत्ति का अन्दाज़ा लगाइए। यही कारण है कि आजकल रियासतों में योग्य मन्त्रियों की उतनी क़द्र नहीं है, जितनी ताक़त की गोलियाँ देने वाले हकीमों की है।

* * *

साहित्य का सपूत

[श्री० जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल्-एल्० बी०]

अङ्क—३; दृश्य—४

रास्ता

(रमाकान्त और संसारीनाथ का ख़ुशी में बातें करते आना)

रमाकान्त—कहो दोस्त, अब तो समझे ?

संसारी—हाँ भाई, तुम लोगों की सचमुच बड़ी ही बेढब चाल थी। अब जाकर समझ में आई। मुझे तो स्वप्न में भी उम्मीद न थी कि भला कभी साहित्यानन्द ख़ुद अपने मुँह से चपला की शादी के लिए मुझसे कहेंगे।

रमाकान्त—अभी क्या, जब नाक रगड़ें तब बात है। बस तुम ज़रा अकड़े रहो।

संसारी—नहीं भाई, यह न कहो। हाथ जोड़ता हूँ, इसके लिए मुझे अब मजबूर न करो। बहुत हो चुका, अब सब्र नहीं हो सकता।

रमाकान्त—तो क्या जान निकल जाएगी ? अजी नहीं। जब नाउम्मेदी में तुम नहीं मर सके, तो अब कुछ थोड़े ही मर जाओगे।

संसारी—एक तो रो-रोकर यह दिन देखना नसीब भी हुआ, उसमें भी टालमटूल। आख़िर इससे फ़ायदा ?

रमाकान्त—तुम क्या जानो ? बस समझ लो कि यह भी हम लोगों का एक मसख़रापन है, जिसकी थाह नहीं मिलती। (पीछे देख कर अलग) अरे ! वह फिर पहुँचा। (प्रकट) अच्छा आओ, इधर चलो तो इसका रहस्य बताता हूँ।

(दोनों का एक तरफ़ जाना और दूसरी तरफ़ से लालटेन लिए साहित्यानन्द का आना)

साहित्यानन्द—(लालटेन रख कर) थक गया—ढहुँक—शिथिल हो गया। संसारीनाथ के पीछे-पीछे घूमते ढहुँक—उसके पश्चात्-पश्चात् भ्रमण करते शिथिल हो गया। (पगड़ी उतार कर सर पर हाथ फेरने के बाद) कहाँ वह चपला के साथ विवाह करने के लिए इतना लालायित था और कहाँ वह अब इस वार्ता से पलायन करता-करता फिरता है। इसका कारण केवल तिलोत्तमा की विद्वत्ता और साहित्यिक योग्यता है, जिससे चकित होकर अब इधर वह ध्यान नहीं देता। क्या बताऊँ, किसी प्रकार से चपला के विवाह के जाल में फँसा कर, उससे मैं उसका तिलोत्तमा के साथ विवाह करने का वचन भङ्ग करा देता, फिर वह चूल्हे-भाड़ में जाए, मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं है। जहाँ मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ, तहाँ तो फिर हाँ ! मैं भला उस पाजी के साथ कहीं चपला का विवाह करूँगा ? अस्तु ! बहुत घेरने-घारने पर उसने इतना तो कहा कि अच्छा सोच-समझ कर उत्तर दूँगा। परन्तु वह दृष्टिगोचर हो तब तो उससे उत्तर पूछूँ। कहीं वह इसी भाँति पूर्णमासी तक न सोचता-समझता रह जाए ? हाय ! हाय ! तब तो साला तिलोत्तमा को मार ही ले जाएगा। ऐसी विदुषी, ऐसी पण्डिता, ऐसी उच्च विचारशीला रमणी उस पाजी को मिले और मैं अपनी सारी योग्यता लिए मुँह देखता रह जाऊँ। हे ईश्वर ! यह तुम्हारा कैसा उल्टा—ढहुँक—विरुद्ध न्याय है।

(यदुनाथ का बनावटी रूप में आना)

यदुनाथ—(अलग) ओहो ! उस्तादों से चाल ? मैं पहिले ही समझता था। ख़ैर ! अब तो छिप कर इसकी बातें भी सुन लीं। (प्रकट) जय राम जी की !

साहित्यानन्द—(घूम कर लालटेन उठा कर मुँह देखता हुआ) कौन ? कौन ? संसारीनाथ ? अरे ! नहीं आप हैं ? आहा ! प्रणाम ! प्रणाम ! मैं आप ही के यहाँ जा रहा था ?

यदुनाथ—क्यों ?

साहित्यानन्द—क्या आपने नहीं सुना ? संसारीनाथ मेरी पुत्री से विवाह करना चाहता है। इसीलिए मैं आपको सावधान करने जा रहा था कि वह आप लोगों को धोखा दे रहा है।

यदुनाथ—मैं समझता हूँ कि कहीं वह आपको न धोखा दे रहा हो।

साहित्यानन्द—नहीं-नहीं, इसे आप विश्वास तो कीजिए !

यदुनाथ—मेरे विश्वास करने से क्या होता है, जब तिलोत्तमा को भी विश्वास हो तब तो। क्योंकि वह शिक्षिता लड़की है और अपने हृदय में संसारीनाथ की इतनी अटल भक्ति धारण किए हुए है कि जब तक वह स्वयं अपनी आँखों से संसारीनाथ को अन्य युवती से विवाह करते देख न लेगी, तब तक वह उसके विरुद्ध कोई भी बात सुन नहीं सकती, न वह किसी प्रकार से अपने सङ्कल्प पर से पिछड़ सकती है। और न उसकी धारणा ही मिट सकती है। यही तो अड़चन है। अच्छा जय राम जी की ! पूर्णमासी नज़दीक है और अभी मुझे बहुत-कुछ इन्तज़ाम करना है।

(चल देता है)

साहित्यानन्द—अरे ! तो क्या सचमुच ही मुझे चपला को संसारीनाथ के साथ विवाह करना पड़ेगा ? अच्छा यही सही। उस पाजी को मैं तिलोत्तमा के साथ कदापि विवाह न करने दूँगा। परन्तु वह दुष्ट मुझे कहीं मिले भी तो सही। अब उसे कहाँ खोजूँ ?

(जाता है)

* * *

दृश्य—५

धनीराम का मकान

(रमाकान्त का दौड़ते हुए आना)

रमाकान्त—(धनीराम के दरवाज़े पर पुकारता हुआ) बाबू धनीराम ! अजी बाबू धनीराम ! ज़रा जल्दी आइएगा।

(धनीराम का बाहर आना)

धनीराम—ओहो ! बाबू रमाकान्त ? आ गए ? कहो-कहो, क्या ख़बर है ?

रमाकान्त—क़िला फ़तह हो गया।

धनीराम—सचमुच ?

रमाकान्त—हाँ, साहित्यानन्द ने अपनी लड़की की शादी संसारीनाथ से कर दी।

धनीराम—वाह यदुनाथ ! ग़ज़ब की खोपड़ी रखता है। मैं तो उसके मसख़रेपन को महज़ खेल ही समझता था, मगर उफ़ ओ ! उसके भीतर कितनी गहरी चाल थी, अब जाना। किन-किन तरकीबों से उसने साहित्यानन्द

को यह शादी कर देने के लिए मजबूर किया है कि तारीफ़ नहीं करते बनती।

रमाकान्त—अच्छा तारीफ़ पीछे कीजिएगा। मगर आप तो सब सामान से लैस हैं, जिसके जानने के लिए मैं दौड़ाया गया हूँ। क्योंकि आज पूर्णमासी है। आज साहित्यानन्द तिलोत्तमा के साथ चुपचाप अपनी शादी करने आपके यहाँ आएगा।

धनीराम—अरे! भाई तुम लोगों की मिहनत तो अब पूरी हो गई। अब उसके पीछे क्यों पड़े हो?

रमाकान्त—वाह! वाह! मार्के की बात, जिसके बिना हमारा सारा खेल फीका है, वह तो अभी बाक़ी ही है।

धनीराम—क्या?

रमाकान्त—वही तिलोत्तमा के साथ साहित्यानन्द की शादी। उसके अख़बार निकालने के उद्देश्य की पूर्ति।

धनीराम—अजी चलो भी। भला यह झूठमूठ की शादी किस तरह निबाहोगे?

रमाकान्त—आप बस देखते जाइए। वह लीजिए, बाजे वाले अपनी-अपनी डफली लिए पहुँच भी गए।

(दो-चार बाजे वालों का आना)

बाजे वाले—सरकार लोगों की बढ़ती रहे। अब हुकुम है सरकार, बजाना शुरू करें?

रमाकान्त—हाँ जी।

(बाजे वाले बाजा बजाते हैं। और बनावटी रूप में यदुनाथ तेज़ी से आता है।)

यदुनाथ—हाँ-हाँ, बन्द करो, बाजा बन्द करो। और तुम लोग जाओ।

(बाजा बन्द हो जाता है और बाजे वाले जाते हैं)

रमाकान्त—यह क्या? क्या प्रोग्राम बदल दिया?

यदुनाथ—नहीं जी। अभी-अभी साहित्यानन्द ने ख़त लिख कर मुझे ताकीद की है कि शादी चुपचाप होगी। किसी के कानोंकान ख़बर न हो और न बाजे-गाजे का ही कुछ इन्तज़ाम हो।

धनीराम—यह क्यों?

यदुनाथ—अपनी स्त्री के डर के मारे। वह चाहता है कि उसकी स्त्री को ख़बर न हो और वह शादी कर ले। फिर बाद को देखा जाएगा। तब वह क्या कर सकती है? ख़ाली चाँद ही तो गञ्जो कर सकती है। शादी तो नहीं उलट सकती।

धनीराम—हाँ, ख़्याल तो अच्छा है। चलो इस बेकार की झंझट से अच्छी छुट्टी मिली।

यदुनाथ—मगर उसी के साथ उस कम्बख़्त ने एक बुरी शर्त लगा दी है, जिससे मेरे होश गुम हैं।

धनीराम और रमाकान्त—वह क्या?

यदुनाथ—वह शादी के पहले तिलोत्तमा को देखना चाहता है।

रमाकान्त—यह तो बुरी सुनाई। संसारीनाथ की शादी हो जाने से उसे कुछ इतमीनान सा हो गया है तभी।

धनीराम—अब कहो। अब तो क़लई खुल जाएगी?

यदुनाथ—क्या बताऊँ, अगर मुझे पहले से इसकी ख़बर होती! ख़ैर, फिर भी कोई हर्ज नहीं। जो कुछ जल्दी में कर सका, वही ठीक है।

(दासी का बाहर से आना)

दासी—आप लोग ज़रा हट जाइए। तिलोत्तमा दीदी की डोली आ गई। (पीछे घूम कर) डोली वहीं उतार दो।

यदुनाथ—हम लोग मुँह फेरे खड़े हैं, उन्हें बेखटके भीतर ले जाओ।

(दासी बाहर जाकर एक नवयुवती को साथ लाती है और उसे लिए मकान में जाती है।)

धनीराम—अरे यार! क्या सचमुच तुमने किसी स्त्री का भी इन्तज़ाम किया है। ग़ज़ब करते हो। कहाँ से लाए? कौन है कौन? है तो यार बड़ी ख़ूबसूरत।

यदुनाथ—इसे इस वक़्त बस तिलोत्तमा ही समझ लीजिए। अरे! दूल्हे साहब आ रहे हैं। आप लोग खसकिए, खसकिए!

(धनीराम और रमाकान्त का एक तरफ़ जाना; और दूसरी तरफ़ से साहित्यानन्द का बग़ल में एक गठरी दबाए इधर-उधर आगे-पीछे ताकते हुए आना।)

साहित्यानन्द—ओहो! पहुँच गया, पहुँच गया। सकुशल पहुँच गया। मुझे मार्ग भर यही शङ्का बनी रही कि कहीं वह चण्डालिनी न मेरे पीछे आती हो। इसीलिए मैं अपना विवाह-वस्त्र सब काँख के नीचे दबाए हुए हूँ।

यदुनाथ—आहा! आप हैं। दूल्हाराम। शुभागमन! शुभागमन! शुभ......!

साहित्यानन्द—अभी नहीं, अभी नहीं, तनिक विलम्ब कीजिए। मुझे दूल्हाराम तो बन जाने दीजिए। (बग़ल की गठरी में से जामा-जोड़ा, मौर इत्यादि निकाल कर पहनता है) उसी कङ्कालिनी के मारे इसे छिपा कर लाया था। नहीं तो ठाठ-बाट करके धूमधाम के साथ पालकी पर आरूढ़ होकर आता। हाँ, शुभागमन कीजिए, परन्तु पहिले देवी जी को मेरा प्रणाम भेज—उहुँक—प्रस्थान कर दीजिए। क्योंकि देवी का दर्शन करके तब शुभ कार्य आरम्भ करना चाहिए। यह बड़ा आवश्यकीय है।

यदुनाथ—अच्छी बात है।

(यदुनाथ भीतर जाकर लौट आता है और दासी कुर्सियाँ लाकर बाहर रखती है।)

साहित्यानन्द—(अलग) जब तक मैं अपनी सब से उत्तम कविता स्मरण कर लूँ, ताकि जैसे ही वह पदार्पण करें, वैसे ही मैं अपनी योग्यता झाड़ दूँ।

(दासी नवयुवती को साथ लेकर निकलती है।)

यदुनाथ—यही मेरी पुत्री तिलोत्तमा है।

साहित्यानन्द—(अलग) हाय! हाय! यह तो बड़ी ही सुन्दरी है। जैसा गुण है, वैसा ही रूप भी है। उस पर अभी बालिका, निरी बालिका है। ऐसा अपूर्व सौन्दर्य, ऐसा विलक्षण माधुर्य! वाह रे हम! वाह रे हमारा भाग्य!

यदुनाथ—अब तो आप देख चुके? यह यहाँ से जाए न?

साहित्यानन्द—नहीं-नहीं (हाथ जोड़ कर), अभी नहीं। तनिक आप लोग बैठ जाइए। मैं इनका अपनी उच्च कविता से सत्कार तो कर लूँ।

(सब लोग कुर्सियों पर बैठते हैं और दासी तिलोत्तमा के पीछे खड़ी होती है।)

साहित्यानन्द—(तिलोत्तमा को लक्ष्य करके कविता पढ़ता है।)

अवलोकन कर तव मुख प्रवाल।
द्रुतगति मञ्जु मनोहर मुखरित उद्वेलक तव चाल।
सिहर-सिहर मन उठहि उबाल॥

यदुनाथ—वाह! वाह! मुख के साथ प्रवाल और मन के साथ उबाल! क्या कहना है? कवियों की तो नानी मर गई होंगी।

साहित्यानन्द—जी हाँ, मूँगे के समान मुख बताना अब तक किसी के बाप—उहुँक—पिता को भी नहीं सूझा था। और सौन्दर्य देखते ही मन के लिए उबल उठना देखिए कितना सुन्दर हुआ है।

यदुनाथ—क्यों नहीं, क्यों नहीं! अब तो तिलोत्तमा, तुम्हें भी इसका कुछ उत्तर देना चाहिए।

साहित्यानन्द—अवश्य, अवश्य! परन्तु कविता का उत्तर कविता ही में हो।

तिलोत्तमा—बहुत अच्छा, सुनिए साहित्यानिधान—
कुवलित केशानन्द तुरङ्ग—
उच्चण्डित खल्लोलित बेंचित दौड़ रहे, मन में मेरे
आशा धनुष घटावर वञ्चित
नयन तरल तीखे तेरे
अरे-अरे पगहीन भुजङ्ग॥

यदुनाथ—बलिहारी पुत्री, बलिहारी! कैसा जोड़ का तोड़ कहा है। कहिए साहित्याचार्य जी, है न आप ही की कविता के समान?

साहित्यानन्द—(बौखलाया है) जी हाँ, अपूर्व है—अपूर्व—बिल्कुल मुँहतोड़—उहुँक—सम्पूर्ण मुखभङ्ग उत्तर है।

यदुनाथ—इसके शब्द ही ऐसे हैं। देखिए उच्चण्डित खल्लोलित बेंचित इत्यादि। भला ऐसे अलौकिक शब्द हिन्दी के भण्डार में कहीं मिल सकते हैं?

साहित्यानन्द—कोष में भी नहीं?

यदुनाथ—जी नहीं।

साहित्यानन्द—हाँ? तब तो यह निस्सन्देह सब से उच्च कविता होगी। मैं इसे अपनी पत्रिका के मुख-पृष्ठ ही पर प्रकाशित करूँगा। यह मेरा ही नहीं, सच पूछिए तो हिन्दी का सौभाग्य है, जो इस साहित्य-रमणी का विवाह मेरे साथ होने जा रहा है। आह! योग्यता में दोनों पल्ला बराबर!

यदुनाथ—अब तो आपने इसे देख-भाल कर अपना सब तरह से इतमीनान कर लिया?

साहित्यानन्द—जी हाँ। यह सकल प्रकार से मेरे योग्य है। मेरे ऐसे विद्वानों के लिए ऐसे ही देवियाँ चाहिए, तभी हिन्दी का शीश उच्च हो सकता है।

तिलोत्तमा—परन्तु मैं भी तो देख लूँ कि यह मेरे योग्य हैं या नहीं। पुरुषों की इच्छा तो इच्छा, क्या स्त्रियों की इच्छा इच्छा ही नहीं है।

यदुनाथ—अवश्य है। यह हम लोगों की मूर्खता है, जो हम अपनी स्त्रियों की इच्छाओं का कुछ भी ख़्याल नहीं करते। इसीलिए दिनोंदिन यह देश रसातल को जा रहा है। बेटी, तुम शिक्षिता हो। तुम देश की स्त्रियों में अगुआ बनो, ताकि तुम्हारी बहिनें तुम्हारा अनुकरण करके अपना सङ्कट दूर करें।

तिलोत्तमा—तब तो मैं भी इनकी परीक्षा लेकर अपना सन्देह मिटा लूँगी, तब विवाह करूँगी।

यदुनाथ—अवश्य। कहिए साहित्यानन्द जी, आप तो इसकी परीक्षा ले चुके। अब आप भी इसकी परीक्षा के लिए तैयार हैं?

साहित्यानन्द—हाँ-हाँ, ऐसी मनमोहनी देवी के लिए मैं कुएँ तक में कूद सकता हूँ, परीक्षा की क्या वार्ता है?

तिलोत्तमा—एवमस्तु। अच्छा दासी—(साहित्यानन्द से) क्षमा कीजिएगा, दासी साहित्यिक भाषा समझ नहीं सकती। इस हेतु इससे अपभ्रंश भाषा बोलना पड़ता है—(दासी से) हाँ दासी, इनकी उम्र मुझे कुछ ढली हुई मालूम होती है। इसलिए इन्हें तनिक दौड़ा कर और उठा-बैठा कर देख कि इनमें कुछ शक्ति है या नहीं।

साहित्यानन्द—अरे! यह किस ढङ्ग की परीक्षा है?

दासी—अब आना-कानी न कीजिए। जैसा हुकुम होता है वैसा कीजिए।

(दासी साहित्यानन्द का हाथ पकड़ कर दौड़ाती है और जब वह थक जाता है, तब उठाती-बैठाती है।)

यदुनाथ—(अलग) अब मैं जाकर इसकी स्त्री को ख़बर कर दूँ, तब मज़ा आए।

(चुपके से चल देता है)

साहित्यानन्द—बस-बस-बस। श्वास फूल गया। अरे बस कर।

तिलोत्तमा—अब देख, इनके बाल नक़ली तो नहीं हैं। क्योंकि आजकल बहुत से बुड्ढे नक़ली बाल लगा कर शादी करने के लिए जवान बन जाते हैं।

(दासी साहित्यानन्द की पगड़ी उतार कर उसके बाल नोचती है।)

साहित्यानन्द—अरे! अरे! इतने ज़ोर—उहुँक—बल से नहीं। सकल खोपड़ी चरचरा उठी।

तिलोत्तमा—दाँतों को भी देख ले। शायद पत्थर के बने हों।

दासी—हाँ-हाँ, मुँह न छिपाइए। सामने मुँह कीजिए।

साहित्यानन्द—नहीं-नहीं, मेरे दन्त असली—उहुँक—मूल हैं मूल। शपथपूर्वक कहता—

दासी—मैं मूल-फूल कुछ नहीं समझती। इधर मुँह कीजिए।

(ज़बरदस्ती उसका मुँह सामने करके मुँह पर घूँसा मारती है।)

साहित्यानन्द—अरे! बाप रे बाप! मर गया। भाड़ में गई ऐसी परीक्षा।

तिलोत्तमा—अरे आप तो अभी से घबड़ाने लगे? अच्छा दासी जल्दी कर। हाँ, कपड़े से इनका मुँह भी मल कर देख ले, कहीं पाउडर तो नहीं लगाए हुए हैं।

(दासी एक कपड़ा लेकर, जिसमें छिपी हुई कालिख लगी होती है, साहित्यानन्द के मुँह पर ख़ूब रगड़ती है। इस तरह उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है।)

साहित्यानन्द—अरे! धीरे-धीरे मल। हाय! हाय! सम्पूर्ण मुख भस्म उठा। अरे! बोलो-बोलो, अब तो मैं इस परीक्षा में सफल हुआ?

(गुस्से में सरला का आना और उसके पीछे संसारीनाथ, चपला, यदुनाथ, रमाकान्त, धनीराम का आना।)

तिलोत्तमा—यह लीजिए, आपके इम्तहान का नतीजा सुनाने यह आ गईं।

सरला—आयँ! यह क्या! यह क्या देख रही हूँ? इनके मुँह में कालिख क्यों लगाई जा रही है?

दासी—बुढ़ौती में शादी करने आए हैं, इसलिए।

साहित्यानन्द—क्या? क्या? क्या? मेरे मुँह में कालिख? और यह कौन? हाय! हाय! यह हरामज़ादी यहाँ कैसे पहुँची?

सरला—शादी, कैसी शादी? अरे! यह तो सचमुच शादी के कपड़े भी पहने हुए हैं। और यह (तिलोत्तमा की तरफ़ झपटती हुई) चुड़ैल कौन है। क्या इसीसे यह शादी करने आया है? खड़ी तो रह डाइन, तेरे बालों में आग लगा दूँ।

तिलोत्तमा—अच्छा यह लीजिए। शौक़ से आग लगाइए। (अपने सर से बाल उतार कर फेंकती है। उसके बाद अपने ज़नाने कपड़े उतार कर टेसू की शकल में नज़र आता है।)

सरला—कौन, टेसुआ?

टेसू—जी सरकार!

साहित्यानन्द—हाय! हाय! यह क्या, यह तो मानो सब लोगों ने मिल कर मुझको उल्लू बनाया। यह शादी नहीं, बरबादी हो गई। हाय! बाप रे बाप! मैं लुट गया। कहीं भी मुँह दिखाने लायक़ नहीं रह गया।

(सब लोग साहित्यानन्द को प्रणाम करके हँसते हैं और वह सबको मारने दौड़ता है)

ड्राप

[समाप्त]

* * *

संयुक्त-प्रान्त के अभागे किसानों की दयनीय दशा

श्री० टण्डन जी का विचारपूर्ण वक्तव्य

संयुक्त-प्रान्त की लगान-सम्बन्धी नीति का पूरा अध्ययन करके प्रयाग के सुप्रसिद्ध तपस्वी श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने जो वक्तव्य प्रकाशित किया है, वह वास्तव में विचारणीय है। यदि परिस्थिति की गम्भीरता पर शीघ्र ही यथोचित ध्यान न दिया गया, तो इसका परिणाम बड़ा भयङ्कर हो सकता है। अपने इस वक्तव्य में टण्डन जी ने किसानों तथा ज़मींदारों की कठिनाइयों और उनके हल करने के साधनों पर भी विचार किया है। आपका कहना है:—

पिछले १० महीनों से खेती की उपज का भाव बहुत गिर रहा है। आजकल जैसा भाव है, वैसा ही १९वीं सदी के पिछले हिस्से में था। युक्त-प्रान्त में लगान प्रधानतया सिक्के के रूप में चुकाया जाता है, यद्यपि कुछ स्थानों में 'बटाई' प्रथा भी चलती है। बटाई-प्रथा में उपज का कुछ हिस्सा देकर लगान चुकाया जाता है। अतः भाव की तेज़ी-मन्दी का प्रभाव ज़मींदार और किसान दोनों पर समान रूप से पड़ता है, तथा भाव की मन्दी के कारण लगान की छूट का प्रश्न भी उपस्थित होता है। पञ्जाब में 'बटाई' प्रथा से ही प्रधानतया किसानों और ज़मींदारों के बीच लगान चुकाया जाता है। इधर युक्त-प्रान्त में यह प्रथा बहुत ही कम स्थानों में प्रचलित है और लगान रुपए में ही चुकाया जाता है।

श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन

इसलिए युक्त-प्रान्त में लगान-सम्बन्धी विचार करते समय अनाज के भाव का भी विचार रखना पड़ता है। किसानों से लगान चूस लेने में युक्त-प्रान्त बरसों से प्रसिद्ध रहा है और किसान प्रायः भूखे ही रहते आए हैं। १९२८ में रुपए की विनिमय दर १ शिलिङ्ग ६ पेन्स निश्चित कर सरकार ने उसका मूल्य १२॥ प्रतिशत बढ़ा दिया; जिसके फल-स्वरूप लगान भी १२॥ प्रतिशत बढ़ा दिया गया। तब से अनाज का भाव गिरता ही गया और आज उसका वही भाव है, जो १८८६ या ८७ में था।

भाव की मन्दी के सिवाय १९२७ से किसान बराबर ख़राब फ़सल होने के कारण पीड़ित रहे हैं। इससे परिस्थिति का सामना करने की उनकी शक्ति और भी घट गई और क़र्ज़ बढ़ गया।

१९३० के अक्टूबर में आरम्भ किए हुए करबन्दी आन्दोलन के दो पहलू हैं—(१) राजनीतिक, (२) आर्थिक। मूलतः आन्दोलन के आर्थिक पहलू का ही किसानों पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे पूरा लगान चुकाने में असमर्थ हो गए थे, उनकी ज़मीन अलाभजनक हो गई थी, अतः करबन्दी आन्दोलन की पुकार सुनते ही उसमें भाग लेना उनके लिए आसान तथा लाभदायक भी हो गया था। विराम-सन्धि के साथ करबन्दी का आन्दोलन बन्द हो गया, पर किसानों की आर्थिक दुरवस्था और भी बढ़ गई।

समझौते की घोषणा के बाद ही लगान और मालगुज़ारी में छूट दिला कर किसानों की अवस्था में सुधार करने के लिए कॉङ्ग्रेस वाले तथा सार्वजनिक कार्यकर्ता सरकार से मिले। सरकार ने कुछ ध्यान न दिया और पूर्ण उदासीनता की नीति बरत रही है। किसान ज़मींदारों को लगान का बहुत छोटा हिस्सा चुका सकते थे, पर ज़मींदारों से बक़ाया वसूली में सरकार कड़ाई से काम ले रही थी। अवध के दो बड़े ताल्लुक़े, कालाकाँकर और भदरी इस बात के उदाहरण हैं। कालाकाँकर के राजा पर ख़रीफ़ की मालगुज़ारी का ८०,०००) बक़ाया था, जिसमें से १० मार्च तक आपने ८० हज़ार रुपया चुका दिया। यह बात प्रसिद्ध है कि लगान-वसूली की कठिनाई के कारण बक़ाया मालगुज़ारी चुकाना सम्भव न था। फिर भी आपकी मक़ूला जायदाद ज़ब्त कर ली गई और सरकार ने राजा साहब का अपमान किया।

'लीडर' में २४ अप्रैल को रायबहादुर श्री० स्वरूपनारायण वकील और कन्नौज के ज़मींदार तथा स्थानीय तहसीलदार के जो पत्र प्रकाशित हुए हैं, उनसे मालूम होता है कि यद्यपि इन्होंने ७५ प्रतिशत ख़रीफ़ की मालगुज़ारी चुका दी थी, तथापि बक़ाया न चुकाने के लिए उनकी मोटर क़ुर्क़ कर ली गई। तहसीलदार को यह बताने पर भी कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि ७५ फ़ीसदी मालगुज़ारी चुकाने वाले के साथ सख़्ती न की जाय, तहसीलदार ने ज़ब्त माल लौटाने से इन्कार कर दिया और कलक्टर की आज्ञा का आश्रय लिया। ये कुछ ही उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि मालगुज़ारी की वसूली में कितनी कड़ाई की जा रही है। सरकारी माँग पूरी करने के लिए ज़मींदारों को बड़ी रक़में उधार लेनी पड़ीं। साथ ही, किसानों से अधिक से अधिक लगान वसूल करने के लिए वे क़ानूनी और ग़ैर-क़ानूनी सब तरह के उपायों का प्रयोग करने लगे। इस कार्य में उन्हें कहीं-कहीं पुलिस और माल के कर्मचारियों से भी मदद मिली। किसानों को अब अपनी शक्ति का पता लग गया है और वे ज़मींदारों के अत्याचार का विरोध करने खड़े हो गए। यही कारण है कि कई ज़िलों में किसानों और ज़मींदारों के बीच तीक्ष्ण विरोध के लक्षण दिखाई पड़े हैं।

बहुत आनाकानी और विलम्ब के बाद सरकार ने अब स्वीकार किया है कि किसान पूरा लगान नहीं चुका सकते और मई महीने में, उसने छूट की योजना प्रकाशित की है। पर अवस्था-सुधार के लिए यह योजना अपर्याप्त है। उसने ६७ लाख मालगुज़ारी की छूट दी है तथा लगान में २ करोड़ २० लाख की कमी कर दी

है। छूट का अधिकांश रबी के लिए है। ख़रीफ़ की फ़सल के समय भी भाव बहुत मन्दा था, पर उस समय बहुत कम छूट दी गई। भाव की मन्दी और स्थानीय विपत्तियों के कारण पूरे फ़सली साल १३३८ के लिए यह सारी छूट दी गई है। साल भर की पूरी मालगुज़ारी ७ करोड़ है। साल भर के लिए मालगुज़ारी में ६·१ फ़ी सदी और लगान में १२ फ़ी सदी छूट पड़ती है। यह देखते हुए कि भाव पहले की अपेक्षा आधा घट गया और अनेक ज़िलों में फ़सल को बहुत नुक़सान पहुँचा है, यह छूट अत्यन्त अपर्याप्त मालूम होती है।

इस विषय की पिछली विज्ञप्ति में सरकार ने साहस कर यह आशा प्रकट की, कि इस मुआफ़ी के बाद जो कुछ लगान बच रहता है, वह इतना है कि वर्तमान गिरे हुए भाव के रहते भी अपनी उपज में से किसान चुका सकते हैं। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि किस बुनियाद पर सरकार ने ऐसी आशा प्रकट की है। खेती की उपज, अनाज का वर्तमान भाव और किसानों की आर्थिक दशा—ये सब ज़बर्दस्त कारण उसका विरोध कर रहे हैं। हमने कुछ ज़िलों के किसानों की आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में आँकड़े जमा किए हैं। वे इस प्रकार हैं :—

ज़िला	औसत	खेती का ख़र्च (लगान सहित)	उपज का मूल	घाटा
इलाहाबाद	१३,०००	१४३)	७३≡)	७२।)
रायबरेली	१६	१३७)	५९॥)	७७।)
सुल्तानपुर	७	७३)	३०)	४३)
उन्नाव	६·७	५८)	३६)	२२)
गोरखपुर	४·७	२४।-)	१२≡)	१२=)
५ ज़िलों का — औसत	९·४८	८७)	८७-)	४५।=)

हमें कानपुर के १५१ गाँवों के आँकड़े मिले हैं। इनके कुल खेतों का रक़बा ३७२ बीघा है। कुल उपज की क़ीमत १०१५) था और कुल लगान ११२९) इसमें खेती का ख़र्च शामिल नहीं है। खेती का ख़र्च छोड़ देने पर भी हर गाँव पीछे ११४) का घाटा रहता है।

ये आँकड़े जहाँ-तहाँ से जमा कर लिए गए हैं। हम यह दावा नहीं करते कि इससे भी विस्तृत जाँच करने पर इन आँकड़ों में परिवर्तन न होगा। पर इससे यह अच्छी तरह दीख पड़ता है कि वर्तमान लगान के रहते हुए खेती की उपज से कितना घाटा पड़ता है। इससे यह बात भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि लगान में भारी छूट मिलनी चाहिए, तभी किसानों की अवस्था कुछ सुधर सकती है।

आवश्यक रियायतें

(१) साधारणतया लगान २० करोड़ से घटा कर १० करोड़ कर दिया जाय।

(२) सरकारी मुतालबा ७ करोड़ से ४॥ करोड़ कर दिया जाय।

नोट—छूट की इस दर से ज़मींदार को मालगुज़ारी में दी गई छूट का चौगुना लगान छोड़ देना पड़ेगा, यानी इस समय से उनका लाभ कम हो जायगा।

(३) दख़ीलकार और ग़ैर-दख़ीलकार दोनों तरह के किसानों को छूट दी जाय, दोनों की छूट का परिणाम अलग-अलग हो सकता है। छूट निश्चित नियमों के अनुसार दी जाय और व्यक्तियों का ख़्याल न रख कर कार्य का विचार रक्खा जाय। इस नियम की घोषणा साफ़, तुली हुई भाषा में की जाय, जिसमें घोषणा की शर्तों को सुन कर ही हर किसान जान सकें कि मुझे कितनी छूट मिली है। इस बात पर ध्यान दिया जाय कि छूट पाने वाले व्यक्तियों को चुनने का अधिकार क़ानूनगो को न दिए जायँ। किसानों को सताने और उनसे घूस लेने के अपने रोज़ाना व्यवसाय के लिए उन्हें नया अवसर न दिया जाय।

(४) प्रान्त के किसानों की अर्थिक दशा की तुरन्त जाँच की जाय। जाँच-कमिटी को उनकी अवस्था-सुधार के, उनकी मुख्य शिकायतें दूर करने के और किसानों, जमींदारों तथा सरकार के बोच के सम्बन्ध-सुधार के व्यावहारिक उपाय सुझाना चाहिए।

* * *

(३७ वें पृष्ठ का शेषांश)

कच्ची बात अपनी लेखनी-जिह्वा से न निकालें। अन्यथा आपस में रञ्जिश हो जायगी !

बारहवें प्रश्न का उत्तर यह है कि फ़ण्डों का हिसाब-किताब रखना क्लर्कों का काम है। मौलाना क्लर्क नहीं हैं। मौलाना लीडर हैं, लीडर ! लीडरों का काम फ़ण्ड इकट्ठा करना और उसे ख़र्च कर देना है। वह हिसाब-किताब रक्खें तो बस हो चुका। उन्हें इतनी फ़ुरसत ही कहाँ है ? हाँ, यदि बकाली साहब को कुछ सन्देह हो तो उसका निवारण इस प्रकार किया जा सकता है कि बकाली साहब कोई फ़ण्ड इकट्ठा करके मौलाना को सौंपें और यह कह दें कि इसका हिसाब-किताब मौलाना को देना पड़ेगा। साथ ही एक क्लर्क भी दें। फिर देखिए, हिसाब-किताब ऐसा आइने की तरह उज्ज्वल रहता है कि बकाली साहब उसमें अपना मुँह देख लें। पिछले फ़ण्डों का हिसाब-किताब माँगना अन्याय है। इतनी पुरानी बातें याद किस भकुए को हैं।

तेरहवें प्रश्न का उत्तर यह है कि मौलाना ने कितना रुपया जमा किया, यह तो याद नहीं। और न उसका अन्दाज़ा ही मिल सकता है; क्योंकि मौलाना के पेट की थाह नहीं। रही मुसलमानों को लाभ पहुँचने की बात, सो जनाब, लाभ तो प्रत्यक्ष है। सब से बड़ा लाभ तो यही पहुँचा कि मुसलमानों में हिन्दुओं से शत्रुता रखने की अक़्ल आ गई। बनारस, आगरा, कानपुर इत्यादि में जो मुसलमानों ने हिन्दुओं की जानो-माल पर हाथ साफ़ किया—यह उसी अक़्ल का एक नन्हा-सा नमूना है। यह लाभ क्या कम हुआ ! परन्तु समझता कौन है ? समझे तो तब, जब खोपड़ी शरीफ़ा में कुछ अक़्ल हो।

चौदहवें और अन्तिम प्रश्न का उत्तर यह है कि कॉङ्ग्रेस के क्षणिक समझौते के पश्चात् मौलाना की फ़ज़्ले हुसेन तथा होम-मेम्बर से कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई। ख़ाली कुछ खाना-पीना, हँसी-दिल्लगी और धौल-धप्पा हुआ था। मौलाना को बहुत अफ़सोस होगा, जब कि वह यह जानेंगे कि "बकाली साहब" हर जगह अपनी टाँग अड़ाते फिरते हैं। आख़िर वह होते कौन हैं ? उनसे मतलब ? न वह क़ाज़ी न मुल्ला ! मौलाना की रहस्यपूर्ण बातें सिवाय मुल्लाओं के और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मुल्ला लोग ख़ास अल्लाह मियाँ के प्रतिनिधि हैं। भविष्य में बकाली साहब ऐसे बेतुके प्रश्न न करें और यदि करें तो इस प्रकार खुले रूप से न करें। उन्हें जो कुछ पूछना हो, चुपचाप मौलाना से मिल कर पूछ लिया करें। यदि बकाली साहब का भाग्य अच्छा हुआ और उन्होंने मौलाना की बात मानी, तो बकाली साहब को भी लाभ हो जायगा। इस प्रकार बेतुके प्रश्न करने से उन्हें हानि पहुँचने का भय है। इधर तो हिन्दुस्तान के कुँजड़े, क़साई उनके दुश्मन हो जायँगे और उधर सी० आई० डी० विभाग उन्हें राजविद्रोही अथवा क्रान्तिकारी दल का आदमी समझ कर जेल की हवा खिलाने का आयोजन करने लगेगा।

आशा है "बकाली साहब" अपने राम का यह परामर्श अवश्य मानेंगे।

भवदीय,
—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जो की !

उर्दू मासिक पत्र 'पेशवा' के सम्पादक बकाली साहब ने मौलाना शौकतअली से जो १४ प्रश्न किए हैं, वे अपने राम की समझ में बड़े ही बेतुके प्रश्न हैं। उनमें कुछ भी सार नहीं है। मौलाना शौकतअली ऐसी बातों का उत्तर इस जीवन में कभी न देंगे। वह केवल उन्हीं बातों का उत्तर दे सकते हैं, जिनमें उन्हें अतिसार की गन्ध आवे, सारहीन बातों का उत्तर वह कभी नहीं दे सकते। हाँ, उनकी ओर से अपने राम सब बातों का उत्तर ताल ठोंक कर दे सकते हैं। सुनिए :—

पहला प्रश्न है—"लन्दन में भारत के विख्यात शत्रु चर्चिल से उनकी क्या बातें हुईं ?" इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो चर्चिल साहब भारत के शत्रु नहीं, मित्र हैं। जो उन्हें शत्रु समझता है, वह हिन्दुस्तान में रहने योग्य नहीं है। आज चर्चिल को शत्रु बक दिया, कल मौलाना को भी शत्रु समझ लिया जायगा। अतएव ऐसी बातों का उत्तर कुछ नहीं। व्यर्थ की बातों का उत्तर मौलाना नहीं देते। इसके अतिरिक्त मौलाना से चर्चिल की जो कुछ बात हुई, वह केवल खाने-पीने की बातचीत थी। चर्चिल साहब ने मौलाना से पूछा था कि—"आजकल आप की जीविका कैसे चलती है ?" मौलाना ने इस्लामी शिष्टाचार के नाते मुस्कुरा कर केवल इतना कहा था—"आपकी जूतियों के तुफ़ैल से सुबह से शाम तक दो रोटियाँ मिल ही जाती हैं। इससे अधिक मुझसे खाया भी नहीं जाता—बदहज़्मी हो जाती है।"

प्रश्न नं० २ का उत्तर यह है, कि मौलाना ने मज़दूर-शासन-तन्त्र को उलटने के लिए अनुदार-दल से कोई प्रतिज्ञा नहीं की। मौलाना ऐसे बेवक़ूफ़ नहीं कि ऐसी छोटी-छोटी बातों पर प्रतिज्ञाएँ करते फिरें। इसके अतिरिक्त मज़दूर-शासन-तन्त्र तो, यदि अल्लाह-मियाँ चाहेंगे तो, स्वयं उलट जायगा। मज़दूरों का शासन भी कोई शासन में शासन है। तोबा कीजिए ! मज़दूरों में शासन की लियाक़त उत्पन्न हो जाय तो फिर अल्लाहोताला के प्रतिनिधि अमीर और रईस क्या झख मारने के लिए भू-मण्डल पर तवल्लुद हुए हैं। घोषणाएँ और दौरे करना तो मौलाना की आदत हो गई है। इसलिए बेचारे मजबूर हैं। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में वह और कुछ नहीं जानते।

तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि हराम-हलाल तो मौलानाओं के बाएँ हाथ का खेल है। जिसे चाहें क्षण में हराम कर दें और जिसे चाहें हलाल ! पहले फ़ौज की नौकरी इसलिए हराम थी, कि मौलाना लड़ने-भिड़ने के ख़िलाफ़ थे। अब आजकल, जब कि कॉङ्ग्रेस जैसी अहिंसावादी संस्था तक युद्ध के लिए कमर कसे है, तो मौलाना पीछे कैसे रह सकते हैं ? वह भी लड़ने को तैयार हैं। परन्तु उन्हें बिना हथियारों की लड़ाई पसन्द नहीं, इसलिए वह फ़ौज में नौकरी की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार हथियार क़ब्ज़े में आ जाएँगे। फिर देखिए, कैसी घमासान मचती है, कि संसार तमाशा देखने दौड़ा आवे। रही सरकार से सहयोग करने की बात, सो जनाब मौलाना को स्वराज्य लेना है, इसलिए यह चाल चल रहे हैं। बिना सरकार से सहयोग किए स्वराज्य कैसे मिलेगा ? जब स्वराज्य मिल जायगा, तब फिर असहयोग कर देंगे। न कहिएगा सम्पादक जी, कितनी प्यारी "स्कीम" है ?

चौथे प्रश्न का उत्तर यह है कि मौलाना से सरकार की लड़ाई ही कब थी। यह "पेशवा" के सम्पादक को कैसे मालूम हुआ कि सरकार से उनकी कभी लड़ाई भी थी ? शायद उन्होंने इस बात से कि मौलाना कभी-कभी सरकार को धमकी दिया करते थे, यह नतीजा निकाला था कि सरकार से मौलाना की लड़ाई है। अजी जनाब, वह तो केवल प्यार-मुहब्बत की बातें थीं। सर्व-साधारण उन बातों को क्या समझ सकते हैं। वे सब व्यर्थ बातें हैं।

पाँचवें प्रश्न का उत्तर यह है कि मौलाना कभी किसी के द्वार पर भीख माँगने नहीं गए। घर बैठे कोई कुछ दे गया हो तो उसके लिए वह क्या करें ? मौलाना के सम्बन्ध में यह कहना, कि उन्होंने कभी किसी से कुछ माँगा—मौलाना की तौहीन करना है। स्वयं अल्लाह मियाँ तो उन्हें कुछ दे नहीं सकते—ब्रिटिश सरकार या भारत-सरकार की हस्ती ही क्या है। मौलाना माँगने के क़ायल नहीं—छीन लेने के क़ायल हैं। जब तक छीना-झपटी, नोच-खसोट से मिले, तब तक माँगने वाले की ऐसी-तैसी। रही युद्ध-घोषणा की बात, सो मौलाना सदैव लड़ने पर कमर बाँधे घूमते हैं। मगर अफ़सोस है कि आज तक उनकी जोड़ का कोई पहलवान ही नहीं मिला। वैसे सच बात तो यह है कि सब ज़बानी जमा-ख़र्च है, न कोई लड़ाई है, न कोई झगड़ा है, केवल लोगों की समझ का फेर है।

छठे प्रश्न का उत्तर यह है कि मौलाना को फ़िलस्तीन और मिश्र का ख़र्च किसी ने दिया हो। 'पेशवा'-सम्पादक से मतलब ? आख़िर वह होते कौन हैं ? "क़ाज़ी जी दुबले क्यों ? शहर के अन्देशे से।" गोया मौलाना की इतनी हैसियत भी नहीं कि कभी-कभी स्वास्थ्य सुधारने के लिए देश के बाहर जा सकें। यदि प्रत्येक इक्के तथा ठेलेवाला एक-एक रुपया भी दे, तो जनाब मौलाना पृथ्वी-प्रदक्षिणा कर सकते हैं। मिश्र इत्यादि किस गिनती में हैं। रही वहाँ के मुसलमानों की दशा, सो जनाब, वहाँ के मुसलमानों की दशा के सम्बन्ध में कुछ न कहना ही अच्छा है। क्योंकि यदि यह कहा जाय कि वहाँ के मुसलमानों की दशा ख़राब है, तो हिन्दुस्तान के मुसलमानों में जोश पैदा होगा, और यदि यह कहा जाय कि अच्छी है तो ईर्षा उत्पन्न होगी। ये दोनों बातें बुरी हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में चुप रहना ही अच्छा है। एक चुप सौ बलाएँ टालती है। हालाँकि मौलाना स्वयम् वह बदसूरत बला हैं कि तमाम ज़माने की बलाएँ उनसे काँपती हैं, परन्तु फिर भी चुप रहना ही ठीक है।

सातवें प्रश्न का उत्तर यह है, कि मुसलमानों ने केवल प्रार्थना ही नहीं की, नाक रगड़ी, एड़ियाँ रगड़ीं, दाँत पीसे, हाथ मले, सिर धुना, पेट पीटा, छाती कूटी, सब कुछ तो किया—क्या नहीं किया; परन्तु मौलाना का हृदय ही नहीं पसीजता। इसका कारण केवल यह है कि मुसलमानों ने केवल अपनी नाक रगड़ी, अपना सिर धुना। मौलाना का क्या बिगड़ा ? हाँ, यदि मुसलमान अपना पेट पीटने के बजाय मौलाना का पेट और पीठ दोनों पीटते, उनका सिर धुनते, तो मौलाना को पता लगता कि मुसलमान क्या चाहते हैं। जब तक बेचारे मौलाना को यह पता न लगे कि मुसलमान चाहते क्या हैं, तब तक वह कर ही क्या सकते हैं ? भविष्य में लोग यह ध्यान रक्खें कि जो बात मौलाना से करवाना चाहें, उसकी ख़बर उन तक पहुँचा दें। ख़बर पहुँचाने का ढङ्ग उन पर बताया जा चुका है। अल्ला-अल्ला, ख़ैर सल्ला !

आठवें प्रश्न का उत्तर यह है कि फ़िलस्तीन के मुसलमानों पर कोई अत्याचार ही नहीं हुआ। किसकी मजाल है कि मुसलमानों पर अत्याचार कर सके। जो मुसलमानों पर अत्याचार करेगा, वह अल्लाह मियाँ की दुआ से नेस्तो-नाबूद हो जायगा। और मुसलमान भी इतने कमज़ोर नहीं हैं कि अत्याचारों को सहन कर लें। विशेषतः जब मौलाना उनको दर्शन दे आए हैं। मौलाना को देखते ही उनमें उतना ही तगड़ापन आ गया, जितने तगड़े कि स्वयम् मौलाना हैं। अब भला कोई अत्याचार कर तो ले ! मौलाना के होते हुए मुसलमानों पर अत्याचार क्या मज़ाक़ है ! लोगों में समझ का माद्दा तो रहा ही नहीं, जो मुँह में आया बक दिया।

नवें प्रश्न का उत्तर यह है कि भारत-सरकार पहले अपना पेट तो भर ले, दूसरों को ख़र्च क्या देगी। स्वयम् तो वह क़र्ज़ लेती फिरती है। वह कहावत है कि—"आप मियाँ माँगने और द्वार खड़े दुरवेश !" भारत-सरकार से मौलाना ने कभी कोई रुपया नहीं लिया। और क्यों जनाब, यह दौरा क्या चीज़ है ? मौलाना को तो कभी कोई दौरा आता नहीं। यह माना जा सकता है कि उनके दिमाग़ में कुछ फ़ितूर अवश्य है, परन्तु दौरा-वौरा उन्हें कुछ नहीं आता।

दसवें प्रश्न का उत्तर यह है कि राज-काज की बातें इस प्रकार न पूछी जाती हैं और न इस प्रकार उनका उत्तर दिया जा सकता है। यदि "पेशवा"-सम्पादक को कुछ शको-शुबह हो तो वह मौलाना से मिल कर उसे दूर कर लें। इस प्रकार पत्रों में लिख कर पूछना भलमनसी नहीं है। अरे भई, मनुष्य का पैर कभी-कभी ऊँचे-नीचे पड़ ही जाता है—यह तो स्वाभाविक बात है। परन्तु भले आदमियों का यह धर्म नहीं है कि किसी को इस प्रकार बदनाम करें। बकाली साहब, आपको मौलाना के कद्दू जैसे सिर की क़सम—अब इन बातों को जाने दीजिए। आपसी तू-तू मैं-मैं से क्या लाभ ? तबेले का लतिहाव अच्छा नहीं होता।

ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर यह है कि यह संसार असार है। इसमें कोई किसी का साथी नहीं होता, हंस अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। किसी ने क्या ख़ूब कहा है—"जगत का झूठा सब व्यवहार। कोई नहीं किसी का साथी, मतलब के सब यार !" मौलाना न किसी की गोद में गए हैं, न किसी के कन्धे पर सवार हुए हैं। यह सब बकाली साहब की ख़ाम-ख़्याली है। मौलाना को अन्य 'प्यालाचटों' की गोद में जाने की आवश्यकता ! वह स्वयम् क्या किसी "प्यालाचट" से कम हैं ? और लोग तो केवल प्यालाचट ही हैं, मौलाना तो 'देगचट' तथा "सम्पूर्ण सर्विस सेट चट" हैं। उन पर यह दोषारोपण करना कि वह "प्यालाचटों" की गोद में चले गए, उनका अपमान करना है। बकाली साहब, कृपा करके भविष्य में ऐसी

(शेष मैटर ३६वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए

[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द विरूपाक्ष]

मुक़ाम झाजड़, पोस्ट नवलगढ़, ज़िला सीकर (राजपूताना) के श्री० नन्दलाल जी शर्मा ने अख़बारों में यह ख़बर छपवाई है कि सीकर के पास किसी गाँव में एक गाय का बछड़ा है, जो आज छः महीने से प्रत्येक रात्रि को ११ बजे अत्यन्त मधुर ध्वनि से 'राम-नाम' जपा करता है। श्री० शर्मा जी इस वत्सोच्चारित राम-नाम ध्वनि से अपने कर्ण-कुहरों को पवित्र भी कर चुके हैं।

❀

श्रीजगद्गुरु की धारणा है कि ये उपरिप्रशंसित श्रीवत्सराज अवश्य ही पूर्व-जन्म में कोई वैष्णवाचार्य रहे होंगे और किसी प्रकार के बलदायक धर्म-कार्य के कारण विधाता ने अब की बार आपको यह 'सींगपुच्छ-युक्त' योनि प्रदान की है। इस जन्म की सींगें और पूँछ पूर्व-जन्म की उपाधियाँ हैं। हमारी यह भी धारणा है कि यदि शर्मा जी प्रार्थना करें, तो दयालु वत्सराज उन्हें अवश्य ही बता देंगे कि पहले जन्म में आप किस मठ के आचार्य थे।

❀

एक बात और ज़बरदस्ती समझ के अन्दर घुस रही है, और वह यह है, कि जब वत्सराज ने राम-नाम जपना आरम्भ कर दिया है, तो माशाअल्लाह, कुछ दिनों के बाद विधवा-विवाहादि धर्मध्वंसी कार्यों के विरुद्ध व्याख्यान भी झाड़ने लगेंगे। फलतः जब दादा श्रीसनातन धर्म के ऐसे 'सींगदार' मददगार तैयार हो जायँगे, तो फिर—'बाल न बाँका करि सके जो जग बैरी होय।'

❀

चलिए, अच्छा हुआ, बेचारे सनातनियों की दक्षिणा, और भूरि-भोजन की व्यवस्था की क़बाहत से भी जान बची। हलवा, पूरी और क़लाकन्द की बर्फ़ी की जगह अब एक झूड़ी हरी घास और थोड़ी सी सरसों की खली से ही काम चल जाएगा और बदले में घर पोतने के लिए गोबर मिल जाएगा, सो अलग। अर्थात् 'आम का आम और गुठलियों का भी दाम' वसूल हो जाएगा।

❀

इसलिए हमारी राय है कि सुनामगञ्ज सिलहट के जो बहुत से नमः शूद्र राम-नाम छोड़ कर 'लाइल्लाह इल्लिल्लाह' जपने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी चिन्ता छोड़ दी जाए अर्थात् उन्हें सुन्नत करा लेने दी जाए। और उनकी जगह राम-नाम जपने वाले बैलों को दे दी जाए। इससे हिन्दू-जाति के ह्रास का मसला तो बा-आसानी हल हो ही जाएगा, साथ ही सनातन-धर्म भी अचल-अटल हो जाएगा।

❀

बस, अब दिया करें महात्मा गाँधी काश्मीर के नवयुवकों को यह उपदेश कि विधवाओं से विवाह करने का सङ्कल्प कर लो और घोषणा कर दो कि अगर जाति की विधवाओं से विवाह न करने दिया जाएगा, तो कुजाति, अजाति या परजाति की विधवाओं से कर लेंगे। अमाँ, कर कैसे लोगे? कोई हँसी-खेल है क्या? जब चोग़ा-चपकन पहन कर विवाह करने चलोगे, तो छोड़ दिए जायँगे, पीछे से दो-चार राम-नाम जपने वाले सींगदार आचार्य और ऐसा हुरपेटन हुरपेटेंगे, कि छट्ठी का दूध याद आ जाएगा।

❀

कानपुर के दङ्गे के सम्बन्ध में जाँच-कमिटी ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसके सम्बन्ध में नाना मुनियों ने नाना प्रकार का अभिमत प्रकाशित किया है। परन्तु हमारे संयुक्त-प्रान्त की गोरी सभा (यूरोपियन एसोसिएशन) ने जो भावग्राही जनार्दन की भाँति इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण मौलिक-तत्व का आविष्कार किया है, वह माशा-अल्लाह, विशेष रोचक है।

❀

श्रीमती गोरी सभा की सम्मति है, कि कौन्सिलों और एसेम्बली में लोगों को पुलिस के कार्यों की आलोचना करने दी जाती है तथा कभी-कभी पुलिस के कार्यों की जाँच के लिए कमिटियाँ बिठा दी जाती हैं। बस, यही कानपुर के दङ्गे का कारण है! क्यों, क्या समझा आपने? बताइए तो ज़रा ईमानदारी के साथ।

❀

कौन्सिलों में पुलिस के कामों की आलोचना और कभी-कभी उसके कार्यों की जाँच के लिए कमिटियों की नियुक्ति! इतना बड़ा अनर्थ, भला कानपुर की जनता कैसे बरदाश्त कर सकती थी? इसलिए वह आपस में ही लड़ मरी! फलतः कानपुर का दङ्गा वहाँ की जनता का पुलिस के प्रति प्रगाढ़-प्रेम का परिणाम था।

❀

इसलिए भविष्य में पुलिस के कार्यों की आलोचनाएँ करने वालों को सावधान कर देना चाहिए और कमिटियों द्वारा उसके कार्यों की जाँच कराने का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, वरना सारा भारतवर्ष मथुरा के यदुवंशियों की तरह आपस में ही लड़ कर मर जाएगा।

❀

यही कारण है कि कानपुर की सुशीला पुलिस ने दङ्गा रोकने की कोई चेष्टा न की। कैसे करती? उसी के लिए तो यह सारा काण्ड हो रहा था। ऐसी दशा में दङ्गा रोक कर क्या कृतघ्नता का कलङ्क अपने मत्थे मढ़ लेती? कोई सुनता तो आख़िर क्या कहता?

❀

परन्तु इतने से ही बस न समझ लीजिएगा। क्योंकि उपयुक्त समीचीन कारण के सिवा इस दङ्गे का एक और भी महा समीचीन कारण था। यानी गत आन्दोलन के समय सखी नौकरशाही ने दुर्बल नीति का अनुसरण कर, आन्दोलनकारियों की खोपड़ियों की मरम्मत करने में थोड़ी-सी कन्जूसी दिखाई थी, इसलिए कानपुर के हिन्दुओं और मुसलमानों ने स्वयं अपनी खोपड़ियों का सनीचर उतार कर उस घाटे की पूर्ति कर ली।

❀

ख़ैर, देर से सही, परन्तु श्रीमती संयुक्त-प्रान्त की सरकार की समझ में भी यह बात आ गई है और उन्होंने गत आन्दोलन के अवसर पर जो दुर्बलता दिखाई थी, उसका प्रतिकार आरम्भ कर दिया है। सारे संयुक्त-प्रान्त में गिरफ़्तारियों का बाज़ार गर्म है। लक्षणों से मालूम होता है, कि अब की वे अपनी दुर्बलता ही नहीं दूर करेंगी, वरन् लगे हाथ गाँधी-इर्विन समझौते का श्राद्ध भी कर डालेंगी। आख़िर उस बेचारे को भी तो शीघ्रातिशीघ्र स्वर्ग भेजना अत्यावश्यक है।

❀

भई, ये लुधियाना के सेशन्स-जज महोदय तो बड़े ही अरसिक आदमी मालूम होते हैं। आव देखा न ताव, बेचारी पुलिस को ऐन ग्रीष्म में फटकार दिया और वह भी महज़ पञ्जाब के कई नौजवानों को राजद्रोह के झूठे इलज़ाम में फँसाने जैसे मामूली कार्य के लिए! हज़रत की समझ-शरीफ़ में यह भी न आया कि अगर बेचारी पुलिस ऐसा न करे तो सखी नौकरशाही का सारा रङ्ग ही भङ्ग हो जाय।

❀

बात यह थी कि पुलिस के एक चतुर चर ने एक अतीव भयङ्कर गुप्त षड्यन्त्र का दिवा-स्वप्न देखा। चार नौजवान गिरफ़्तार कर लिए गए। परन्तु उनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला। अन्त में पुलिस ने उन्हें मैजिस्ट्रेट साहब के पास भेजा। मैजिस्ट्रेट साहब भी चतुर आदमी थे और जजी की ताक में थे, इसलिए उन्होंने अभियुक्तों को सेशन्स सुपुर्द कर दिया। आख़िर इतनी बड़ी बहादुरी हासिल करने का मौक़ा बेचारे कैसे जाने देते?

❀

मगर जनाब, सेशन्स जज ने सारा गुड़ गोबर करके धर दिया। अभियुक्तों को बेदाग़ छोड़ दिया, पुलिस की निन्दा की और इस मामले के लिए सरकार का जो समय, श्रम और अर्थ बरबाद हुआ, उसके लिए दुःख प्रकाश किया। ख़ैर, हमें विश्वास है कि सालाना 'पुलिस-जयन्ती' के अवसर पर लुधियाना पुलिस को स्वर्णपदक आदि से पुरस्कृत कर श्रीमान लाट साहब, सेशन्स जज की इस भूल का सुधार कर डालेंगे।

❀

ख़ैर, पुलिस के सम्बन्ध में अपनी अरसिकता का परिचय देने पर भी सेशन्स-जज ने अभियुक्तों की हैरानी, परेशानी और आर्थिक क्षति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा और न उनसे कोई सहानुभूति ही दिखाई। क्योंकि दुर्भाग्यवश जब उन्होंने इस अभागे देश में जन्म लिया है, तो उन्हें इतना तो भोगना ही चाहिए। हर्रे लगी न फिटकिरी, महीनों तक आराम से 'सी' क्लास की अधजली रोटियाँ और सात्विक शाक खाने को मिला। रात को जेल के कम्बल पर सुख से लेट कर 'मुफ़्त की गङ्गा में हराम के ग़ोते' लगाने का मौक़ा मिला। हमारी तो राय है कि इन अभियुक्तों से चौअन्नी रोज़ के हिसाब से 'जेल-ख़र्च' वसूल कर लेना चाहिए।

❀

कहावत है कि 'जिसके लिए चोरी की उसी ने कहा चोर!' बेचारे मि० चर्चिल ज़ोर लगा रहे हैं कि हिन्दुस्तान वाले विलायती कपड़े पहनते रहें, ताकि ब्रिटेन की तोंदें सुरक्षित रहें और ब्रिटेन का 'स्टार' नामक पत्र उन्हें कोस रहा है कि ज़बरदस्ती किसी को विलायती कपड़े पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों जनाब, आख़िर ये भारतवासी हैं किस मर्ज़ की दवा, जो इतना भी न करेंगे?

❀

शीघ्रता कीजिए !
नहीं तो पछताना पड़ेगा !!
मूल्य लागत मात्र केवल ४) रु०
स्थायी ग्राहकों से केवल ३) रु०
व्यङ्ग-चित्रावली
यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; मनुष्यता की याद आने लगेगी; और सामाजिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए। एकरङ्गे, दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)
स्मृति-कुञ्ज
नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है—ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३); स्थायी ग्राहकों से २।)
मूर्खराज
यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के झंझटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे—यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २)
अपराधी
सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्स्टॉय के "रिज़रेक्शन" विक्टर ह्यूगो के "लॉ मिज़रेबुल" इबसन के "डॉल्स हाउस" गोस्ट और ब्रियो का "डैमेज़्ड गुड्स" या "मेटरनिटी" के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !!
सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।=)
व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

शीघ्रता कीजिए ! केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं !!

बाल रोग विज्ञानम्

इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष-विज्ञान', 'उपयोगी चिकित्सा', 'स्त्री-रोग-विज्ञानम्' आदि-आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वर्ण-पदक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है। आज भारतीय स्त्रियों में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सैकड़ों, हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल मृत्यु के कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, जो बहुत कम ख़र्च में प्राप्त हो सकती हैं। इसे एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त कर्त्तव्य का ज्ञान सहज ही में हो सकता है और वे शिशु-सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार स्वयं कर सकती हैं। मूल्य केवल २॥) रु०; स्थायी ग्राहकों से १॥।=)

यह वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरझा जायँगे; इसके फूलों की एक-एक पङ्खुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी. इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई धारा है।

इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव चित्रण। आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के अन्दर लेखक ने किस सुगमता और सचाई के साथ ऊँचे आदर्शों की प्रतिष्ठा की है। कहानियों की घटनाएँ इतनी स्वाभाविक हैं कि एक बार पढ़ते ही आप उसमें अपने परिचितों को ढूँढ़ने लगेंगे। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है।

सजिल्द, तिरङ्गे प्रोटेक्टिङ्ग कवर से सुशोभित; मूल्य लागत-मात्र केवल ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३)

हास्य-रस की यह अनुपम पुस्तक है। इसके प्रत्येक पृष्ठ में हास्य-धारा प्रवाहित हो रही है ! भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों की इसमें ऐसी मार्मिक चुटकी ली गई है कि पुस्तक हाथ में लेने पर आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी ! सामाजिक ढकोसलों का भण्डाफोड़ ऐसे मनोरञ्जक ढङ्ग से किया गया है कि हँसते-हँसते आपके पेट में बल पड़ जायँगे ; और समाज में क्रान्ति मचाने की इच्छा आपके हृदय में हिलोरें मारने लगेगी। अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। शीघ्रता कीजिए ! इस समय केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और शेष हैं ; अन्यथा दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ! भाषा अत्यन्त सरल तथा हास्यरसपूर्ण है; छपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर तथा दर्शनीय; सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल लागत-मात्र ३) स्थायी ग्राहकों से २।) मात्र !

देवदास

यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। वर्तमान वैवाहिक कुरीतियों के कारण क्या-क्या अनर्थ होते हैं ; लड़के-लड़कियों का जीवन किस प्रकार नष्ट होता है; विविध परिस्थितियों में पड़ने पर मनुष्य के हृदय में किस तरह नाना प्रकार के भाव उदय होते हैं और वह उद्भ्रान्त-सा हो जाता है—इसका जीता-जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। छपाई-सफ़ाई अत्यन्त सुन्दर; भाषा सरल एवं मुहावरेदार है। मूल्य केवल लागत-मात्र २); स्थायी ग्राहकों से १॥)

निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट से क्षीणकाय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। अन्नपूर्णा का नैराश्यपूर्ण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ फूल उठेंगी। उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है। निर्वासिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर दहकती हुई चिता है, उसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना होगा, भेड़-बकरियों के समान समझी जाने वाली करोड़ों अभागिनी स्त्रियों के प्रति करुणा का स्रोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का झण्डा बुलन्द करना होगा ; यही इस उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। शीघ्रता कीजिए, केवल थोड़ी सी प्रतियाँ शेष हैं, नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी। मूल्य ३) रु०

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Bhuvneshwar Nath Misra, M. A., at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.